<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 6/13/2023-डीजीटीआर
भारत सरकार, वाणिज्य विभाग
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक: 19.10.2024

अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. एडीडी (ओआई) - 13/2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. हाईहोप फर्नीचर फिटिंग्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (जिन्हें आगे ''हाईहोप'' भी कहा गया है) ने "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के अनेक भारतीय विनिर्माताओं की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष यह बताते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है कि चीन के उत्पादक इस उत्पाद का निर्यात ऐसी कीमत पर कर रहे हैं, जो वास्तव में इसके सामान्य मूल्य से कम है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद का पाटन हो रहा है और भारतीय एमएसएमई उद्योग वास्तव में क्षति हो रही है।

2. प्राधिकारी ने हाईहोप और उसके विनिर्माता सदस्यों द्वारा प्रदत्त सूचना का संज्ञान लिया है और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 5(4), जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है, के अनुसार सीमा शुल्क प्राधिकारी (डीजीसीआई एंड एस के जरिए) से आयात आंकड़े संग्रहीत किए हैं।

''(4) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्दिष्ट प्राधिकारी स्वत: कोई जांच शुरू कर सकते हैं। यदि वह सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत नियुक्त (सीमा शुल्क प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त जैसा भी मामला हो) से या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सूचना से संतुष्ट हैं कि उप नियम (3) के उप खंड (ख) में उल्लिखित परिस्थितियों की मौजूदगी के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।''

3. प्राधिकारी ने देश में उत्पाद के आयातों के रूझानों का मात्रा और कीमत दोनों की दृष्टि से विश्लेषण किया है और उन्हें विभिन्न अभ्यावेदनों में दी गई सूचना से जोड़ा है तथा यह पता लगाया गया कि क्या इस बात के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य हैं कि चीन से विचाराधीन उत्पाद का उसके अनुमानित सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है, क्या उससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है और क्या पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव का पता लगाने के लिए एक पाटनरोधी जांच करना आवश्यक है। प्राधिकारी ने उद्योग की प्रकृति, पाटन की मात्रा, आयातों की मात्रा और चीन से आयात कीमत के रूझान, प्रमुख कच्ची सामग्री (स्टेनलेस स्टील / माइल्ड स्टील) की प्रचलित कीमतों और विभिन्न अभ्यावेदनों में दी गई सूचना के आधार पर भारतीय उद्योग पर संभावित प्रभाव के संबंध में सूचना पर विचार भी किया है। प्राधिकारी ने सीमा शुल्क प्राधिकारियों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित सूचना मंगाई और उसे अपनाया है। प्राधिकारी ने पाया कि पाटन, क्षति और ऐसे पाटित आयातों और कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद थे, जो जांच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

4. पाटन, क्षति और ऐसे पाटित आयातों तथा कथित क्षति के बीच जांच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराने वाले पर्याप्त साक्ष्य की मौजूदगी से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद प्राधिकारी ने स्वप्रेरणा से भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 6/13/2023-डीजीटीआर दिनांक 20 सितंबर 2023 के माध्यम से चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) से टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत की ताकि संबद्ध देश की मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी मात्रा और प्रभाव को निर्धारित किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को कथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी। प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए अधिसूचना संख्या 6/13/2023-डीजीटीआर दिनांक 19 अप्रैल 2024 के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे।

5. ये अनंतिम पाटनरोधी शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 13/2024-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 जून 2024 के माध्यम से लगाया गया था।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

6. संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से विगत तीन वर्षों के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयात और जांच की अवधि का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था, जो प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर लिया गया था । प्राधिकारी ने लेन देन किए जाने की उचित जांच करने के बाद आयात की मात्रा की गणना और उसके विश्लेषण के लिए डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है ।

ii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में स्वत: एक जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 20 सितंबर, 2023 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की ।

iii) प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरू होने की सूचना कर अनुसंधान इकाई (जिसे "टीआरयू" भी कहा गया है) को भेजी ।

iv) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की । अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति मांग किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई गई थी ।

v) भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश में उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने का परामर्श दें ।

vi) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों, आयातकों/प्रयोक्ताओं, जिन्होंने वर्तमान जांच में स्वयं को हितबद्ध

पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है, को अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ के साथ साथ जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी है । हाईहोप द्वारा अपने अभ्यावेदन के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार घरेलू उत्पादकों के साथ और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने के लिए अनुरोध किया गया था ।

vii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश में उत्पादकों/निर्यातकों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति प्रेषित की और नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार उन्हें अपने अनुरोध करने का एक अवसर प्रदान किया ।

viii) जांच शुरूआत अधिसूचना के उत्तर में, चीन जन.गण. के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने अपने संबंधित कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करके उत्तर दिया :

क. डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कं., लिमिटेड
ख. डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कं., लिमिटेड
ग. डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड
घ. इटरनल मार्क प्राइवेट लिमिटेड
ड. इटरनल मार्क सिंगापुर पीटीई लिमिटेड
च. फॉर्च्यून प्लस टेक्नोलॉजी (गुआंगज़ौ) लिमिटेड
छ. फ़ोशान फ़्यूसियर मेटल प्रोडक्ट्स कं. लिमिटेड
ज. फ़ोशान शुंडे दाओके टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड
झ. फ़ोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कं. लिमिटेड
ञ. ग्वांगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कं. लिमिटेड
ट. ग्वांगडोंग होंग्ली हार्डवेयर कं. लिमिटेड
ठ. ग्वांगडोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड
ड. ग्वांगडोंग ओउला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड
ढ. ग्वांगडोंग तैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कं. लिमिटेड
ण. ग्वांगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कं. लिमिटेड
त. ग्वांगझोउ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड
थ. गुआंगज़ौ रोंगताई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
द. हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड
ध. जियायांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कं, लिमिटेड

न. जियायांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कं, लिमिटेड
प. जियायांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कं, लिमिटेड
फ. जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कं, लिमिटेड
ब. लोवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कं, लिमिटेड
भ. शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री
म. तैमिंग एडवांस्ड प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
य. झाओकिंग सिटी गाओयाओ जिला चुआंग्यियुआन मेटल प्रोडक्ट्स कं. लिमिटेड
कक. झाओकिंग सिटी गाओयाओ जिला कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड
खख. झोंगशान हैबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कं, लिमिटेड

7. एक निर्यातक गुआंग्डोंग ज़िंगहुई प्रिसिजन कंपनी लिमिटेड ने अपने को हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया, परंतु विहित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

8. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजकर नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की ।

9. आयातकों / प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली का जवाब देकर उत्तर दिया है।

i. एब्को प्राइवेट लिमिटेड
ii. हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
iii. गोदरेज एंड बॉयस मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड
iv. एशियन पेंट्स
v. स्लीक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

10. यद्यपि डोरसेट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि विषयगत वस्तुओं का एक आयातक और एक संभावित घरेलू उत्पादक है, ने निर्धारित आयातक प्रश्नावली का उत्तर दाखिल नहीं किया, तथापि प्राधिकारी को डोरसेट से निवेदन प्राप्त हुए, जिनकी इस अधिसूचना में जांच की गई है।

11. वर्तमान जांच के लिए क्षति जांच अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की है । वर्तमान जांच के लिए क्षति की अवधि वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि है ।

12. प्राधिकारी ने दिनांक 20 सितंबर 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना के पैरा 8 के तहत विचाराधीन उत्पाद (अथवा पीयूसी) के दायरे पर, जांच शुरूआत के 15 दिनों के भीतर टिप्पिणयों की मांग की । हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 12 अक्टूबर, 2023 तक विचाराधीन उत्पाद और पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) पद्धति पर टिप्पणियां दर्ज करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया था । सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें प्राधिकारी ने सभी हितधारकों को 10 नवंबर, 2023 तक अपने अनुरोधों का आदान-प्रदान करने का निर्देश दिया । प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करने के बाद, 30 नवंबर, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से, विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे और पीसीएन पद्धति को अधिसूचित किया, जिसका हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए अनुसरण करना चाहिए । सभी हितबद्ध पक्षकारों को 14 दिसंबर, 2023 तक पीसीएन पद्धति के अनुसार, प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने का निदेश दिया गया था । कुछ हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर, समय-सीमा को दिनांक 28 दिसंबर, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया था ।

13. प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों से उत्पादन विवरण की मांग की । एसेसिएशन ने संपूर्ण क्षति अवधि के लिए भारतीय उत्पादकों के लिए उत्पादन के अलग-अलग ब्यौरे के साथ भारतीय उत्पादन का विवरण उपलब्ध कराया । प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) के निर्धारण के उद्देश्य से लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों का सैम्पल लिया :

क. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
ख. कियारा स्लाइड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
ग. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज
घ. सुकेतु एंटरप्राइज
ड. विनायक इंटरनेशनल

14. उपरोक्त घरेलू उत्पादकों को क्षति मार्जिन निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के तहत निर्धारित प्रारूपों के अनुसार लागत संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए निदेश दिया गया था । लागत संबंधी सूचना प्राप्त होने पर, यह नोट किया गया था कि सैम्पल उत्पादक केवल माइल्ड स्टील (एमएस) का उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन कर रहे थे । इसलिए नमूना उत्पादकों के दायरे को

बढ़ाया गया था ताकि बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी को स्टेनलेस स्टील के प्रयोग से उत्पाद का उत्पादन करने वाले भारतीय उत्पादक के रूप शामिल किया जा सके ।

15. प्राधिकारी ने आवश्यकता के अनुसार सैम्पल उत्पादकों से आगे सूचना की मांग की । घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों की, वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यकता के अनुसार डेस्क सत्यापन किया गया था। प्राधिकारी ने 3 और 4 अक्टूबर, 2024 को नमूना घरेलू उत्पादकों का मौके पर पर भी सत्यापन किया था।

16. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे जांच दल के साथ-साथ सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को ई-मेल करें।

17. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर सैम्पल घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं को बनाने और बिक्री करने की लागत और उत्पादन की लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा ।

18. प्राधिकारी ने 19 अप्रैल 2024 को अधिसूचना संख्या 6/13/2023-डीजीटीआर के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए। प्रारंभिक जांच परिणाम में दर्ज किए गए अनुसार प्राधिकारी ने मौखिक सुनवाई के समय उन पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।

19. एडी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने 10 सितंबर, 2024 को हुई मौखिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों को उनके विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों से 17 सितंबर, 2024 तक अपने लिखित अनुरोध और 24 सितंबर, 2024 तक खंडन अनुरोध प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था।

20. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपनी समुक्तियां दर्ज की हैं।

21. प्राधिकारी द्वारा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के सत्यापन के लिए डेस्क सत्यापन किया गया था, जहां आवश्यक हो, केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर आवश्यक सुधार के बाद वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भरोसा किया गया है।

22. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

23. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 81.06 रुपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

24. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. जांच शुरूआत अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद को एच एस कोड 8302 4110, 8302 4190, 8302 4200, और 8302 4900 के तहत वर्गीकृत किया गया है । उत्पाद को एच एस कोड 83024110 और 83024190 के तहत वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इन उप शीर्षों में "भवनों के लिए उपयुक्त" और "दरवाजे तथा खिड़कियों" की फिटिंग शामिल है । तथापि, विचाराधीन उत्पाद भवनों, दरवाजों अथवा खिड़कियों के लिए प्रयोग नहीं होता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल नहीं है :-

क. नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के साथ ड्रॉअर रनर : यह एक उत्पाद है जिसमें बॉल बियरिंग के बजाय नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के प्रयोग से मोसन तकनीक शामिल होती है। 14 घरेलू उत्पादकों जिन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं, के पास उनके उत्पाद कैटालॉग / वेबसाइट में नाइलॉन सिलेंडरिकल रोलर के साथ ड्रॉअर रनर सूचीबद्ध नहीं है । यदि उन्होंने इस प्रणाली के

लिए पुर्जे आयात किए हैं तो उन्हें प्रणाली के लिए उत्पादक नहीं माना जा सकता।

ख. इकोनो बॉक्सेज : इकोनो बॉक्स, जिनके पास ऐसे साइड दरवाजों के साथ एक सामान्य रनर है, जिनके साथ बाल बेयरिंग नहीं है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है ।

ग. स्लिम एर्गो या सुपर स्लिम एर्गो जैसे ड्रॉअर सिस्टम मूल्यवर्धित उत्पाद होते हैं जिनमें साइड पैनल होते हैं और ये जांच के दायरे से बाहर होने चाहिए।

घ. लीविंग और बेडरूम फिटिंग : लीविंग और बेडरूम फिटिंग, जैसे ट्राउजर पुल आउट, स्लाइट माउंटेड टाई रेक आदि के पास बाल बेयरिंग रनर के रूप में एक घटक है, लेकिन इसमें कई अन्य पुर्जे/घटक निहित हैं तथा उत्पाद अपनी समग्रता में चैनल ड्रॉअर से भिन्न है और इसलिए इसके साथ समानता नहीं की जा सकती ।

iii. कतिपय ऐसे टाइप के उत्पाद हैं, जिनका भारत में निर्माताओं द्वारा उत्पादन नहीं किया जाता । अत: निम्नलिखित को बाहर किए जाने की अपेक्षा है :-

क. अंडर माउंट स्लाइड, जो ड्रॉअर के नीचे स्थापित की जाती है ।
ख. ब्लैक जिंक प्लेटेड उत्पाद
ग. साफ्ट क्लोज स्लाइड, जिससे दराज की सॉफ्ट क्लोजिंग होती है ।
घ. 201 स्टेनलेस स्टील और 304 स्टेनलेस स्टील सामग्रियों से बने स्लाइड उत्पाद।
ड. हेवी ड्यूटी बॉल बेयरिंग स्लाइड
च. 17 मि.मि., 27 मि.मि., 30 मि.मि., 35 मि.मि., 36 मि.मि., 40 मि.मि., 42 मि.मि., 53 मि.मि. चौड़ाई की स्लाइड ।
छ. 3- बॉल, 4 - बॉल, 5- बॉल, 6- बॉल कॉफिंगरेशन वाले उत्पाद ।
ज. 50 किलोग्राम से अधिक भार क्षमता वाले उत्पाद ।

iv. पुश ओपन स्लाइड, स्टील ड्रॉअर स्लाइड और कंप्यूटर की बोर्ड, बाल बेयरिंग स्लाइड विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं ।

v. प्राधिकारी पीसीएन के लिए मापदंड के रूप में क्लोजिंग टाइप अर्थात साफ्ट क्लोज या हार्ड क्लोज और कच्ची सामग्री के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें।

vi घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से यह पूछते हुए इस जांच का कोई कारण नहीं बताया है कि क्या सभी निर्यातकों ने जांच शुरूआत की सूचना में विनिर्दिष्ट 4 के इतर एचएस कोडों के अंतर्गत सूचना दी है। इस प्रक्रिया के पालन से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

vii. इकोनो बॉक्सेज को बाहर रखते समय प्राधिकारी को उत्पाद का जेनरिक नाम बताना चाहिए अर्थात किसी विशेष कंपनी के ब्रांड नाम अर्थात ''इकोनो बॉक्स'' के बजाय ड्रॉअर सिस्टम का उल्लेख करना चाहिए।

viii. पीयूसी की परिभाषा के भीतर ड्रॉअर सिस्टम को शामिल करने के घरेलू उद्योग का अनुरोध याचिकाकर्ता के बाद की सोच रखता है और उसका इरादा वर्तमान जांच के दायरे को बढ़ाने का है। ड्रॉअर सिस्टम के कंपोजिट उत्पाद होते हैं जिनमें साइड पैनल, स्लाइड और एक कनेक्टर होता है जो स्लाइड को साइड पैनल से जोड़ता है। इसके मूल्यवर्धित उत्पाद हैं जिनकी कीमत काफी अधिक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों में पीयूसी के नाम की एक विस्तृत सूची उपलब कराई है जिनमें ड्रॉअर प्रणाली या भारत में आयातित किसी अन्य ड्रॉअर प्रणाली का नाम शामिल नहीं है।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

25. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" है । संबद्ध वस्तु का कोई समर्पित कोड नहीं है और इसे कई एच एस कोड में आयात किया जा रहा है । प्राधिकारी ने जांच शुरूआत अधिसूचना में सही उल्लेख किया है कि उत्पाद को अध्याय 83 के तहत कई उप शीर्षों के तहत आयात किया जा रहा है, जिसमें उप शीर्ष 83024110, 83024190, 83024200 और 83024900 शामिल हैं ।

ii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तावित उत्पाद बहिष्करण विभिन्न उत्पाद प्रकारों के लिए नहीं है, बल्कि केवल संबद्ध वस्तुओं के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न नामकरण हैं । सभी विवरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं । तथापि, घरेलू उद्योग किचिन और फेड रूप फिटिंग (जैसे ट्राउजर पुल आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक), स्लिम बॉक्स, अल्ट्रा स्लिम बॉक्स, लेग्रा बॉक्स, टेंडम बॉक्स (दराज), स्लिम टेडम बॉक्स आदि के अपवर्जन के लिए सहमत हुआ है।

iii. विचाराधीन उत्पाद का वर्णन करने के लिए विभिन्न नामकरणों की एक विस्तृत सूची निम्नानुसार है :-

क) टेलिस्कोपिक चैनल
ख) ड्रॉअर स्लाइडर
ग) बॉल बेयरिंग टेलिस्कोपिक स्लाइड
घ) बॉल बेयरिंग टेलिस्कोपिक चैनल
ड.) किचन ड्रॉअर स्लाइड
च) वॉर्डरोब ड्रॉअर चैनल
छ) ड्रॉअर रनर
ज) बॉल बेयरिंग ड्रॉअर रनर
झ) साइड माउंटिंग ड्रॉअर स्लाइड
ञ) साइड माउंटिंग ड्रॉअर चैनल
ट) बेड ट्रॉली रनर
ठ) पुल आउट चैनल
ड) सिंगल एक्सटेंशन चैनल
ढ) साइड ट्रैक ड्रॉअर चैनल, आदि

iv. नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर के साथ मोशन टेक्नोलॉजी का अंडर माउंट रनर एक उत्पाद है जो दराज में नीचे स्थापित किया जाता है । अत: केवल उत्पाद की प्लेसमेंट ही अलग है, न कि उत्पाद ही अलग है । चाहे इसे किनारे पर रखा गया हो या दराज के नीचे, यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है ।

v. कोटिंग/प्लेटिंग, क्लोजिंग टाइप और कच्चे माल के संबंध में, भारतीय उद्योग जिंक और ब्लैक कोटेड चैनल, सॉफ्ट क्लोज, पुश ओपर और मानक चैनल का उत्पादन करता है और न केवल हल्के (माइल्ड) स्टील बल्कि स्टेनलेस स्टील से बने चैनल भी बनाता है ।

vi इसके अलावा, भारतीय निर्माता उच्च भार क्षमता के साथ हेवी ड्यूटी स्लाइड भी बनाते हैं जो अधिक लोडिंग क्षमता की आवश्यकता होने पर जरूरतों को पूरा कर सकते हों ।

vii. चूंकि भारत में मांग मुख्य रूप से 45 मि.मी. उत्पाद की है, अत: भारतीय निर्माता 45 मि.मी. की शैली के उत्पादों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 17 मि.मी. या 27 मि.मी. चौड़ाई के उत्पाद अप्रचलित हैं और अब शायद ही कभी उनकी मांग हो। किसी भी स्थिति में, भारतीय उद्योग 45 मि.मी. चौड़ाई से कम और उससे अधिक चौड़ाई के उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम है क्योंकि समान मशीनों का उपयोग करके आकार को बदला जा सकता है ।

viii. घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी में कोई अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी के साथ तुलनीय है। हालांकि, प्रत्येक निर्माता आवश्यकताओं और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाता है ।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं । उपभोक्ता दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु है ।

x. प्राधिकारी निम्नलिखित के आधार पर पीसीएन का निर्धारण कर सकते हैं :

(क) कच्ची सामग्री अर्थात माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील ग्रेड 202और ग्रेड 304

(ख) क्लोजिंग टाइप अर्थात सॉफ्ट/क्लोज/पुश ऑफ और नियमित क्लोजिंग

(ग) लोड बेयरिंग क्षमता अर्थात हेवी ड्यूटी (≥ 90 कि.ग्रा.) तथा हेवी ड्यूटी के अलावा ।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

26. जांच शुरुआत की अवस्था में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद (इसे ''पीयूसी'' के रूप में भी कहा गया है) इस प्रकार है :-

''4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर"है, जिसे ड्रॉअर रनर/चैनल/ सॉफ्ट क्लोज टेलीस्कोपिक चैनल के रूप में भी जाना जाता है । इसका उपयोग सामान्य तौर पर दराजों में किया जाता है, जिनका उपयोग वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है । यह एक छोटा उपकरण है जो दराज के बंद और खुले होने पर द्रव की गति को सरल बनाने में मदद करता है । टेलीस्कोपिक चैनल या रनर आधुनिक फर्नीचर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक है जो दराज की कार्यक्षमता और सौंदर्यता को बढ़ाते हैं ।

5. इसमें दो या दो से अधिक इंटरलॉकिंग धातु खंड होते हैं जो दराज के खुलने और बंद होने पर फैलते और पीछे हटते हैं । टेलीस्कोपिक चैनल या रनर का उपयोग सामान्य तौर पर फर्नीचर, अलमारियों और उपकरणों में किया जाता है, जिन्हें भंडारण स्थान तक आसान पहुंच की आवश्यकता होती है ।

6. जबकि उत्पाद को कई अलग-अलग आकार और किस्मों में उत्पादित किया और बेचा जाता है,इनकी भार के मामले में अनिवार्य रूप से तुलना की जा सकती है। उत्पाद के आकार में परिवर्तन से उत्पादन की इकाई लागत और बिक्री (भार के आधार पर) में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं होता ।

7. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 83 के तहत उप शीर्ष 83024110, 83024190, 83024200, और 83024900के तहत वर्गीकृत किया गया है । सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और इस जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है ।

27. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद एच एस कोड 83024110 और 83024190 के तहत वर्गीकृत नहीं है और इनमें उप शीर्ष "भवन के लिए उपयुक्त" , 'डोर नाक, डोर हैंडल, और "दरवाजे तथा खिड़कियों" आदि की फिटिंग शमिल है । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद में एक समर्पित एच एस कोड नहीं है । इसे 8302 के तहत वर्गीकृत किया गया है । डी जी सी आई एंड एस से लेनदेन-वार आयात के लिए प्राप्त आंकड़ों की जांच करने पर यह देखा गया कि विचाराधीन उत्पाद को 83024110, 83024190, 83024200, और 83024900 सहित विभिन्न कोड के तहत आयात किया गया है । हालांकि यह सीमा शुल्क अधिकारियों को तय करना है कि क्या आयातकों ने उचित रूप से सीमा शुल्क वर्गीकरण की घोषणा की है, क्योंकि प्राधिकारी किसी उत्पाद को विवरण के आधार पर परिभाषित करते हैं । यदि उक्त उत्पाद को किसी अन्य एच एस वर्गीकरण के तहत आयात किया गया है, तो प्राधिकारी को न केवल प्रस्तावित निर्धारण के प्रयोजन के लिए इसे शामिल करना आवश्यक है, बल्कि इसके लिए उपाय की सिफारिश करना भी आवश्यक हैं। यह अतिरिक्त रूप से महत्वपूर्ण और आवश्यक है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क केवल तभी लगाया जा सकता है, जब प्राधिकारी द्वारा निर्धारित एच एस कोड में ऐसे एच एस कोड शामिल हों। तथापि, यह स्पष्ट किया गया है कि केवल इसलिए कुछ एचएस कोड जिन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल किया गया है, का यह अर्थ नहीं है कि उस एचएस कोड के अंतर्गत कोई आयात प्रस्तावित उपाय के अधीन होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि एडीडी केवल तभी देय है यदि आयातित उत्पाद का वर्णन वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के वर्णन के अनुरूप हो, चाहें कुछ उत्पाद को किसी विनिर्दिष्ट एचएस कोड के अंतर्गत आयात करने का अनुरोध किया गया हो।

28. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया, जिसमें हितबद्ध पक्षकारों ने अनेक बहिष्करण की मांग की है ।

29. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने किचिन और बेड रूम फिटिंग (जैसे ट्राउजर पुल आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक), स्लिम बॉक्स / स्लिम एर्गो, अल्ट्रा स्लिम बॉक्स, सुपर स्लिम एर्गो, लेग्रा बॉक्स, टेंडम बॉक्स (दराज), इकोनो बॉक्स, लेग्रा बॉक्स, टेंडम बॉक्स (दराज), स्लिम टेडम बॉक्स डबल वाल बाक्स, कंपैक्ट बॉक्स स्लिम लाइन टेंडम बाक्स, डबल वाल दराज, मैट्रिक्स बॉक्स आदि जैसे उत्पादों को बाहर रखने की मांग की है। यह भी बताया गया है कि उनकी उत्पादन प्रक्रिया, प्रयोग, भौतिक विशेषताएं आदि टेलिसकोपिक चैनल से अलग हैं

और ये मूल्यवर्धित उत्पाद हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग भी यह कहते हुए इन्हें बाहर रखने पर सहमत हुआ है कि इन उत्पादों की सीमित मांग है।

30. तथापि, जहां तक अंडर माउंट स्लाइड, जिंक कोटेड स्लाइड, साफ्ट क्लोज स्लाइड पुश ओपेन स्लाइड, स्टेनलेस स्टील स्लाइड, हैवी ड्यूटी स्लाइड अलग-अलग चौड़ाई की स्लाइड अलग-अलग फाल की फिगरेशन की स्लाइड आदि जैसे अन्य उत्पादों को बाहर रखने का संबंध है। यह नोट किया गया है कि अपवर्जन के ये दावे साक्ष्य से सिद्ध नहीं किए गए थे। हितबद्ध पक्षकारों का यह दावा भी नहीं है कि ऐसे उत्पाद इतने भिन्न हैं कि इन्हें अलग उत्पाद और वर्तमान जांच के विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर कर दिया जाए । हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी स्थापित नहीं किया है कि ये उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उत्पादों के साथ व्यावसायिक और तकनीकी तौर पर प्रतिस्थापन करने योग्य नहीं हैं । यह नोट किया गया है कि विभिन्न उत्पाद टाइप, जिन्हें बाहर किए जाने की मांग की गई है, वे या तो घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित किए गए जा रहे हैं या कोई विशिष्ट उत्पाद नहीं हैं, बल्कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मात्र एक वैकल्पिक नाम है । प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद की प्रकृति को भी नोट करते हैं जिसमें उत्पाद के रूप में थोड़े से अंतर हैं। यद्यपि थोड़ी से भिन्न कच्ची सामग्री या घटक का प्रयोग संभव है। भिन्न कच्ची सामग्री या घटक का केवल प्रयोग करने से उत्पाद बिल्कुल भिन्न नहीं हो जाता है और यह वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के रूप में परिभाषित उत्पाद से अलग नहीं हो जाता है।

31. जहां तक नायलॉन सिलेंडरीकल रोलर, नायलॉन रोलर की दराज (ड्रॉअर) प्रणाली के साथ दराज रनर के लिए मांग किए गए बहिष्करण का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ये संबद्ध वस्तुएं हैं, जिनमें नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर हैं । नायलॉन सिलेन्डरीकल रोलर केवल एक रोलर तंत्र है और एक खरीद किया गया घटक है । इन्हें खरीद कर लगाया जा रहा है । विभिन्न प्रकार के रोलर का उपयोग उत्पाद को एक अलग उत्पाद के रूप में प्रस्तुत नहीं करता । नायलान सिलेंडरीकल रोलर वाले ड्रॉअर रनर सिस्टम में तंत्र बॉल बियरिंग तंत्र से अलग नहीं है। तथापि, उत्पाद की अनिवार्य विशेषताएं टेलिसकोपिक चैनल के लिए बॉल बियरिंग के समान ही रहती हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग हो सकते हैं। यदि नायलान सिलेंडरीकल रोलर वाला ड्राअर रनर उपलब्ध न हो तो बाल बियरिंग वाले डाअर रनर का प्रयोग किया जा सकता है और वह समान कार्य करेगा।

32. जहां तक अंडरमाउंट स्लाइड के बहिष्करण का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि ये भी चैनल ड्रॉअर स्लाइडर हैं । अंडरमाउंट स्लाइड चैनल ड्रॉअर स्लाइडर हैं, जिनमें संबद्ध वस्तु के स्थान का अंतर होता है अर्थात ड्रॉअर के नीचे होता है । किसी भी स्थिति में, घरेलू उत्पादक भी संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और बाजार में उसकी बिक्री कर रहे हैं और इस प्रकार इन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल करना अपेक्षित है।

33. जहां तो कोटेड और प्लेटेड संबद्ध वस्तु का संबंध है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादक भी जिंक और ब्लैक कोटेड संबद्ध वस्तु का उत्पादन करते हैं।

34. जहां तक हैवी ड्यूटी स्लाइड और हैवी ड्यूटी बॉल बेयरिंग का संबंध है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि ये उत्पाद के केवल अलग-अलग टाइप हैं, जिनमें वस्तु की भार वहन करने की क्षमता का अंतर होता है । भारतीय उद्योग भी उच्च भार वहन करने वाली संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री कर रहा है ।

35. जहां तक सॉफ्ट क्लोज, पुश ओपन आदि का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि ये केवल संबद्ध वस्तुओं से संबद्ध अलग-अलग ओपनिंग और क्लोजिंग तंत्र है । इन तंत्रों का उपयोग होने से इन उत्पादों को असमान वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता। ये तंत्र पीयूसी के उत्पादकों के लिए खरीदी गई मदें हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उत्पादक भी इन वेरिएंट का निर्माण करते हैं और इसीलिए उन्हें विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करना आवश्यक नहीं है ।

36. जहां तक चैनल ड्रॉअर की विभिन्न चौड़ाई होने का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि सामान्यत: उपयोग में लाई जाने वाली संबद्ध वस्तुएं 45 मि.मी. चौड़ाई की है । अलग-अलग चौड़ाई वाले उत्पाद का उत्पादन करने के लिए केवल उपकरणों का समायोजन करने की जरुरत होती है । कोई भी निर्माता मशीनरी का समायोजन कर सकता है और विभिन्न आकार में उत्पादन कर सकता है । विभिन्न चौड़ाई के उत्पाद में अनिवार्य रूप से समान विशेषताएं होती हैं और ये तकनीकी तथा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय होते हैं। तथापि, घरेलू उत्पादक भिन्न-भिन्न चौड़ाई के चैनल दराजों का उत्पादन भी करते हैं।

37. जहां तक 3-बॉल, 4-बॉल, 5 - बॉल और 6-बाल कांफिगुरेशन वाली संबद्ध वस्तुओं के बीच अंतर होने का संबंध है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह केवल बॉल बेयरिंग लगाए जाने की संख्या के बारे में है । इन्हें ग्राहकों की जरूरत के आधार पर उत्पादकों द्वारा

समायोजित किया जा सकता है । ये विचाराधीन उत्पाद की केवल किस्में हैं। घरेलू उद्योग भी इन टाइप के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करता है ।

38. उपर्युक्त के मद्देनजर विचाराधीन उत्पाद निम्नानुसार है:

'' वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉवर स्लाइडर" है, जिसे ड्रॉअर रनर/चैनल/ सॉफ्ट क्लोज टेलीस्कोपिक चैनल के रूप में भी जाना जाता है । इसका उपयोग सामान्य तौर पर दराजों में किया जाता है, जिनका उपयोग वस्तुओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है । यह एक छोटा उपकरण है जो दराज के बंद और खुले होने पर द्रव की गति को सरल बनाने में मदद करता है । टेलीस्कोपिक चैनल या रनर आधुनिक फर्नीचर डिजाइन का एक अनिवार्य घटक है जो दराज की कार्यक्षमता और सौंदर्यता को बढ़ाते हैं ।

इसमें दो या दो से अधिक इंटरलॉकिंग धातु खंड होते हैं जो दराज के खुलने और बंद होने पर फैलते और पीछे हटते हैं । टेलीस्कोपिक चैनल या रनर का उपयोग सामान्य तौर पर फर्नीचर, अलमारियों और उपकरणों में किया जाता है, जिन्हें भंडारण स्थान तक आसान पहुंच की आवश्यकता होती है ।

तथापि, किचिन और बेड रूम फिटिंग (जैसे ट्राउजर पुल आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक), स्लिम बॉक्स / स्लिम एर्गो, अल्ट्रा स्लिम बॉक्स, सुपर स्लिम एर्गो, लेग्रा बॉक्स, टेंडम बॉक्स (दराज), इकोनो बॉक्स, स्लिम टेंडम बॉक्स, डबल वाल बाक्स, कंपैक्ट बॉक्स, स्लिम लाइन टेंडम बाक्स, डबल वाल दराज, मैट्रिक्स बॉक्स जैसे उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे से विशेष से बाहर हैं। विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर ऐसे उत्पादों के वर्णात्मक चित्र संदर्भ के लिए नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	*उत्पाद*	*वर्णात्मक उत्पाद चित्र*	
		चित्र-1	*चित्र-2*

क्र.सं.	उत्पाद	वर्णानात्मक उत्पाद चित्र	
		चित्र-1	चित्र-2
1.	ट्राउजर पुल आउट (कपड़े टांगने के लिए प्रयुक्त रॉड और हुक के साथ मूल्यवर्धित उत्पाद)		
2.	स्लाइड माउंटेड टाई रैक (टाई और बेल्ट को व्यवस्थित रखने के लिए हुक के साथ स्लाइड माउंटेड टाई रैक)		
3.	स्लिम बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		

क्र.सं.	उत्पाद	वर्णानात्मक उत्पाद चित्र	
		चित्र-1	चित्र-2
4.	अल्ट्रा स्लिम बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)	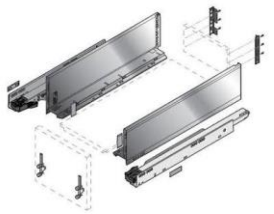	
5.	लेग्रा बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		
6.	टेंडेम बॉक्स (ड्रॉअर) (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		

क्र.सं.	उत्पाद	वर्णानात्मक उत्पाद चित्र	
		चित्र-1	चित्र-2
7.	स्लिम टेंडेम बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)	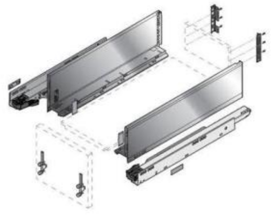	
8.	डबल वॉल बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		
9.	कॉम्पैक्ट बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		

क्र.सं.	उत्पाद	वर्णानात्मक उत्पाद चित्र	
		चित्र-1	चित्र-2
10.	स्लिम लाइन टेंडेम बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		
11.	डबल वॉल ड्रॉअर (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		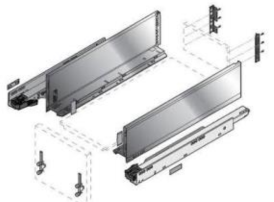

क्र.सं.	उत्पाद	वर्णानात्मक उत्पाद चित्र	
		चित्र-1	चित्र-2
12.	मैट्रिक्स बॉक्स (दूरबीन चैनल पर लगे 2 डबल दीवार वाले साइड पैनल के साथ दराज प्रणाली)		

39. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों से पीसीएन पद्धति पर टिप्पणियों की मांग की । हितबद्ध पक्षकारों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया था ताकि हितबद्ध पक्षकार अपने विरोध स्वरूप विचार प्रकट कर सकें और अपना खंडन प्रस्तुत कर सकें । इन हितबद्ध पक्षकारों के साथ हुई चर्चा के उपरांत, हितबद्ध पक्षकारों को अपने तर्क लिखित रूप में प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान किया गया था।

40. प्राधिकारी घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करने के बाद, यह नोट करते हैं कि स्टील, टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर का उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री है, जो इसकी लागत का 75-80 प्रतिशत हिस्सा है और इस प्रकार संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद का उत्पादन माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील या किसी अन्य सामग्री को उपयोग में लाकर किया जा सकता है । प्रयुक्त कच्ची सामग्री के आधार पर उत्पाद की लागत में काफी अंतर होता है । हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं दर्शाया है कि पीसीएन मानदंडों के रूप में शामिल करने के लिए बताए गए अन्य मापदंड से संबद्ध वस्तु की लागत और कीमत में विशेष रूप से तब अंतर होता है जब कच्ची सामग्री का स्वयं लागत में 75-80 प्रतिशत हिस्सा बनता है। तदनुसार, निम्नलिखित पीसीएन को अंतिम रूप दिया गया और दिनांक 30.11.2023 की सूचना सं. 6/13/2023-डीजीटीआर के तहत

हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया, जिसकी एक प्रति डी जी टी आर की वेबसाइट पर भी डाली गई थी। यह पीसीएन पद्धति पाटन मार्जिन, क्षति मार्जिन और कीमत कटौती के निर्धारण के लिए अपनाई गई है।

क्र.सं.	मापदंड	पीसीएन	कोड
1	माइल्ड स्टील से निर्मित चैनल	एमएस	एमएस
2	स्टेनलेस स्टील से निर्मित चैनल	एसएस	एसएस
3	अन्य सामग्री से निर्मित चैनल	ओएस	ओएस

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु और संबद्ध देश से आयात किया गया विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तुएं नियमानुसार समान वस्तु हैं । ये दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से प्रतिस्थापन योग्य हैं । प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के दायरे और तात्पर्य से संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु है ।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और उसकी स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

42. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. कोई एसोसिएशन नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार एक आवेदन दायर कर सकती है, लेकिन उसे आवेदन के साथ में साक्ष्य प्रदान करने की जरूरत होती है ताकि यह साबित हो सके कि वे नियम 2(ग)(ii) के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार होने के लिए योग्य हैं ।

ii. हाईहोप को एक योग्य एसोसिएशन के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि उन्होंने आवश्यक सूचना जैसे कि पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, संगम ज्ञापन, समर्थन, विरोध या तटस्थ रहने वाले सदस्यों की सूची आदि प्रस्तुत नहीं की है, जो कि घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है ।

iii. न तो एसोसिएशन ने और न ही प्राधिकारी ने पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानी जाने वाली कंपनियों के बारे में कोई जानकारी प्रदान की है, जिसके आधार पर जांच हो सके ।

iv. नियमावली के नियम 5(3) के साथ नियम 5(4) का पठन करने की आवश्यकता है। एक बार, जब प्राधिकारी नियम 5(4) के तहत स्वत: जांच शुरू कर देते हैं, तब भी उसे घरेलू उद्योग के निर्धारण, घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने आदि की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है ।

v. जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों के अनुसार प्राधिकारी ने ऐसे सैम्पल उत्पादकों की सूची भेजी, जिन्हें नियमावली के नियम 2(ख) के तहत "घरेलू उद्योग" के रूप में माना गया है ।

vi इस बात की कोई भी सूचना नहीं दी गई है कि सैम्पल का चयन कब हुआ, सैम्पल उत्पादकों का चयन करते समय प्राधिकारी द्वारा क्या पद्धति अपनाई गई। अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपनाई गई प्रक्रिया पर टिप्पणी करने के लिए अवसर से वंचित कर दिया गया है ।

vii. कथित "समर्थकों" ने प्रस्तुत करने योग्य अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की है और इसीलिए उन्हें "समर्थक" नहीं माना जाना चाहिए ।

viii. जेनिल टेक्नो पात्र घरेलू उद्योग नहीं हो सकता है। वह सही ढंग से कार्य करने में विफल रहा है और उसने गलत घोषणा की है। प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में सुनवाई के किसी अवसर के बिना सभी सहयोगी उत्पादकों के निर्यात कीमत को अस्वीकार किया है। यदि जेनिल टेक्नो को घरेलू उद्योग माना जाए तो प्राधिकारी को प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त सभी स्पष्टीकरण भी स्वीकार करने चाहिए और अलग-अलग दर निर्धारित करनी चाहिए। प्रतिवादियों ने प्रश्नावली के उत्तर में डीजी

सिस्टम के साथ अपनी तारीख का मिलान किया था। सभी समर्थक उत्पादकों ने क्षति संबंधी मूल सूचना दी है। इसके अलावा, यदि आवेदकों का कुल उत्पादन में 25 प्रतिशत से कम हिस्सा है तो कोई जांच शुरू नहीं की जा सकती है।

ix. प्राधिकारी ने आकलन किया कि 25 उत्पादकों में से किसी से पीयूसी का आयात नहीं किया है। तथापि, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज, बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, राजहंस टेक्नोक्राफ्ट, राजकोट एवरविन हार्डवेयर एलएलपी, सुकेतु एंटरप्राइज और जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज ने संबंध वस्तु का आयात किया है।

x. घरेलू उत्पादकों द्वारा आयात की मात्रा प्रारंभिक चिंता का कारण नहीं है। आवेदक ने गलत घोषणा करके और यह बताकर कि उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी को गुमराह करने का प्रयास किया है।

xi. जेनिल टेक्नो द्वारा किए गए आयात केवल पीओआई तक सीमित नहीं थे बल्कि ये क्षति अवधि के दौरान और यहां तक कि पीओआई के बाद भी जारी रहे। इससे साबित होता है कि आयात केवल परीक्षण के लिए नहीं थे, बल्कि भारतीय बाजार में पीयूसी की आपूर्ति के लिए थे।

xii. आयातों का वास्तविक कारण आयातित उत्पादों के आवेदक की उत्पाद रेंज के भीतर नहीं होना है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

43. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किए गए हैं:-

i. टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर ने भारतीय विनिर्माताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे एसोसिएशन तथा कई निर्यातकों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया, जिसमें यह कहा गया कि चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात में वृद्धि होने के कारण भारत में उद्योग को क्षति हो रही है ।

ii. उद्योग अत्यधिक विखंडित है और बड़ी मात्रा में एमएसएमई श्रेणी से संबंधित घरेलू उत्पादक शामिल हैं । हाईहोप भारत में संबद्ध वस्तु के 25 उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है ।

iii. प्राधिकारी द्वारा भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात उत्पादकों से मांग किए गए उत्पादन विवरण पर एसोसिएशन ने आंकड़ों की उपलब्धता के अधीन भारतीय उत्पादन का एक विवरण प्रदान किया । एसोसिएशन के सदस्यों का उत्पादन आंकड़ा 17 प्रतिवादी सदस्यों के संबंध में दिया गया था । इन कंपनियों के पास साझा तौर पर पात्र घरेलू उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है ।

iv. एसोसिएशन ने एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से जांच शुरूआत होने के बाद अनुरोध भी दायर किए । प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित सैम्पल कंपनियों तथा घरेलू उद्योग के रूप में मानी गई कंपनियों ने जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों के साथ लागत और क्षति की सूचना दर्ज की :

क) जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
ख) स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज
ग) सुकेतु एंटरप्राइज
घ) कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
ड.) विनायक स्लाइड एलएलपी

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

44. नियमावली का 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं। ऐसे मामले ''घरेलू उद्योग'' शेष उत्पादकों को समझा जाएगा।

45. प्राधिकारी को 25 कंपनियों से पाटित और क्षतिकारी आयातों से समाधान की मांग के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए । विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने में शामिल हाईहोप के 25 सदस्यों की सूची इस प्रकार है :-

i. एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज
ii. अग्रवाल प्लाईवुड इंडस्ट्रीज
iii. एलमेटल इंडस्ट्रीज
iv. अनिरवेद इंडस्ट्रीज
v. एरोविन मेटलटेक (आई) प्राइवेट लिमिटेड
vi. बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
vii. ईसेन हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
viii. ग्लिडोक्स हार्डवेयर
ix. ग्लोरियस ग्रुप ऑफ कंपनी
x. हार्डवेल इंडस्ट्रीज
xi. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज
xii. खेतान उद्योग
xiii. कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
xiv. कृणापाल हार्डवेयर एलएलपी
xv. पार्क वुड
xvi. पार्को हार्डवेयर एलएलपी
xvii. राजेंद्र इंजीटेक एलएलपी
xviii. राजहंस टेक्नोक्राफ्ट
xix. राजकोट एवरविन हार्डवेयर एलएलपी
xx. रेनो स्लाइड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
xxi. स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज
xxii. सुकेतु एंटरप्राइज
xxiii. सन प्लास्टिक
xxiv. विनायक इंटरनेशनल
xxv. विजन स्लाइड एलएलपी

46. इन अभ्यावेदनों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना मांगी है :

क. विचाराधीन उत्पाद, विभिन्न प्रारूप, टाइप/साइज, निर्माण प्रक्रिया आदि ।

ख. भारत में उत्पाद के घरेलू उत्पादकों का ब्यौरा

ग. उत्पादन की लागत के अनुमान

घ. भारत में उत्पाद के आयात

ड. देश में पाटन के कारण भारतीय उद्योग को क्षति

च. क्या क्षति पाटन के कारण से थी।

47. यद्यपि, इन पक्षकारों ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप और तरीके से आवेदन दायर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इन अभ्यावेदनों में नियम 5(3) के तहत अपेक्षित सूचना शामिल थी । इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि भारत में विचाराधीन उत्पाद की उत्पादक माइक्रो कंपनियां हैं और उद्योग खंडित है ।

48. अत: प्राधिकारी ने इन अभ्यावेदनों में निहित विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए और इन अभ्यावेदनों में निहित सूचना की सटीकता और पर्याप्तता पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद, स्वत: वर्तमान जांच शुरू की ।

49. एसोसिएशन ने भारतीय उत्पादन की मात्रा *** एमटी बताई है।

50. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अनुसार उत्पादन और बिक्री की मात्रा तथा कंपनी के आकार (बड़ी या मध्यम) के आधार पर निम्नलिखित भारतीय उत्पादकों को सैंपल किया है और उन्हें लागत तथा क्षति निर्धारण सूचना देने का निर्देश दिया है।

क) जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज

ख) स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज

ग) सुकेतु एंटरप्राइज

घ) कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

ड.) विनायक स्लाइड एलएलपी

च) बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी

51. लागत निर्धारण की सूचना की प्राप्ति पर यह नोट किया गया था कि नमूना उत्पादक केवल माइल्ड स्टील (एमएस) के प्रयोग से पीयूसी का उत्पादन कर रहे थे और इसलिए प्राप्त सूचना में सभी प्रकार की कच्ची सामग्री शामिल नहीं है। अत: नमूना उत्पादकों के दायरे को

बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक भारतीय उत्पादक के रूप में समान उत्पाद के निर्माण के लिए स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करने वाली कंपनी के रूप में शामिल करके बढ़ाया गया था।

52. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि एसोसिएशन को एक पात्र एसोसिएशन के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन्होंने पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, संगम ज्ञापन, जिन सदस्यों ने समर्थन किया, विरोध किया या तटस्थ रहे, उनकी सूची आदि जैसी आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है जोकि जांच शुरूआत करने से पूर्व घरेलू उद्योग की स्थिति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होती है । इस संबंध में यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच संबद्ध वस्तु के अनेक भारतीय उत्पादकों और उनकी एसोसिएशन से प्राप्त अनेक अभ्यावेदनों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा स्वत: शुरू की गई थी। इस प्रकार औपचारिक आवेदन के जरिए विशिष्ट रूप से अपेक्षित सूचना जांच की शुरूआत से पहले आवश्यक नहीं थी। जांच शुरूआत के बाद प्राधिकारी को ऐसोसिएशन तथा घरेलू उत्पादकों से अनुरोध और प्रश्नावली के उत्तर प्राप्त हुए थे। एसोसिएशन ने अधिनियमन प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन, संघ के नियम, सदस्यों की सूची (जिनमें से सभी ने उत्तर प्रस्तुत करने और एडीडी लागू करने का सर्वसम्मति से समर्थन किया), कार्यकारी निकाय के ब्यौरे, बैठक का कार्यवृत्त प्रस्तुत किया था। एसोसिएशन ने आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) का उत्तर भी प्रस्तुत किया था।

53. प्राधिकारी को डोरसेट इंडस्ट्रीज प्रा. लि., जिसने अपने आपको टेरिस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर और एक संभावित घरेलू उत्पादक के रूप में निर्धारित किया, से अनुरोध प्राप्त हुआ। कंपनी ने पाटनरोधी जांच के लिए समर्थन व्यक्त किया और संबद्ध आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है ।

54. रिकार्ड पर उपलब्ध सूचना से यह देखा गया है कि जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज, स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज, सुकेतु इंटरप्राइज, किचारा स्लाइडर्स (इंडिया)प्रा.लि. विनायक इंटरनेशनल और बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उत्पादन *** एमटी है । इसके अतिरिक्त भारतीय उत्पादन *** एमटी के रूप में निर्धारित किया गया है । इस प्रकार, इन भागीदार कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 38 प्रतिशत है । इस प्रकार से इन कंपनियों का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है

55. हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि घरेलू उत्पादक जैसे जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज, सुकेतु एंटरप्राइज, राजहंस टेक्नोक्राफ्ट, राजकोट एवरविन हार्डवेयर और बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड

मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात किया है। प्राधिकारी ने तथ्यों की जांच की है और निम्नानुसार नोट किया है:

क. **जेनिल टेक्नो इंडस्ट्री** - इस कंपनी ने पीओआई में *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है जैसा डीजी सिस्टम के आंकड़ों में प्रदर्शित है। यह आयात जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज आयातित संबद्ध वस्तु की पुष्टि करता है। घरेलू उद्योग ने यह बात अपने लिखित अनुरोध में भी बताई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि आयातों की यह मात्रा भारतीय उत्पादन अर्थात *** प्रतिशत, भारतीय खपत अर्थात *** प्रतिशत के संबंध में मामूली है।

ख. **सुकेतु एंटरप्राइज** - इस कंपनी ने पीओआई में *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है जैसा डीजी सिस्टम के आंकड़ों में प्रदर्शित है। यह आयात सुकेतु एंटरप्राइज आयातित संबद्ध वस्तु की पुष्टि करता है। घरेलू उद्योग ने यह बात अपने लिखित अनुरोध में भी बताई है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि आयातों की यह मात्रा भारतीय उत्पादन अर्थात *** प्रतिशत, भारतीय खपत अर्थात *** प्रतिशत के संबंध में मामूली है।

ग. **बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी** - इस कंपनी ने चीन जन. गण. से पीओआई में आयात किया है। डीजी सिस्टम के आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध की पुष्टि करते हैं। तथापि घरेलू उत्पादक ने बताया कि उसने चीन जन. गण. से पीओआई में मशीनों का आयात किया है। चीन के विक्रेताओं ने भी मशीनों से उत्पादों को लाने और आपूर्ति करने की मशीनरी का परीक्षण किया है। घरेलू उत्पादक ने पोत लादान का खरीद बीजक और साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। यह नोट किया गया था कि आयात मशीनों के साथ किए गए थे। यह बताया गया है कि ऐसी आयातित वस्तुओं का आगे व्यापार नहीं हुआ है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि ऐसे आयातों की यह मात्रा भारतीय उत्पादन अर्थात *** प्रतिशत, भारतीय खपत अर्थात *** प्रतिशत के संबंध में मामूली है।

घ. **राजहंस टेक्नोक्राफ्ट और राजकोट एवरविन हार्डवेयर** - इन उत्पादकों के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि इन उत्पादकों को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना गया है। इसके अलावा, डीजी सिस्टम के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजकोट एवरविन हार्डवेयर

एलएलपी ने संबद्ध वस्तु का आयात किया है जबकि राजहंस टेक्नोक्राफ्ट ने नहीं किया है। चूंकि इन कंपनियों को वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग नहीं माना गया है। इसलिए इन कंपनियों द्वारा आयात नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग बनाने वाली नमूना कंपनियों की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है।

56. उक्त के मद्देनजर यह नाटे किया गया है कि बटरफ्लाई ड्रावर, जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज और सुकेतु एंटरप्राइज नमूना उत्पादकों का हिस्सा है जिनकी सूचना पर क्षति के निर्धारण के लिए विचार किया गया है और उन्होंने संबद्ध वस्तु का आयात किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उनके पास ऐसे उत्पादकों को शामिल करने या बाहर रखने का विवेकाधिकार होता है। घरेलू उद्योग ने यह माना है कि पीओआई में इन पक्षकारों द्वारा आयात किए गए थे। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दायरे से घरेलू उत्पादकों को शामिल करने या बाहर रखने का निर्णय लेते समय निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है:

i. जांच के अधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन का प्रतिशत जिस पर संबंधित उत्पादकों द्वारा विचार किया गया है।

ii. क्या संबंधित उत्पादकों द्वारा जांच के अधीन उत्पाद का आयात उन्हें पाटन के लाभ या उसके विरुद्ध रक्षा या उसके प्रभाव से बचाता है।

iii. क्या संबंधित पक्षकारों को बाहर रखने से उद्योग के शेष सदस्यों के आंकड़े अनावश्यक रूप से विषम हो जाएंगे।

iv. घरेलू उत्पादन को उत्पादकों द्वारा दर्शाई गई प्रतिबद्धता का स्तर या दीर्घावधिक प्रकृति है जो आयात कार्यकलापों के विरुद्ध है।

v. संबंधित उत्पादकों के लिए घरेलू उत्पादन के आयात पोत लादान का अनुपात ।

57. बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द्वारा आयातित वस्तु का व्यापार नहीं हुआ है, बल्कि उसका पहले उत्पादन और उसके बाद केवल वस्तुओं की गुणवत्ता परीक्षण के लिए आयात हुआ है जिसे मशीनरी के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाएगा। कंपनी ने खरीदी गई मशीनों के प्रचालन की जांच के लिए मशीनरी में उत्पादित नमूना उत्पादों के रूप में संबद्ध वस्तु का आयात किया है।

58. जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज ने *** एमटी संबद्ध वस्तु का आयात किया है। आयातों की मात्रा कुल आयातों और भारत में मांग तथा उत्पादन और बिक्री की तुलना में मामूली है। उत्पादक का मुख्य व्यवसाय संबद्ध वस्तु का उत्पादन करना है।

59. यद्यपि प्राधिकारी मानते हैं कि कंपनी की ओर से की गई चूक सहीं नहीं थी तथापि, उत्पादन के लिए उनकी और काफी वचनबद्धता को देखते हुए और इन आयतों की नगण्य मात्रा के आलोक में यह तथ्य कि तथ्य को प्रकट नहीं करने से कंपनी को कोई अनावश्यक लाभ नहीं हुआ या हितबद्ध पक्षकारों के लिए पक्षपात नहीं हुआ, प्राधिकारी पाते हैं कि ऐसे गैर प्रकटन से कोई खराब नि:तार्थ नहीं होते हैं। यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी को वर्तमान मामले में यदि इन उत्पादकों ने जांच शुरूआत के समय ऐसे आयातों को बताया होता तो इन्हें अपात्र नहीं माना गया होता। प्राधिकारी ने उस स्थिति में भी कंपनी को योग्य माना होता।

60. प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि नमूना घरेलू उत्पादक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उत्पादक हैं और ये घरेलू उत्पादक एडी नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मानदंडों को पूरा करते हैं।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों विचार

61. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

i. जांच शुरूआत अधिसूचना जारी होने के बाद आवेदक से आवेदन का अद्यतन अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाना चाहिए । एसोसिएशन ने अभ्यावेदन के अगोपनीय पाठ में पर्याप्त सूचना प्रदान नहीं की है । गोपनीय होने का दावा किए गए आंकड़ों के लिए अभ्यावेदन में सूचीबद्ध संख्याएं नहीं दी गई हैं।

ii. याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध आयात की मात्रा और मूल्य के आकलन के लिए अपनाए गए आयात संबंधी आंकड़ों के सटीक स्रोत का प्रकटन नहीं किया है ।

iii. नॉन सैम्पल उत्पादकों, जिन्हें संबद्ध जांच में समर्थकों के रूप में पेश किया गया है, के यदि किसी अगोपनीय पाठ को छोड़ भी दें, तो उन्होंने अपने आर्थिक मापदंडों से संबंधित मूलभूत सूचना दाखिल नहीं की है ।

iv. याचिकाकर्ता ने अपनाई गई आयात पृथक्करण पद्धति का प्रकटन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, विचाराधीन उत्पाद के आयात सेट में और जोड़े में किए जाते हैं। याचिकाकर्ताओं ने भार को सेट, जोड़े या पीस से आंकड़ों को कि.ग्रा. या मी.टन में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण आधार का भी प्रकटन नहीं किया है।

v. याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण प्रमाण पत्र, संगम ज्ञापन, एसोसिएसन के सदस्यों की सूची आदि जैसे दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं जो कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन के लिए प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है ।

vi याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन उत्पाद की विनिर्माण प्रक्रिया पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया है, भले ही दो से अधिक उत्पादक हैं और यह प्रक्रिया सामान्य और सामान्य एवं सुविख्यात है । इसी प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने इसके आर्थिक मापदंडों के संबंध में समग्र सूचना प्रदान नहीं की है, बल्कि केवल सूचीबद्ध क्रम में आंकड़ा प्रदान किया है ।

vii. उचित न्यायसंगत आधार दिए बिना कतिपय सूचना के लिए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है। प्राधिकारी ऐसी किसी सूचना को तब तक गोपनीय नहीं मान सकते हैं जब तक उसे देने वाले पक्षकार द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा दावा नहीं किया जाए।

viii. पाटन मार्जिन संशोधित किया गया था। आवेदक को पाटन मार्जिन की रेंज बतानी चाहिए।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

62. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

i. बाजार आसूचना से आयात आंकड़ों पर आयात की मात्रा और मूल्य के आकलन हेतु जांच शुरूआत के बाद के अनुरोधों में भरोसा किया गया है। वास्तव में यद्यपि घरेलू

उद्योग द्वारा प्रयुक्त स्रोत और पद्धति में अंतर हो सकता है। तथापि, प्राधिकारी ने अब डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों पर भरोसा किया है जो आयातों के बिल्कुल सही आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। किलोग्राम में सेट के परिवर्तन के संबंध में घरेलू उद्योग ने अपने स्वयं के उत्पाद के वास्तविक भार का संदर्भ के रूप में प्रयोग किया है।

ii. पंजीकरण प्रमाण पत्र, उप कानूनों की प्रति, एमओए, एसोसिएशन के सदस्यों की सूची, कार्यकारी निकाय के ब्यौरे और प्रबंधन ढांचा आदि जैसी सूचना आर्थिक हित प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत की गई है।

iii. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में सूचना का पर्याप्त अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया है। कथित रूप से छिपाई गई सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध प्रस्तुत करने को बाधित नहीं करती है।

iv. घरेलू उद्योग ने अनुमानित पाटन मार्जिन जांच शुरूआत पूर्व अनुरोधों के अगोपनीय अंश में 50-60 प्रतिशत की रेंज में बताया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा 109 में पाटन मार्जिन की रेंज का भी प्रकटन किया है।

v. कमी संबंध पत्रों एएनसीवी उत्तर को घरेलू उद्योग को भी उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसा नहीं करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। घरेलू उद्योग असहाय है, गैर परिचालन के कारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत उत्तर को स्वीकार या अस्वीकार करने संबंधी प्रभावी टिप्पणी करने में असमर्थ है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

63. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया है ।

64. चना की गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7-में निम्नानुसार व्यवस्था है-:

''7. गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

65. ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच की गई । प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है । जहां संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निदेश दिया गया था । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय बताया है ।

66. जहां तक एसोसिएशन द्वारा उपयोग किए गए आयात संबंधी आंकड़ों के स्रोत का प्रश्न है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि एसोसिएशन ने आंकड़े के स्रोत को बाजार आसूचना के रूप में निर्दिष्ट किया है । प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए डी जी सी आई एंड एस के लेन देन वार आंकड़ों पर विचार किया है ।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

67. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन का एक्सेसन प्रोटोकोल समाप्त हो गया है और प्राधिकारी को चीन जन. गण. को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा देना चाहिए ओर अनुच्छेद 2 एडीए के अनुसार सामान्य मूल्य की गणना करनी चाहिए।

ii. इस आधार पर अस्वीकार करना कि आंकड़े डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। निर्यातकों को अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

iii. जहां प्राधिकारी ने निर्यातक को डीजी सिस्टम के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, वहां वे स्पष्टीकरण देने में समर्थ थे तो प्रस्तुत सूचना और डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों में अंतर क्यों है।

iv. डीजी सिस्टम के आंकड़ों पर आधारित अस्वीकृति निम्नलिखित कारणों से युक्तिसंगत नहीं है:

क. डीजी सिस्टम के आंकड़ों में बांडेड वेयर हाउस में आयात और बांडेड वेयर हाउस से सीमा शुल्क को बाद में अंतरण के आंकड़े शामिल है जिससे दोहरी गणना हुई है।

ख. डीजी सिस्टम के आंकड़े वायु मार्ग से आयातों की गणना नहीं करते हैं जिससे इनकी सत्यतता प्रभावित होती है।

ग. एसईजेड में सीधे आयात डीजी सिस्टम के आंकड़ों में दर्ज नहीं होते हैं।

घ. डीजी सिस्टम वस्तुओं की प्रकृति के अनुसार विभिन्न यूओएम में आयात दर्ज करता है जबकि प्राधिकारी ने भार का प्रयोग किया है जिससे विसंगति हुई है।

ड. डीजी सिस्टम के आंकड़ों में अनेक कोडों के अंतर्गत आयात शामिल हैं जबकि प्राधिकारी विशिष्ट कोडों पर फोकस करते हैं और इसलिए चयनित विचार के जरिए विसंगति होती है।

च. बंडल में बीजकीयकृत वस्तु में पीयूसी और एनपीयूसी दोनों शामिल हैं और डीजी सिस्टम के आंकड़ों में बंडल किया गया उत्पाद प्रदर्शित हो सकता है जिससे आंकड़ों में गड़बड़ी हो सकती है।

छ. डीजी सिस्टम में आयात कीमत दी गई है जबकि जांच में निर्यात कीमत पर फोकस हो सकता है और स्रोत में ऐसे अंतर से विसंगति हो सकती है।

ज. बीजक की तारीख और बिल प्रविष्टि की तारीख के बीच विसंगति से आयात आंकड़ों की सत्यतता प्रभावित हो सकती है।

झ. कुछ सौदे जिनके लिए पीओआई के दौरान बीजक बने हैं, भारत में पीओआई के बाद पहुंचे थे।

v. प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त आंकड़ों में मिलान के लिए महत्वपूर्ण सूचना नहीं है। जैसे बीजक संख्या, तारीख और उपभोक्ता / आयातक का नाम और इसलिए निर्यातक के लिए इन बीजकों का मिलान करना कठिन है।

vi प्राधिकारी ने हाइबाओ के उत्तर को अस्वीकार किया क्योंकि व्यापारी ने हाइबाओ से खरीद की सूचना नहीं दी। तथापि दोनों व्यापारियों ने अलग-अलग नाम अर्थात हाइहुई (हाइबाओ का ब्रांड नाम) के अंतर्गत खरीद की सूचना दी है। हाइबाओ द्वारा ऐसी व्यापारी के जरिए निर्यात जिसने उत्तर नहीं दिया है, निर्यात की उसकी कुल मात्रा के 10 प्रतिशत से कम है। इसलिए प्रश्नावली को अस्वीकृत नहीं करना चाहिए।

vii. डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार होंगली ने भारत को सीधे निर्यात किए हैं। तथापि, उसने अपने सीधे निर्यातों संबंधी जानकारी नहीं दी है। होंगली ने सीधे निर्यातों से संबंधित सूचना सहित एक संशोधित ईक्यूआर प्रस्तुत किया है। यदि सीधे निर्यातों पर विचार न भी किया जाए तो प्राधिकारी को समस्त जानकारी

अस्वीकृत नहीं करनी चाहिए और उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सीधे निर्यातों पर भरोसा करना चाहिए।

viii. आंकड़ों में असमानता के कारण प्राधिकारी ने प्रतिवादियों को डीजी सिस्टम के अनुसार दर्ज संगत आयात सौदे बताए हैं जिस पर विचार किया जाना चाहिए कि डीजी सिस्टम के आंकड़े केजीएस और सेट्स दोनों को दर्शाते हैं। प्रतिवादियों ने सभी सौदों के लिए आंकड़े केजीएस में प्रदान किए हैं और इसलिए आंकड़ों के दोनों समूहों के बीच तुलना नहीं हो सकती है। वास्तव में सूचित मात्राएं एक दूसरे से मेल खाती हैं।

ix. प्राधिकारी ने परिवर्तन पद्धति के अभाव के कारण निर्यात कीमत को अस्वीकार किया है। प्रतिवादी ने रेखांकन रिकार्ड और / या पैकेजिंग सूची में सूचित वास्तविक भार के आधार पर जानकारी दी है। इसलिए कोई परिवर्तन पद्धति लागू नहीं की।

x. डीजी सिस्टम के आंकड़े उत्पादक के बजाय निर्यातक का नाम दर्ज करते हैं। व्यापारियों के जरिए किए गए निर्यातों के लिए बिक्री सौदे उत्पादक के नाम से नहीं दर्शाए जाएंगे।

xi. परिशिष्ट 3क में कुछ सौदे डीजी सिस्टम ने प्रदर्शित नहीं हैं और वे डीजी सिस्टम के आंकड़ों में सूचित मात्रा से अधिक मात्रा में हैं।

xii. यदि प्राधिकारी ने निर्यातकों को सहयोगी माना होता और अलग-अलग दर दी होती तो उसने शून्य एडीडी का भुगतान किया होता। निर्यातक एक उच्च और अपाटित कीमत पर निर्यात करते हैं। प्रतिवादी आयातक अब एडीडी की उच्च दरों पर वस्तु का आयात करने के लिए बाध्य हैं और इसी के साथ उसके आपूर्तिकर्ताओं को भी सहयोगी माना जाना चाहिए और उन्हें अलग दर देनी चाहिए।

xiii. प्राधिकारी ने पीएफ जारी करने से पहले प्राधिकारी द्वारा भरोसा किए गए आंकड़ों को शेयर नहीं करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। आवश्यक प्रक्रिया में अपेक्षित है कि किसी पक्षकार के विरुद्ध प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले उसे उत्तर देने का अवसर दिया जाए।

xiv. प्राधिकारी ने समान उत्पाद विनिर्देशन के साथ अनेक उत्पादों के लिए प्रति सेट हार में अंतर का आरोप लगाया है, जो उत्पादों की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में अंतर के कारण हो सकता है। इन मापदंडों को उनके अनुसार परिभाषित नहीं किया गया है।

xv. निर्यात कारखानाद्वार स्तर पर किए गए थे, परंतु डीजी सिस्टम के आंकड़े सीआईएफ के अनुसार हैं। दोनों आंकड़ा समूहों के अंतर्गत तुलना आंकड़ों के सीआईएफ के परिवर्तन के बिना संभव नहीं होगी।

xvi. घरेलू उद्योग ने इस आधार पर निर्यातक के उत्तर की अस्वीकृति के संबंध में केवल एक सामान्य वक्तव्य दिया है कि नयी सूचना विशिष्ट उत्पादक / निर्यातक के नाम के बिना प्रस्तुत की गई है। सत्यापन के दौरान एक बार स्पष्टीकरण और मिलान होने के बाद सूचना में कोई अंतर नहीं है।

xvii. प्रतिवादी प्राधिकारी की इस प्रक्रिया से सहमत हैं कि उत्पादक के कुल निर्यातों के 70 प्रतिशत से अधिक वाले उत्पादकों / निर्यातकों ने उत्तर दिया हो, तो उनके उत्तर को अलग शुल्क दर के निर्धारण में स्वीकार किया जाएगा।

xviii. प्राधिकारी ने पहले ही प्रदत्त सूचना का सत्यापन किया है और इसलिए पीसीएन वार सूचना के सत्यापन संबंधी घरेलू उद्योग का तर्क निराधार है।

xix. इकाइयां पैकिंग सूची के आधार पर अर्थात किलोग्राम में दी गई हैं और माप की गलत इकाई के संबंध में घरेलू उद्योग की अशंका त्रुटिपूर्ण है।

xx. एडीडी निर्यातक विशिष्ट है और उसे बिना विचार किए नहीं लगाया जा सकता है। पूर्व मामलों में प्राधिकारी ने सभी या अधिकांश सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए शून्य शुल्क निर्धारित किया है और संबद्ध वस्तु के असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए अलग से शुल्क निर्धारित किया है।

xxi. पीओआई के दौरान भारत में औसत आयात कीमत प्रतिवादियों को नहीं दी जा सकती है और प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सूचना की सत्यतता पर संदेह के लिए प्रतिवादियों की आयात कीमत के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है। प्राधिकारी को भारत में आयातों की कुल मात्रा की तुलना प्रतिवादियों सहित सहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के जरिए आयातों की मात्रा के साथ करनी चाहिए। यदि पीओआई के

दौरान भारत में अधिकांश निर्यात असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा होते हैं तो यह निश्चित है कि ऐसे असहयोगी निर्यातकों के कारण पीओआई के दौरान भारत में औसत निर्यात कीमत कमतर होगी।

xxii. प्राधिकारी को किलोग्राम में वैकल्पिक इकाई के आयातों के परिवर्तन में प्रयुक्त विशिष्ट पद्धति को स्पष्ट करना चाहिए। यदि प्राधिकारी ने असंगत पद्धति का प्रयोग किया है या परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान मान्यता की है, तो इससे आयातों का मूल्यांकन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।

xxiii. आवेदक ने निराधार दावे किए हैं और भार / मात्रा के संबंध में उत्पादकों द्वारा गड़बड़ी का कोई साक्ष्य नहीं दिया हे।

xxiv. प्रतिवादी द्वारा कोई नयी सूचना नहीं दी गई है। केवल सूक्ष्म विसंगतियों द्वारा संबंधी स्पष्टीकरण सत्यापन के दौरान दिए गए हैं। निर्यातकों ने पहले ही इस अंतर के कारण पर ध्यान दिया है और समस्त संगत सूचना प्रस्तुत की है।

xxv. बीजक में एमएस का उल्लेख नहीं करना एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि उपभोक्ता पहले ही उत्पाद से परिचित होता है। यदि उपभोक्ता स्टेनलेस स्टील का अनुरोध करता है तो बीजक में एसएस दर्शाया जाता है। कोई निर्यातक सीमा शुल्क को कच्ची सामग्री की घोषणा किए बिना उसे गलत ढंग से एमएस बता कर स्टेनलेस स्टील का निर्यात नहीं कर सकता है। प्राधिकारी को यह भी सत्यापन करना चाहिए कि क्या घरेलू उत्पादक कहीं पर स्टील के प्रकार का उल्लेख कर रहे हैं अथवा नहीं।

xxvi. आयात आंकड़ों और आयातकों / निर्यातकों द्वारा सूचित आंकड़ों के बीच कोई संबंध नहीं है। आयातक / निर्यातक बीजक में भाग की सूचना नहीं देते हैं। उद्योग की मानक प्रक्रिया सेट का प्रयोग माप की इकाई के रूप में करने की है।

xxvii. निर्यातक या उत्पादक अपने स्वयं के बही खातों का रख रखाव करने और चीन के सीमा शुल्क प्राधिकरण को सही सूचना देने के लिए स्वयं भी उत्तरदायरी है। किसी भी परिस्थिति में उन्हें डीजी सिस्टम के डेटाबेस में सूचना और ईक्यूआर में प्रदत्त सूचना के बीच किसी कथित अंतर के लिए दंडित नहीं करना चाहिए।

xxviii. प्राधिकारी द्वारा विचारित नमूना उत्पादकों ने भारत में क्षति अवधि और पीओआई के बाद भी पीयूसी का आयात किया है। इन सौदों के लिए भी उनके द्वारा सूचित यूओएम किलोग्राम नहीं था, बल्कि सेट और नग थे।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

68. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :-

i. विगत मामलों में प्राधिकारी और अन्य देशों में जांच प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई स्थिति के अनुसार चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए । चीन के उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ii. प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-। के पैरा 1-6 का अनुसरण केवल तभी किया जाएगा जब चीन की कंपनियां यह स्थापित करें कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी ऐसी है कि व्यक्तिगत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सकता है । यदि चीन की 'कंपनियां' यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी को अपनाया जा सकता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन के दावे को अस्वीकार कर देगें ।

iii. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 चीन जन.गण. से आयात के लिए सामान्य मूल्य की गणना पर लागू नहीं होते हैं, जब तक कि कोई उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त सबूत नहीं दिखाता कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत कार्य कर रहा है । परिणामस्वरूप, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा-7 के अनुसार किया जाना है ।

iv. बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य के लिए संगत आंकड़ा उपलब्ध नहीं था । भारत सहित किसी तीसरे देश से दूसरे देश की कीमत पर भी विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तुएं मुख्य रूप से चीन जन.गण. से भारत में आयात की जा रही हैं । इसके अलावा, चूंकि ऐसे कई कोड हैं जिनके तहत विचाराधीन उत्पाद का लेन देन किया जा रहा है, अत: प्राधिकारी लेन देन-वार

आंकड़े की मांग कर सकते हैं और यदि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए किसी देश को उपयुक्त पाया जाता है तो प्राधिकारी ऐसे स्रोत से आयातों पर विचार कर सकते हैं ।

v. बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को शामिल करने के बाद, भारत में उत्पादन लागत के अनुमान के आधार सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। इस कीमत में घरेलू उद्योग की सूचना के आधार पर परिवर्तन लागत, तर्कसंगत लाभ मार्जिन और एसजीए शामिल करने के लिए आवश्यक समायोजन किए गए थे।

vi निर्यात कीमत को कारखानाद्वार कीमत निर्धारित करने के लिए उचित समायोजन किए जाने के बाद प्रकाशित डी जी सी आई एंड एस आंकड़ों से अपनाई गई जांच की अवधि के लिए आयात की मात्रा और मूल्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारण किया जाना चाहिए ।

vii. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि संबद्ध देश के लिए काफी अधिक है ।

viii. निर्यात कीमत के सत्यापन के संबंध में प्राधिकारी को प्रारंभिक जांच परिणाम के समय अपनाई गई प्रक्रिया के समान प्रक्रिया अपनानी चाहिए। यदि निर्यातक द्वारा प्रदत्त मात्रा और मूल्य सीमा शुल्क द्वारा प्रदत्त सूचना से मेल नहीं खाती तो उत्तर को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अंतर दो अलग-अलग प्राधिकारियों को दो भिन्न-भिन्न आंकड़े देने का स्पष्ट मामला है।

ix. यह एक स्थापित प्रक्रिया है कि उत्तर में मूल्य श्रृंखला पूरी होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि उत्पादकों द्वारा बेची गई सभी वस्तुओं की सूचना निर्यात कीमत निर्धारण हेतु प्राधिकारी को उचित ढंग से दी जाए। जहां उत्पादक व्यापारी हो, वहां उत्तर तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक व्यापारी ने उत्तर न दिया हो। प्राधिकारी का एसओपी मैनुअल भी 70 प्रतिशत बेंचमार्क का उल्लेख करता है जिस पर उत्तर पर विचार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए।

x. संबद्ध वस्तु को माइल्ड स्टील या स्टेनलेस स्टील से बनाया जाता है, जो उसकी कीमत को काफी अधिक प्रभावित करता है। आयात आंकड़ों में अनेक सौदों में

निर्माण के लिए प्रयुक्त स्टील के प्रकार को नहीं दर्शाया गया है। आयात आंकड़ों में वर्णन, बीजक में उल्लेख के समान है और ईक्यूआर में इसे समान होना चाहिए। इसका अर्थ है कि प्रतिवादियों द्वारा दिए गए बीजक में भी पीसीएन की पहचान के ब्यौरे होने चाहिए। यदि निर्यातकों ने पीसीएन नहीं दर्शाए हैं या सीमा शुल्क को उसकी घोषणा नहीं की है तो वह कोई दावा कर सकते हैं। प्राधिकारी को यह सत्यापन करना चाहिए कि निर्यातित संबद्ध वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त वास्तविक सामग्री क्या है। निर्यातक वस्तुओं का गलत वर्गीकरण कर सकते हैं और निर्यात के मूल्य को कृत्रिम रूप से सही बना सकते हैं।

xi. आयातों की काफी मात्रा किलोग्राम के बजाय यूनिट में बताई गई है। आयातकों के लिए खेपों के भार में वहां गड़बड़ी करना सरल है, जहां आयात आंकड़े में भार नहीं बताया गया है। प्रारंभिक जांच परिणाम में भी प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा सूचित मात्रा और डीजी सिस्टम के आंकड़ों के बीच भारी अंतर नोट किया था। राजस्व विभाग और सीमा शुल्क ने भी माप की इकाई में अंतर पर चिंता जताई थी जिससे व्यापार आंकड़ों को दर्ज करने में कठिनाई हुई थी। सीमा शुल्क प्रत्येक कोड के तहत केवल एक माप की इकाई विहित करता है और निर्यातक का यह कर्तव्य है कि वह सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष उसकी सूचना दे। इस प्रकार, निर्यातकों के लिए यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि निर्यातों की मात्रा उनके उत्तरों में भार में स्पष्ट की गई है। इसके अलावा, नग से भार में परिवर्तन पद्धति को दर्शाने के संबंध में भरोसा किए गए किसी आंशिक दस्तावेज पर सीमा शुल्क को प्रस्तुत दस्तावेज से पहले भरोसा नहीं किया जाएगा।

xii. प्राधिकारी को उन सोदों में निर्यात कीमत ज्ञात करनी चाहिए, जहां सूचित इकाई भार है और जहां सूचित इकाई भार नहीं बल्कि अब बदल दी गई है। यदि निर्यात कीमत वहां ज्ञात की गई है, जहां इकाई को भार में परिवर्तित नहीं किया गया है और वह पहले से वास्तव में अलग है तो निर्यातक को अंतर को उचित ठहराना चाहिए।

xiii. जहां तक चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल की समाप्ति और एडी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामान्य मूल्य के परिकलन का संबंध है। चीन जन. गण. किसी उत्पादक /

निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार / पूरक प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्राधिकारी को नियमावली के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने की कार्रवाई करनी चाहिए।

xiv. निर्यातक का यह दावा कि प्राधिकारी ने अत्यधिक सूचना मांगी है। यह दर्शाता है कि निर्यातक के उत्तर में अब भी बिल्कुल अपर्याप्त हैं और निर्यातक ने प्राधिकारी द्वारा वांछित सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

xv. डीजी सिस्टम के आंकड़े प्रधिकारी द्वारा प्रतिवादियों को दिए गए थे। तथापि, घरेलू उद्योग के साथ उन्हें शेयर नहीं किया गया था। अत: घरेलू उद्योग उन पर कोई सूचना / स्पष्टीकरण की टिप्पणी देने के अवसर से वंचित हो गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और एडी नियमावली के नियम 7 का घोर उल्लंघन है।

xvi. डीजी सिस्टम के आंकड़ों द्वारा वायु मार्ग से आयातों को शामिल नहीं करने के कारण अंतर के संबंध में यह नोट किया जाए कि इस प्रकार के किसी उत्पादकों वायु मार्ग से निर्यातित नहीं किया जाता है। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने यह नहीं दर्शाया है कि वायु से पारेषण भेज गए थे।

xvii. एसईजेड में आयातों के कारण मात्रा में अंतर के संबंध में निर्यातकों का यह दावा भी नहीं है कि उन्होंने एसईजेड को निर्यात किया है।

xviii. विभिन्न इकाइयों में आयात दर्ज करने के डीजी सिस्टम के आंकड़ों के संबंध में निर्यातकों और आयातकों के लिए सौदे करते समय भार के आधार पर आंकड़ों की सूचना देने की उम्मीद की जाती है। प्राधिकारी को किसी विपरीत कार्रवाई का दोष नहीं दिया जा सकता है। हितबद्ध पक्षकारों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि माप की अलग-अलग इकाई का प्रयोग क्यों किया गया और हितबद्ध पक्षकारों ने आंकड़ों की सत्यता और संगतता को कैसे सिद्ध किया है।

xix. हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली का उत्तर देते समय प्राधिकारी को सूचित करना चाहिए था कि वास्तविक सौदों में एक अलग इकाई शामिल है और उन्हें परिवर्तन पद्धति देनी चाहिए थी।

xx. निर्यातकों ने स्वयं दावा किया है कि विभिन्न अन्य कोडों के अंतर्गत किए जा रहे निर्यातों पर प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट कोडों से इतर विचार किया गया है। तथापि, निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा विचारित कोडों से इतर संबद्ध वस्तु के निर्यात के लिए प्रयोग किए जा रहे किसी एचएस वर्गीकरण को विनिर्दिष्ट नहीं किया।

xxi. बंडलों में वस्तुओं के बीजक होने के संबंध में वस्तुओं की स्वीकृति के लिए सूचना अपेक्षाओं के अंतर्गत आयाताकों के लिए प्रत्येक उत्पाद की अलग से सूचना देना अपेक्षित है। एक बार आयातों की अलग से पहचान होने पर आयात आंकड़ों में संगत सूचना को अलग से दर्शाया जाएगा।

xxii. डीजी सिस्टम द्वारा आयात कीमत दर्शाए जाने के संबंध में जांच के लिए सीआईएफ कीमत और मार्जिन निर्धारण के लिए निर्यात कीमत अपेक्षित है तथा निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत ज्ञात करने हेतु समायोजनों को जोड़ने में दोनों कीमतें प्रदान करना अपेक्षित है।

xxiii. बीजक की तारीख और बिल प्रविष्टि के बीच विसंगति के संबंध में प्रश्नावली का उत्तर देते समय किसी पक्षकार ने ऐसा कोई दावा नहीं किया था।

xxiv. बनाए गए बीजकों के लिए ऐसे सौदों के संबंध में जो पीओआई के बाद वस्तुओं के पहुंचने के कारण डीजी सिस्टम में दर्ज नहीं हुए हैं, ऐसे स्पष्टीकरण जांच के आरंभिक चरण में दिए जाने चाहिए।

xxv. प्राधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों के सत्यापन की व्यापक प्रकृति के संबंध में यह स्पष्ट है कि निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई समस्त संगत जानकारी नहीं दी है।

xxvi. व्यापारियों द्वारा हाइबाओ के निर्यातों को हाइहुई नाम के अंतर्गत सूचित किए जाने के संबंध में उत्पादक को अपने उत्तर में ब्रांड नाम को विनिर्दिष्ट करना चाहिए जबकि निर्यातक को ब्रांड नाम के बजाय उत्पादक का नाम प्रदान करना चाहिए था। इसके अलावा, यह दर्शाने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कोई सूचना नहीं है कि उत्पादक का ब्रांड नाम हाइहुई है और यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि हाइहुई वास्तव में एक ब्रांड नाम है।

xxvii. हौंगली द्वारा निर्यातों के संबंध में उत्पादक द्वारा किए गए सीधे निर्यातों के ब्यौरे काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक जानकारी है, जो नहीं दी गई थी। इस प्रकार की कमी को बाद में पूर्ण नहीं किया जा सकता है। निर्यातक सक्रिय रूप से यह सूचना देने में विफल रहा है और उसने केवल तभी आकर संशोधित उत्तर प्रस्तुत किया है जब प्राधिकारी ने आंकड़ों की जांच की है।

xxviii. सेट और किलोग्राम दोनों को दर्शाने वाले डीजी सिस्टम के आंकड़ों के संबंध में, डीजी सिस्टम आयातों की स्वीकृति के समय प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार आंकड़ों का रख रखाव करता है। तथापि, संबंध वस्तु के मूल्य में इकाई के आधार पर अंतर नहीं होगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सूचित मूल्य अलग-अलग न हो, यदि मूल्य में अंतर होता है तो यह निष्कर्ष होना चाहिए कि निर्यातक ने अलग आंकड़े सूचित किए हैं।

xxix. परिवर्तन पद्धति के अभाव के कारण अस्वीकृति के संबंध में, यदि कोई असत्यापित परिवर्तन पद्धति प्रयोग की जाए तो भारी अंतर हो सकता है। वह पद्धति जिसमें भार लिया गया है। इस बात पर विचार किए बिना दर्शाई जानी चाहिए कि क्या भार पैकिंग सूची के आधार पर सूचित किया गया है। इसके अलावा, प्रतिवादियों ने बिल्कुल सही लेखांकन रिकार्ड नहीं बताएं हैं। बीजक में प्रयुक्त वर्णन और इकाई लेखांकन रिकार्डों का आधार होती है और उसके बाद सीमा शुल्क आंकड़ों का आधार होती है। अत: सीमा शुल्क आंकड़ों में कोई त्रुटि और मिलान का अभाव स्वयं प्रतिवादी के आंकड़ों में त्रुटियों के कारण है।

xxx. व्यापारी के नाम के अंतर्गत प्रदर्शित अप्रत्यक्ष निर्यातों के संबंध में निर्यातकों के लिए उत्पादकों और निर्यातकों की पहचान करना अपेक्षित है। तदनुसार, प्राधिकारी डीजी सिस्टम के आंकड़ों के साथ निर्यातों का मिलान कर सकते हैं। प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार उत्पादक और निर्यातक के नाम की तुलना द्वारा किए गए निर्यातों पर विचार करना चाहिए।

xxxi. परिशिष्ट में मात्रा के डीजी सिस्टम के आंकड़ों में प्रदर्शित मात्रा से अधिक होने के संबंध में निर्यातक को वह वर्गीकरण दर्शाना चाहिए जिसके अंतर्गत निर्यात किए गए

थे और क्या आयातकों द्वारा उसकी सूचना दी गई थी। विभिन्न एचएस कोड प्रयोग किए गए हैं, जो सूचना के गलत प्रयोग को दर्शाता है।

xxxii. प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत उत्तर के विश्लेषण से पता चलेगा कि उन्होंने कम कीमत पर बिक्री नहीं की है और उनकी कीमतें काफी अधिक थीं। अधिकांश पक्षकार जिन्होंने भारत में संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इस जांच में भाग ले रहे हैं। यदि सभी प्रतिवादी कंपनियां उच्चतर कीमतों पर बिक्री करने का दावा कर रही हैं तो सीमा शुल्क के आंकड़े किसकी कीमतें दर्शा रहे हैं? आयात ऐसी कीमतें पर हुए हैं जो सामान्य मूल्य और एनआइपी से वास्तव में कम हैं। सभी भागीदार निर्यातकों द्वारा यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि उनकी निर्यात कीमत सामान्य मूल्य और एनआईपी से कम थी। ऐसे किसी दावे का अर्थ उनके लिए अतर्कसंगत और संभव निर्यात कीमत होगा, जो वर्तमान में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तथ्यों को छिपाना और गलत सूचना देना स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

xxxiii. कोई भी कानूनी प्रावधान प्राधिकारी पर अपने आंकड़े शेयर करने का दायित्व नहीं डालता है। वैश्विक रूप से जांचकर्ता प्राधिकारी संबंधित निर्यातकों के साथ आंकड़े और दस्तावेज शेयर नहीं करते हैं। डीजी सिस्टम पर भरोसा आंतरिक प्रक्रिया सत्यापन का भाग है और प्राधिकारी को निर्यातकों द्वारा किए गए दावों का प्रति सत्यापन करने का अधिकार है। सीमा शुल्क के आंकड़े दर्शाते हैं कि निर्यातकों द्वारा आयातों में सुविधा देने के लिए अपने आयातकों को क्या प्रस्तुत किया गया है। निर्यातक सीमा शुल्क के आंकड़ों के साथ अपने स्वयं के उत्तर का मिलान करने में समर्थ होने चाहिए। यह तथ्य कि ऐसी सूचना में काफी अंतर है, प्रतिवादियों द्वारा प्रदत्त सूचना की अविश्वसनीयता को सिद्ध करता है। निर्यातकों ने सूचना साक्ष्य और दावों के दो सेट प्रस्तुत किए हैं - एक सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष और दूसरा वर्तमान जांच में प्राधिकारियों के समक्ष ।

xxxiv. समान विवरण वाले उत्पादों के भार में अंतर के संबंध में निर्यातकों को पर्याप्त परिवर्तन पद्धति के आधार पर भार की गणना को विनिर्दिष्ट और न्यायोचित ठहराना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई जैसे विनिर्देशनों के लिए यूनिट का सटीक परिवर्तन अपेक्षित है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

सामान्य मूल्य का निर्धारण

69. धारा 9(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

(i) *व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम* (6) *के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

(ii) *जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:*

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा*

(ख) उपधारा (6) *के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत:*

परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उदगम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

70. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः

"जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(iii) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज सहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और

शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(iv) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(v) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

71. यह नोट किया जाता है कि अनुच्छेद (15)(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं। तथापि, एक्सेशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधानों में भारत की पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट मानक को बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान किए जाने वाले सूचना / आंकड़ों के माध्यम से पूरा किया जाना है ।

72. जांच शुरूआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने एस जी ए और लाभों को विधिवत शामिल करके संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत पर कुछ घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आगे कार्रवाई की है । जांच शुरू होने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को परामर्श दिया कि वे जांच शुरूआत होने की सूचना का उत्तर दें और अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रासंगिक सूचना प्रदान करें । प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने

के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजी । प्राधिकारी ने चीन जन. गण. की सरकार से चीन जन. गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को संगत सूचना प्रदान करने का परामर्श देने का अनुरोध किया ।

73. किसी भी निर्यातक/उत्पादक ने चीन की एनएमई स्थिति का विरोध नहीं किया । इस प्रकार, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा के खंडन की अनुपस्थिति में, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और यह प्रस्ताव करते हैं कि चीन जन. गण. के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा - 7 के अनुसार आगे कार्रवाई की जाए ।

74. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देकते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

75. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक क्रम निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा अथवा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देश में कीमत के आधार पर किया जाएगा अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल

करने के लिए आवश्यकता के अनुसार समान उत्पादन के लिए भारत में वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत, विधिवत समायोजन के साथ, शामिल है । इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य को अनुबंध-7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना आवश्यक है । किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्य या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य नहीं है । वर्तमान जांच में संबद्ध देश के अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात कम मात्रा में हैं । इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश से भारत में आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार नहीं जा सकता है । सामान्य मूल्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से अन्य देश में कीमत पर आधारित नहीं हो सकता है, क्योंकि संबद्ध वस्तु में समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है ।

76. अत: प्राधिकारी ने चीन में संबद्ध आयात के लिए सामान्य मूल्य को ''भारत में वास्तव में देय कीमत'' के रूप में निर्धारित किया है, जैसा कि पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-I के पैरा 7 में निर्धारित है । इसकी गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों को समुचित रूप से शामिल किया जाएगा । इस प्रकार से निर्धारित किया गया सामान्य मूल्य नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है ।

निर्यात कीमत का निर्धारण

77. प्रारंभिक निष्कर्ष जारी करने के बाद, प्राधिकरण ने चीन जनवादी गणराज्य के उत्पादकों/निर्यातकों को पत्र जारी किए, जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया और प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल की, जिसमें अतिरिक्त/पूरक जानकारी/दस्तावेज मांगे गए। चूंकि प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं थी, इसलिए स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक और कमी पत्र जारी किया गया। ये अतिरिक्त/पूरक जानकारी/दस्तावेज उन महत्वपूर्ण भिन्नताओं के मद्देनजर आवश्यक थे जो उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दाखिल प्रश्नावली प्रतिक्रिया और प्राधिकरण द्वारा डीजी सिस्टम से प्राप्त जानकारी में पाई गई थीं। मांगी गई अतिरिक्त/पूरक जानकारी/स्पष्टीकरण/दस्तावेजों की प्रकृति में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल थे:

i. निर्यातक द्वारा सूचित और डीजी सिस्टम के आंकड़ों में देखी गई निर्यात मात्रा का मिलान।

ii. उस यूनिट के परिवर्तन की पद्धति जिसमें विहित यूनिट अर्थात किलोग्राम में वस्तु का लेन देन हुआ है, क्योंकि काफी सौदे सेट आधार पर हुए थे। भार की सही पहचान निर्यात कीमत की जांच के लिए संगत है। गलत भार से निर्यात कीमत पर वृद्धि / कमी का प्रभाव पड़ सकता है।

iii. खरीदी गई कच्ची सामग्री का विवरण, उत्पादों के विभिन्न प्रकारों के उत्पादन, लेखांकन प्रणाली से बिक्री रजिस्टर के ब्यौरे। इस सूचना को प्रदत्त सूचना की सत्यता और अभिज्ञात पीसीएन की जांच के लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि यह देखा गया कि बीजक में दी गई जानकारी पीसीएन की पहचान करने और आयात मात्राओं को बताने (भार में) के लिए अपर्याप्त थीं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तु में कीमत अंतर काफी अधिक है और इसलिए इस सूचना को निर्णायक माना गया था।

iv. कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्पाद कोडीफिकेशन प्रणाली का ब्यौरा । इस सूचना को सूचित आयात मात्राओं की सत्यता, भार में आयात बताने के लिए अपनाई गई परिवर्तन पद्धति और अभिज्ञात पीसीएन की सत्यता की जांच के लिए अनिवार्य समझा गया था।

v. अंग्रेजी अनुवाद के साथ वैट बीजक सभी सौदों की पैकिंग सूची और शिपिंग के दस्तावेज । इस सूचना को उत्पाद की तकनीकी प्रकृति और पीसीएन की पहचान में कठिनाई, मात्रा के भार में परिवर्तन के मुद्दे पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण माना गया था।

vi उत्पाद कोड, लंबाई और चैनल की चौड़ाई के साथ तीसरे देशों को सौदावार निर्यात । इस सूचना को निर्यातक द्वारा सूचित भारत को निर्यातों की मात्रा और मूल्य के सही होने का पता लगाने के लिए आवश्यक समझा गया था।

vii. क्षति अवधि के लिए एसईपी/ किसी अन्य लेखांकन प्रणाली से निर्यातक / व्यापारी को बेची गई संबद्ध वस्तु की उत्पादन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

viii. कंपनी द्वारा निर्मित टीडीसी और सभी सौदों के भारत को निर्यात के निम्नलिखित प्रपत्र में ब्यौरे, जिसमें भार का साक्ष्य हो।

क्र.सं.	उत्पाद	उत्पाद कोड	कोड	आकार	लंबाई इंच में	चौड़ाई इंच में	मोटाई इंच में

* टीडीसी का अर्थ टेलीस्कोपिक ड्रॉअर चैनल

ix. सभी देशों को उत्पादन, घरेलू और निर्यात बिक्रियों के ब्यौरे और प्रत्येक उत्पाद / पीसीएन के स्टॉक की स्थिति।

x. भारत को निर्यातित प्रत्येक सौदे में ड्रॉअर चैनल की चौड़ाई विनिर्दिष्ट करें।

xi. स्पष्ट करें कि कब उत्पाद कोड एक है, विभिन्न उत्पाद को समान कोड में कैसे शामिल किया जाता है। यदि यह समान है तो प्रत्येक सौदे में भार कैसे अलग-अलग है।

xii. समान उत्पाद ब्यौरे, समान भार और एक ही तारीख को एक ही उपभोक्ता को भिन्न-भिन्न कीमत संबंधी स्पष्टीकरण ।

xiii. उत्पाद कोड, चैनल की लंबाई और चौड़ाई के साथ तीसरे देशों को सौदा वार निर्यात

।

xiv. निर्यातक के डीजी सिस्टम के आंकड़े प्रविष्टि बिल, बिल प्रविष्टि की तारीख, मात्रा, इकाई, मिलान के लिए आकलन मूल्य संबंधी सूचना के साथ प्रदान की गई थी।

78. चूंकि निर्यातक द्वारा सूचित निर्यात मात्रा और महानिदेशक (सिस्टम) के आंकड़ों में सूचित आयातों की मात्रा में भारी अंतर था। इसलिए निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर का सीमा शुल्क आंकड़ों के जरिए प्राधिकारी के पास उपलब्ध सूचना से मिलान करना महत्वपूर्ण था।

79. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वैट बीजक दस्तावेज सामग्री की स्वीकृति के लिए चीन के सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष संबंधित निर्यातक द्वारा जारी किया गया और इसलिए वह दस्तावेज निर्यातक के पास तुरंत उपलब्ध है। इस दस्तावेज में चीन की मुद्रा में निर्यात का मूल्य दर्शाया गया और इसलिए यह काफी संगत उपयोगी और भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष निर्यातक द्वारा प्रस्तुत वाणिज्यिक बीजक में सूचित बीजक मूल्य की

पुष्टि के लिए आवश्यक है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के साथ प्रश्नावली के उत्तर का मिलाने करने में प्रारंभिक जांच परिणाम के स्तर पर सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों के मद्देनजन ऐसे बीजक को आवश्यक माना है।

80. लगभग कोई भी निर्यातक यह सिद्ध करने के लिए संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य देने में असमर्थ था कि क्या किसी विशेष निर्यात सौदें में शामिल उत्पाद माइल्ड स्टील, स्टलेनलेस स्टील या अन्य सामग्री का था। प्राधिकारी मानते हैं कि निर्यात सौदे में पीसीएन और सामग्री के भार की सही पहचान निर्यात कीमत निर्धारण के लिए आवश्यक है। सभी निर्यातकों ने दस्तावेजी साक्ष्य के समर्थन के बिना एक वक्तव्य के आधार पर दावा किया है। चूंकि कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य आरंभिक प्रश्नावली के उत्तर के साथ नहीं दिया गया था। इसलिए किसी विशेष निर्यात सौदे में शामिल उत्पाद संबंधी सूचना की सटीकता और पर्याप्तता, भारत को निर्यात की मात्रा से संबंधित दावे और पीसीएन के संबंध में कुल उत्पादन की मात्रा, बिक्रियों की मात्रा (भारत को निर्यात, तीसरे देशों को निर्यात और घरेलू बिक्रियां), कच्ची सामग्रियों के ब्यौरे और उसे संतुष्ट करने के लिए स्टॉक्स की स्थिति संबंधी सूचना को मांगना आवश्यक समझा गया था। इसके अलावा, यह नोट किया गया कि विभिन्न सौदों में सामग्री का अलग-अलग भार दर्शाया गया था जिसके लिए निर्यातक ने स्पष्ट किया कि ऐसा एक पीसीएन में शामिल उत्पाद के विभिन्न आयामों के कारण हुआ था। निर्यातक ने बताया कि यद्यपि शामिल पीसीएन समान है, फिर भी बिल्कुल अलग आयाम वाले उत्पादों को अलग भार के अनुसार बेचा गया है। इसकी वजह से कच्ची सामग्री की खपत के साथ उत्पादन और बिक्री का मिलान करना आवश्यक हो गया । यह बात इस वजह से और महत्वपूर्ण थी कि किसी भी निर्यातक ने संख्या को भार में बदलना दर्शाने वाली गणना नहीं दी थी। निर्यातकों ने केवल समान पीसीएन वाले उत्पादों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा पाए गए विभिन्न भार के लिए कारणों को स्पष्ट किया। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के विनिर्देशनों के ब्यौरे के बिना सूचित भार का सत्यापन असंभव था। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि उत्पाद के भार को सूक्ष्म रूप से परिकलित करना संभव है। यदि उत्पाद के आयाम ज्ञात हों। इसके अलावा, एक निर्यातक के लिए भौतिक आयामों के आधार पर भार की गणना प्रदान करना व्यवहार्य था। तथापि, किसी भी निर्यातक ने सूचित भार की गणना को दर्शाने वाली कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

81. यह नहीं समझा गया कि निर्यातक ने कैसे एक जैसे विनिर्देशन वाले उत्पाद के संबंध में अलग-अलग भार सूचित किए हैं। कुछ मामलों में यह पाया गया कि यद्यपि मॉडल नंबर में सूचित वर्णन समान था। तथापि, अलग-अलग सौदों में उत्पाद का भार अलग-अलग है। यदि एक मॉडल नंबर वाला कोई उत्पाद काफी अलग भार रखता है तो प्राधिकारी के लिए

भार के सही होने का सत्यापन करना संभव नहीं है। भार की सटीक गणना इस कारण से महत्वपूर्ण है कि वह सौदे की निर्यात कीमत को सीधे प्रभावित करता है और परिणामस्वरूप भारित औसत पाटन और क्षति मार्जिन को प्रभावित करता है।

82. यह नोट किया गया है कि अनेक सौदों की सूचना आयातों की सूचना हेतु सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विहित यूनिट से इतर माप की इकाई का प्रयोग करके दी गई है। उत्पाद के लिए माप की विहित इकाई भार है। प्राधिकारी ने भी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ माप की इकाई के रूप में भार को अपनाया है। तथापि यह देखा गया था कि काफी संख्या में सौदे भार से इतर माप की इकाई में किए गए। निर्यातक द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में भी दर्शाया गया कि काफी संख्या में निर्यात सौदे भार आधार पर नहीं किए गए थे। इसके अलावा, आयात मात्राओं का भार में सही परिवर्तन निर्यात कीमत के सही निर्धारण के लिए सबसे अनिवार्य है। अत: निर्यातक को अलग-अलग निर्यात सौदों और विशेष रूप से परिवर्तन पद्धति में निर्यात की मात्रा के समर्थन में संगत सूचना और दस्तावेज देने का निदेश दिया गया था।

83. निर्यातकों ने तर्क दिया कि प्राधिकारी ने यद्यपि पक्षकारों से काफी अधिक सूचना मांगी है ताकि प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातकों से मांगी गई सूचना निर्यात कीमत के सही आकलन के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी नोट किया गया है कि प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना वैविश्क रूप से सभी जांच प्राधिकारियों द्वारा नेमी रूप से मांगी जाती है। इस सूचना की आवश्यकता इस कारणवश और अधिक हो गई कि बिक्रियों का बड़ा हिस्सा भार से इतर इकाई में किया गया था और आयात मात्राओं का सही आकलन निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में आयातों के विश्लेषण से एक जैसे उत्पाद विवरण की स्थिति में भी विभिन्न सौदों में सूचित भार में काफी अधिक अंतर देखा गया। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि भार में अंतर समान पीसीएन के भीतर उत्पादों के विभिन्न प्रकारों को शामिल करने की वजह से हो सकता है। तथापि, यह स्पष्ट किया गया कि प्राधिकारी ने ऐसे सौदों के संबंध में भार में भारी अंतर पाया है। जहां निर्यातक का मॉडल नंबर समान है। यदि दो अलग-अलग सौदों का मॉडल नंबर समान है, परंतु सूचित भार काफी अलग है तो यह पता लगाना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या निर्यातकों द्वारा सूचित आयात मात्रा सही है।

84. यह भी नोट किया गया था कि निर्यातकों ने दस्तावेजों का चुनिंदा अनुवाद दिया था। चूंकि बीजक चीनी भाषा में थे इसलिए निर्यातकों के लिए दस्तावेज के चुनिंदा हिस्सों का अनुवाद देने के बजाय बीजकों का पूर्ण अनुवाद देना अनिवार्य था। इसके अलावा, बीजकों की संख्या

के विश्लेषण से साफ तौर पर पता चला कि चीनी भाषा में उत्पाद विवरण का अंग्रेजी में अनुवाद चीन की भाषा में उल्लिखित विवरण से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के लिए यह देखा गया था कि बीजक के उल्लिखित विवरण ''मेटल प्रोडक्ट्स आयरन रेल'' था, निर्यातक द्वारा उसका अनुवाद टेलिसकोपिक चैनल ड्राअर स्लाइडर के रूप में किया गया था। इस प्रकार ऐसा लगता है कि निर्यातक ने दस्तावेज का अनुवाद भी नहीं दिया है और इसके बजाय विवरण में क्या कहा है, इसकी स्वयं व्याख्या की है। यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि अंग्रेजी शब्दों में चीनी शब्दों का अनुवाद नहीं है। सूचना में ऐसे वास्तविक संशोधन की वजह से निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना की पुष्टि के लिए समर्थक सूचना, दस्तावेज और साक्ष्य मंगाना न्यायोचित हो गया।

85. इन उत्पादकों / निर्यातकों द्वारा मूल रूप से और कमी संबंधी पत्रों के उत्तर के माध्यम से प्रस्तुत जवाब की निम्नानुसार जांच की गई है।

i. जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड

86. जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (जिसे झोंगक्सिंग भी कहा जाता है) चीन पीआर में विषयगत वस्तुओं का उत्पादक है। इसने गुआंगझोउ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जिसे जिनो टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है) के माध्यम से भारत को विषयगत वस्तुओं का *** मीट्रिक टन निर्यात किया है और लोवहोम हार्डवेयर (गुआंगझोउ) कंपनी लिमिटेड (जिसे लोवहोम भी कहा जाता है) के माध्यम से *** मीट्रिक टन निर्यात किया है। इसके द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मेल खाती है।

87. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से झोंगक्सिंग द्वारा प्रस्तुत जानकारी को स्वीकार करते हैं। इसे इस अंतिम निष्कर्ष में प्रासंगिक तालिकाओं में देखा जा सकता है।

ii. मेसर्स गुआंग्डोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कं, लिमिटेड; गुआंगझोउ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड और लोवहोम हार्डवेयर (गुआंगझोउ) कं, लिमिटेड

88. गुआंगडोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड (जिसे "जीनो इंडस्ट्रियल" भी कहा जाता है) चीन पीआर में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है और उसने अपनी संबंधित कंपनियों

गुआंगज़ौ के माध्यम से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को 10 मीट्रिक टन संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (जिसे "जीनो टेक्नोलॉजी" भी कहा जाता है) और लवहोम हार्डवेयर (गुआंगज़ौ) कंपनी लिमिटेड (जिसे "लवहोम" भी कहा जाता है) के माध्यम से 18 एमटी।

89. प्रतिसाद देने वाले निर्माता और निर्यातक ने संबंधित वस्तुओं के लिए नमूना वाणिज्यिक बिक्री चालान, वैट चालान, पैकिंग सूची, शिपिंग दस्तावेज़ प्रदान किए हैं। इसने चालान में जहां कहीं भी दर्शाया गया है वहां पीयूसी को एसएस के रूप में पहचाना और बिना कोई विश्वसनीय सबूत दिखाए बाकी की पहचान एमएस के रूप में की। प्राधिकरण ने निर्यातक को पीसीएन और उसके मूल्य को सत्यापित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया। हालाँकि, उक्त दस्तावेजों के आधार पर पीसीएन की पहचान नहीं की जा सकी।

90. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण का मानना है कि गुआंगडोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, अंतिम निष्कर्षों में निर्माता/निर्यातक द्वारा की गई कानूनी दलीलों की जांच की गई है।

iii. मै. जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड

91. जियांग जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. में एक उत्पादक है जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात फॉर्च्यून प्लस टेक्नोलॉजी (गुआंगज़ौ) लिमिटेड, जो एक निर्यातक / व्यापारी कंपनी है, के जरिए निर्यात किया है।

92. फॉर्च्यून प्लस द्वारा प्रस्तुत परिशिष्ट-2 के अनुसार जो अन्य उत्पादकों / आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गए और भारत को निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के ब्यौरे दर्शाता है, अन्य असंबंधित उत्पादक / आपूर्तिकर्ता फोशान नन्हाई, जियायांग जिनान और जियायांग लियंडरशेंग है। ऐसे उत्पादक / आपूर्तिकर्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है और इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला अधूरी रह गई है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन उत्पादकों से उत्तर उपलब्ध नहीं हुआ है। तथापि, जियायांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड की आपूर्ति श्रृंखला पूर्ण है और उसके उत्तर पर प्राधिकारी ने विचार किया है।

93. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रदान किए हैं। उसने पीयूसी को एमएस के रूप में अभिज्ञात किया है और डीजी सिस्टम के आंकड़ों से इसका सत्यापन किया गया है।

94. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवादी से निर्यात विहित इकाई अर्थात किलोग्राम में सूचित किए गए हैं और निर्यातक द्वारा उसके उत्तर में सूचित आंकड़े भी किलोग्राम में हैं। इसलिए निर्यातक आंकड़ा सेट का मिलान करने में सक्षम रहा है।

95. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ जियायांग झेंगबियाओ द्वारा प्रस्तुत सूचना को स्वीकार करते हैं । इस अंतिम जांच परिणाम के संगत तालिका में उसे देखा जा सकता है।

i. गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

96. गुआंग्डोंग टैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (''गुआंग्डोंग टैमिंग'' के रूप में भी ज्ञात) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु की उत्पादक है। इसने भारत में अपनी सहायक कंपनी टैमिंग एडवांस प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ("टैमिंग एडवांस" के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** एमटी निर्यात किया है।

97. यह भी बताया गया है कि भारत को निर्यात के लिए तैमिंग एडवांस के लिए बिक्री सौदे डीजी सिस्टम के आंकड़ों में गुआंगडोंग तैमिंग के नाम से नहीं दिखेंगे, बल्कि तैमिंग एडवांस के नाम से दिखेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि निर्यातक के नाम पर विचार करते हुए डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अंतर्गत बिक्री सौदों की जांच की गई है।

98. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रदान किए हैं। प्रतिवादी ने उसके द्वारा निर्यातित समस्त सामग्री को एमएस चैनल के रूप में अभिज्ञात किया है जबकि उक्त दस्तावेजों के आधार पर पीसीएन को अभिज्ञात नहीं किया जा सका।

99. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, पेयर आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि प्रतिवादी डीजी सिस्टम के आंकड़ों के सेट, पेयर आदि से किलोग्राम में परिवर्तन के लिए कोई परिवर्तन पद्धति पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए प्रतिवादी के आंकड़ों को डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था। अनंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी ने तैमिंग एडवांस द्वारा सूचित आंकड़ों और डीजी सिस्टम में सूचित आंकड़ों के बीच उल्लेखनीय अंतर भी देखा था।

100. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि गुआंग्डोंग तैमिंग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

v. मेसर्स डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से; हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड, हांगकांग (ईएचके); हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया

101. मै. डोंगगुआन लिटोंग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ("लिटोंग" के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है। लिटोंग ने चीन में एक व्यापारी अर्थात् डोंगगुआन टॉपमिन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है, जिसने आगे एक अन्य ट्रेडर अर्थात् हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ईएचके) के जरिए भारत को *** एमटी वस्तुओं का निर्यात किया है। ईएचके ने भारत में एक संबंधित पक्षकार हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया जिसने भारत में असंबंधित ग्राहकों को बिक्री की है।

102. प्राधिकारी ने निर्यातक को पर्याप्त अवसर दिया और उससे दिनांक 19 अगस्त 2024 के ई-मेल द्वारा बताई गई कमियों का स्पष्टीकरण देते हुए कतिपय सूचना मांगी। तथापि, प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

103. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, पेयर आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि प्रतिवादी डीजी सिस्टम के आंकड़ों के सेट, पेयर आदि से किलोग्राम में परिवर्तन के

लिए कोई परिवर्तन पद्धति पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए प्रतिवादी के आंकड़ों को डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था।

104. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि लिटोंग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

vi. मेसर्स गुआंगडोंग होंगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड, हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ट्रेडर) के माध्यम से हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया

105. गुआंगडोंग होंगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (होंगली) संबद्ध देश में उत्पादक है और इसने हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड के जरिए संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है जिसने आगे इसे भारत में अपनी संबंधित कंपनी अर्थात हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को होंगली द्वारा उत्पादित *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया । यह देखा गया है कि हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भी प्रयोक्ता / आयातक प्रश्नावली के उत्तर दायर किए हैं जिसमें इसने माल को भारत में असंबंधित ग्राहकों को बिक्री करने के बारे में रिपोर्ट की है।

106. अनंतिम जांच परिणाम में यह नोट किया गया था कि गुआंगडोंग होंगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने यह दावा करते हुए परिशिष्ट -3क अर्थात् भारत को निर्यातों के लिए कंपनी की प्रत्यक्ष बिक्रियों से संबंधित सूचना अपने उत्तर के साथ दायर नहीं की है कि इसने भारत को सीधे ही कोई निर्यात नहीं किए हैं। तथापि, डीजी सिस्टम्स आंकड़ों से, यह देखा गया था कि गुआंगडोंग होंगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने निश्चय ही भारत को संबद्ध वस्तु को सीधे निर्यात किए हैं जिसके बारे में प्रश्नावली के अपने उत्तर में उत्पादक द्वारा रिपोर्ट नहीं की गई है। निर्यातक ने अनंतिम जांच परिणाम के बाद संशोधित ईक्यूआर प्रस्तुत की है। यह नोट किया गया है कि उत्पादक द्वारा किए गए प्रत्यक्ष निर्यात सर्वप्रथम प्रत्यक्ष सूचना है जिसे निर्यातक द्वारा दिया जाना है।

107. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि गुआंगडोंग होंगली द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

vii. मेसर्स झोंगशान हैबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड

108. मैसर्स. झोंगशान हाइबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड (हैबाओ के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने हाफेल इंजीनियरिंग एशिया लिमिटेड (ईएचके) के जरिए भारत को उसके द्वारा उत्पादित *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात किया है। ईएचके ने हाफेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पीयूसी का निर्यात किया है जो भारत में एक संबंधित पक्षकार है। पीओआई के दौरान, हाइबाओ ने असंबंधित निर्यातकों / व्यापारियों के जरिए भी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। प्रस्तुत परिशिष्ट 3(ख) के अनुसार अर्थात संबंधित / असंबंधित निर्यातकों को कंपनी के बिक्रियों से संबंधित सूचना जिसे अंततः भारतीय उपभोक्ताओं को बेचा गया, से देखा गया है कि हाइबाओ ने इटरनल मार्क हांगकांग, इटरनल मार्क सिंगापुर, एमकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज ऑक्सिलियर्स को भी बिक्री की है।

109. प्रारंभिक जांच परिणाम में यह नोट किया गया था कि यद्यपि इटरनल मार्क हांगकांग और इटरनल मार्क सिंगापुर ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। परंतु किसी भी निर्यातक ने हायबाओ से खरीद की रिपोर्ट नहीं दी है। यह भी नोट किया गया है कि एमकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड और इंडस्ट्रीज ऑक्सिलियर्स ने निर्यातक प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है। यह तर्क दिया गया है कि व्यापारियों अर्थात इंटरनल मार्क हांगकांग और इटरनल मार्क सिंगापुर ब्रांड नाम अर्था हाईहुई के प्रयोग से झोंगशान हैबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड से खरीद की सूचना दी है। तथापि, यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है कि हाइहुई वास्तव में हायबाओ का ब्रांड नाम है। इसके अलावा, प्राधिकारी इस दावे को स्वीकार भी करें कि हाईहुई वास्तव में हाइबाओ है, तो यह देखा गया है कि हायबाओ द्वारा प्रस्तुत उत्तर इटरनल मार्क हांगकांग और इटरनल मार्क सिंगापुर द्वारा हाइहुइ के लिए प्रस्तुत उत्तर से मेल नहीं खाता है।

110. चूंकि हायबाओ द्वारा निर्यातों की माफी मात्रा का मिलान नहीं हो सका। इसलिए प्राधिकरण का मानना है कि हाइबाओ द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

viii. मेसर्स गुआंग्डोंग ओउला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

111. गुआंग्डोंग ओउला हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु का एक उत्पादक है। उसने भारत में असंबंधित उपभोक्ता को *** एमटी संबद्ध वस्तु का सीधे निर्यात किया है।

112. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने केवल वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि डीजी सिस्टम यह नहीं दर्शाता है कि क्या निर्यातित सामग्री सभी सौदों के लिए एमएस थी या एसएस । तथापि, प्रतिवादी ने उसके द्वारा निर्यातित सामग्री में एमएस और एसएस दोनों की पहचान की है। तथापि, उक्त दस्तावेजों के आधार पीसीएन सत्यापित नहीं किया जा सका।

113. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, नग आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि प्रतिवादी परिवर्तन पद्धति को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए प्रतिवादी के आंकड़ों को डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था।

114. इसके अलावा, निर्यातक ने उत्पाद के भार के सत्यापन के लिए अपनी पैकिंग सूची प्रस्तुत की है। तथापि, समान वर्णन वाले अनेक उत्पादों के लिए निर्यातक द्वारा सूचित भार अलग-अलग है। जहां उत्पाद का भार समान है, वहां भी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में अंतर है। निर्यातक ऐसे अंतर को उचित नहीं ठहरा पाया और प्रत्येक उत्पाद प्रकार के लिए परिवर्तन पद्धति प्रस्तुत करने के लिए कहने के बावजूद ताकि उसके द्वारा सूचित भार सत्यापित हो सके, वह उसे प्रस्तुत करने में उसे विफल रहा।

115. इसके अलावा, ओउला द्वारा अपने प्रत्युत्तर में बताए गए मूल्य और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में दिखाई देने वाले मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

116. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि गुआंग्डोंग ओउला द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

ix. मेसर्स जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कं, लिमिटेड

117. जियांग सिटी किकी हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ("किकी" के रूप में भी ज्ञात) एक उत्पादक है। उसने पीओआई के दौरान सीधे *** एमटी भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

118. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। यद्यपि डीजी सिस्टम यह नहीं दर्शाता है कि क्या निर्यातित सामग्री सभी सौदों के लिए एमएस थी या एसएस । तथापि, प्रतिवादी ने उसके द्वारा निर्यातित सामग्री में एमएस और एसएस दोनों की पहचान की है। तथापि, उक्त दस्तावेजों के आधार पीसीएन सत्यापित नहीं किया जा सका।

119. इसके अलावा, प्रतिवादी से उसके बीजकों का अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था जिसे प्रतिवादी ने प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, गूगल ट्रांसलेशन के प्रयोग से प्राधिकारी ने देखा कि चीनी में लिखित विवरण ''मेटल पोडक्ट आयरल गाइड रेल'' दर्शाता है।

120. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, पेयर आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि प्रतिवादी डीजी सिस्टम के आंकड़ों के सेट, पेयर आदि से किलोग्राम में परिवर्तन के लिए कोई परिवर्तन पद्धति पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए प्रतिवादी के आंकड़ों को डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था।

121. इसके अलावा, किकी द्वारा अपने प्रत्युत्तर में बताए गए मूल्य और डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों में प्रदर्शित मूल्य के बीच महत्वपूर्ण अंतर है।

122. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि जियांग सिटी किकी हार्डवेयर द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

x. मेसर्स फ़ोशान शुंडे हेक़ियान प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

123. फ़ोशान शुंडे हेक़ियान प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड संबद्ध देश में एक उत्पादक है। उसने पीओआई के दौरान भारत को प्रत्यक्ष रूप से *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। उत्पादक निर्यातक ने कमी संबंधी पत्र के उत्तर में वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। प्रदत्त सौदे डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मेल खाते हैं।

124. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ फ़ोशान शुंडे हेक़ियान द्वारा प्रस्तुत सूचना को स्वीकार करते हैं। इसे इस अंतिम जांच परिणाम में संगत तालिका में देखा जा सकता है।

xi. मेसर्स गुआंग्डोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड

125. गुआंगडोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन किया है और सीधे ही भारत को उनका *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। इसने मै. डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन (हांगकांग) लिमिटेड के जरिए भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है।

126. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। उत्पाद विवरण यह नहीं दर्शाता है कि क्या निर्यातित संबद्ध वस्तु एमएस है या एसएस । प्रतिवादी ने कोई समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य दिए बिना केवल यह बताया कि उसके द्वारा निर्यातित समस्त सामग्री माइल्ड स्टील से निर्मित है। तथापि, निर्यातक ने इस बात की पुष्टि के लिए कोई सूचना या साक्ष्य नहीं दिया है कि ये वस्तुएं वास्तव में माइल्ड स्टील से निर्मित थीं।

127. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, नग आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि प्रतिवादी परिवर्तन पद्धति को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए प्रतिवादी के आंकड़ों को डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था। अनंतिम निष्कर्ष में यह नोट किया गया कि सीधे निर्यातों के लिए उत्पादक द्वारा सूचित मात्रा तथा निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा डीजी सिस्टम में सूचित मात्रा से काफी अलग है।

128. इसके अलावा, निर्यातक ने उत्पाद के भार के सत्यापन के लिए अपनी पैकिंग सूची प्रस्तुत की है। तथापि, समान वर्णन वाले अनेक उत्पादों के लिए निर्यातक द्वारा सूचित भार अलग-अलग है। निर्यातक ऐसे अंतर को उचित नहीं ठहरा पाया और प्रत्येक उत्पाद की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को प्रस्तुत करने के लिए कहने के बावजूद ताकि उसके द्वारा सूचित भार सत्यापित हो सके, वह उसे प्रस्तुत करने में उसे विफल रहा।

129. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी ने ऐसे सौदों के लिए असामान्य रूप से अधिक कीमत घोषित की है जिनमें उन्होंने एमएस के रूप में पीसीएन की घोषणा की है। वास्तव में ऐसे सौदों के लिए प्रतिवादी द्वारा घोषित कीमत अर्थात माइल्ड स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तु के निर्यात से संबंधित सौदे के लिए कीमत स्टेनलेस स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तु की कीमत से भी अधिक है। इस बात से प्रतिवादी द्वारा सूचित मूल्य बिल्कुल अविश्वसनीय हो जाता है।

130. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि गुआंग्डोंग डोंगताई द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

xii. मेसर्स फ़ोशान शुंडे दाओके टेक्नोलॉजी कं., लिमिटेड, गुआंग्डोंग डोंगताई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कं, लिमिटेड के माध्यम से

131. फ़ोशान शुंडे डाओके टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है और इसने चीन में अपनी संबंधित ट्रेडर कंपनी अर्थात् मै. ग्वांगडोंग डोंगटाई हार्डवेयर प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (''हांगकांग डोंगटाई'' के रूप में भी ज्ञात) के जरिए भारत में असंबंधित ग्राहकों को *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

132. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकारी ने प्रतिवादी से उसके वैट बीजक प्रस्तुत करने के लिए कहा था जिसे सीमा शुल्क विभाग को प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादी ने उसे प्रस्तुत नहीं किया। उत्पाद विवरण यह नहीं दर्शाता है कि क्या निर्यातित संबद्ध वस्तु एमएस है या एसएस । प्रतिवादी ने कोई समर्थक दस्तावेजी साक्ष्य दिए बिना केवल यह बताया कि उसके द्वारा निर्यातित समस्त सामग्री माइल्ड स्टील से निर्मित है।

तथापि, निर्यातक ने इस बात की पुष्टि के लिए कोई सूचना या साक्ष्य नहीं दिया है कि ये वस्तुएं वास्तव में माइल्ड स्टील से निर्मित थीं।

133. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, नग आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि प्रतिवादी परिवर्तन पद्धति को पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए प्रतिवादी के आंकड़ों को डीजी सिस्टम के आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था। अनंतिम निष्कर्ष में यह नोट किया गया कि सीधे निर्यातों के लिए उत्पादक द्वारा सूचित मात्रा तथा निर्यातक द्वारा सूचित मात्रा डीजी सिस्टम में सूचित मात्रा से काफी अलग है।

134. इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिवादी ने ऐसे सौदों के लिए असामान्य रूप से अधिक कीमत घोषित की है जिनमें उन्होंने एमएस के रूप में पीसीएन की घोषणा की है। वास्तव में ऐसे सौदों के लिए प्रतिवादी द्वारा घोषित कीमत अर्थात माइल्ड स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तु के निर्यात से संबंधित सौदे के लिए कीमत स्टेनलेस स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तु की कीमत से भी अधिक है। इस बात से प्रतिवादी द्वारा सूचित मूल्य बिल्कुल अविश्वसनीय हो जाता है।

135. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि फ़ोशान शुंडे द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

xiii. मेसर्स शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री, गुआंगझोउ रोंगताई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के माध्यम से

136. शान्तोउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री (शान्तोउ रोंगताई के रूप में भी संदर्भित) चीन में संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है। पीओआई के दौरान, शान्तोउ रोंगताई ने अपने संबंधित निर्यातक गुआंगज़ौ रोंगताई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (रोंगताई के रूप में भी संदर्भित) के जरिए *** एमटी पीयूसी का उत्पादन और निर्यात किया। रोंगताई ने एक असंबद्ध उत्पादक जियांगमिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड से पीयूसी का क्रय भी किया और उसकी भारत को पुन: बिक्री की जिसकी इस अंतिम जांच परिणाम में अलग से जांच की गई है।

137. प्रतिवादियों ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादी ने उसके द्वारा निर्यातित सामग्री में एमएस और एसएस दोनों की पहचान की है। तथापि, उक्त दस्तावेजों के आधार पर पीसीएन सत्यापित नहीं किया जा सका।

138. इसके अलावा, प्रतिवादी से उसके बीजकों का अनुवाद प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। यह देखा गया था कि निर्यातक द्वारा बीजकों में उल्लिखित वर्णन को ''मेटल प्रोडक्ट *** बॉल बेयरिंग ड्रॉअर स्लाइड" के रूप में अनुवाद किया गया। तथापि, गूगल अनुवाद के प्रयोग से प्राधिकारी द्वारा यह देखा गया कि चीनी भाषा में उल्लिखित वर्णन ''मेटल प्रोडक्ड *** संजी रोड रेल" का वर्णन दर्शाता है। यह दस्तावेज के लिए वास्तविक बदलाव था जिससे पूरा उत्तर संदिग्ध हो गया।

139. निर्यातक द्वारा दी गई जानकारी का डीजी सिस्टम्स के आयात डेटा से मिलान नहीं हो सका। प्राधिकरण ने प्रारंभिक निष्कर्षों में निर्यातक द्वारा बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम्स डेटा में बताई गई मात्रा के बीच महत्वपूर्ण अंतर भी पाया।

140. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि शान्ताउ रोंगताई द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

xiv. मेसर्स जियायांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कं. लिमिटेड, गुआंगज़ौ रोंगताई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के माध्यम से

141. जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड (जियांग मिंगबो के रूप में भी संदर्भित) चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तुओं का एक उत्पादक है जिसने अपनी असंबद्ध व्यापारी कंपनी गुआंगज़ौ रोंगटाई हार्डवेयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के जरिए भारत को *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। असंबद्ध निर्यातक अर्थात् गुआंगज़ौ रोंगटाई ने भी अपनी संबंधित उत्पादक शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री से क्रय की गई संबद्ध वस्तुओं का भारत को निर्यात किया है। गुआंगज़ौ रोंगटाई और शान्ताउ रोंगताई, दोनों ने,

निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली फार्मेट में संगत सूचना उपलब्ध कराई है जिसकी इस अधिसूचना में पृथक रूप से जांच की गई है।

142. जियायांग मिंगबो ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रदान किए हैं। प्रतिवादी ने पीयूसी को एसएस के रूप में अभिज्ञात किया। जहां-जहां उसे बीजक और बीजक में दर्ज किया गया है और शेष को किसी विश्वसनीय साक्ष्य के बिना एमएस के रूप में अभिज्ञात किया गया। यह भी देखा गया है कि बीजक में उल्लिखित वर्णन को निर्यातक द्वारा ड्राअर स्लाइडर के रूप में अनुवाद किया गया है । तथापि, प्राधिकारी द्वारा गूगल अनुवाद से यह देखा गया है कि चीनी भाषा में वर्णित विवरण मेटल प्रोडक्ट रेल दर्शाता है। यह दस्तावेज में वासतविक बदलाव था जिसने संपूर्ण उत्तर को संदिग्ध बना दिया ।

143. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, पेयर आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि जियायांग मिंगबो ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के सेट, पेयर आदि से किलोग्राम में परिवर्तन के लिए कोई परिवर्तन पद्धति पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना को डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था।

144. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि जियायांग मिंगबो द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए कानूनी अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

xv. मेसर्स ग्वांगडोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड (इटरनल सिंगापुर) और इंटरनल मार्क हांगकांग प्राइवेट लिमिटेड (इंटरनल हांगकांग) के माध्यम से

145. गुआंगडोंग जिंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड एक ऐसा उत्पादक है जिसने भारत को सीधे ही *** एमटी संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। इसने इटरनल मार्क प्रा. लिमिटेड (हांगकांग) के जरिए *** एमटी और इटरनल मार्क सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के जरिए *** एमटी का भी निर्यात किया है।

146. सर्वप्रथम यह नोट किया गया है कि प्रतिवादी ने दिनांक 19 अगस्त 2024 के प्राधिकारी के ई-मेल का देरी से उत्तर दिया है जिसमें कतिपय सूचना मांगी गई थी। प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रदान किए हैं। तथापि, यह देखा गया है कि बीजक में उल्लिखित वर्णन को निर्यातक द्वारा ड्राअर स्लाइडर के रूप में अनुवाद किया गया था । तथापि, प्राधिकारी द्वारा गूगल अनुवाद से यह देखा गया है कि चीनी भाषा में वर्णित विवरण मेटल प्रोडक्ट आयरन रेल दर्शाता है। यह दस्तावेज में वास्तविक बदलाव था जिसने संपूर्ण उत्तर को संदिग्ध बना दिया ।

147. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़ों में किलोग्राम से इतर इकाइयों जैसे सेट, पेयर आदि में आंकड़े प्रदर्शित हैं जबकि निर्यातक द्वारा प्रदत्त आंकड़े किलोग्राम में हैं। चूंकि निर्यातक ने डीजी सिस्टम के आंकड़ों के सेट, पेयर आदि से किलोग्राम में परिवर्तन के लिए कोई परिवर्तन पद्धति पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए निर्यातक द्वारा प्रदत्त सूचना को डीजी सिस्टम के आयात आंकड़ों से मिलाया नहीं जा सका था।

148. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकरण का मानना है कि गुआंग्डोंग ज़िंगपेंग द्वारा प्रस्तुत सूचना पर अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जा सकता है। तथापि, उत्पादक / निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोध की इस अधिसूचना में जांच की गई है।

xvi. मेसर्स फ़ोशान फ़ुसाइर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड

149. मेसर्स फ़ोशान फ़ुसाइर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (जिसे "फुसियर" भी कहा जाता है) विषयगत देश में एक उत्पादक है और उसने भारत को सीधे तौर पर 3,269 मीट्रिक टन विषयगत वस्तुओं का निर्यात किया है। इसके द्वारा रिपोर्ट की गई मात्रा डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों से मेल खाती है।

150. उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से फुसियर द्वारा प्रस्तुत जानकारी को स्वीकार करते हैं। इसे इस अंतिम निष्कर्ष में प्रासंगिक तालिकाओं में देखा जा सकता है।

xvii. मेसर्स झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट्स मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (चुआंगयियुआन) के माध्यम से

151. मेसर्स झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड (कांगक्सुन के रूप में भी संदर्भित) संबद्ध वस्तुओं की एक उत्पादक है। कांगक्सुन ने संबद्ध वस्तुओं का अपनी सहायक कंपनी झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट चुआंग्यीयुआन मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (चुआंग्यीयुआन के रूप में भी संदर्भित) के जरिए *** एमटी संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है।

152. प्रतिवादी उत्पादक और निर्यातक ने वाणिज्यिक बिक्री बीजक, वैट बीजक, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेज कमी संबंधी पत्र के उत्तर में प्रस्तुत किए हैं। डीजी सिस्टम के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवादी द्वारा निर्यातित सामग्री एमएस थी। प्रतिवादी ने उसके द्वारा निर्यातित समस्त सामग्री की भी एमएस के रूप में पहचान की थी।

153. आंकड़ों के मिलान के संबंध में डीजी सिस्टम के आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवादी से निर्यात विहित इकाई अर्थात किलोग्राम में सूचित किए गए हैं और निर्यातक द्वारा उसके उत्तर में सूचित आंकड़े भी किलोग्राम में हैं और उत्पादक द्वारा रखे गए बीजक भी किलोग्राम की इकाई में हैं। इस प्रकार निर्यातक आंकड़ा समूह का मिलाने करने में सक्षम रहा है।

154. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी अलग पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कांगसुन द्वारा प्रस्तुत सूचना को स्वीकार करते हैं । इस अंतिम जांच परिणाम के संगत तालिका में उसे देखा जा सकता है।

xviii. असहयोगी उत्पादक / निर्यातक

155. प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित कारणों के आधार पर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति नहीं की गई निर्यात कीमत वाले उत्पादकों और निर्यातकों की निर्यात कीमत सहित असहयोगी उत्पादकों / निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करने के बाद किया है। समुद्री भाड़ा, अंतर्देशीय

भाड़ा, बीमा, संभलाई प्रभार, कमीशन और बैंक प्रभार के लिए समयोजन किए गए हैं। इस प्रकार निर्धारित निर्यात कीमत नीचे उल्लिखित पाटन मार्जिन तालिका में दी गई है।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

156. ऊपर यथा निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, यह नोट किया गया कि पाटन मार्जिन नियमावली के अंतर्गत विहित निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।

पाटन मार्जिन तालिका

कंपनी	सामान्य मूल्य	निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन		
	डॉलर/एमटी	डॉलर/एमटी	डॉलर/एमटी	%	रेंज
जिएयांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कं, लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(10-20)
फ़ोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(40-50)
झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(0-10)
जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(30-40)
फ़ोशान फ़ुसाइड़ मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(20-30)
अन्य	***	***	***	***	40-50

छ. **<u>क्षति निर्धारण की पद्धति और क्षति एवं कारणात्मक संबंध की जांच</u>**

157. अनुबंध-2 के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में व्यवस्था की गई है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति की ओर संकेत करते हैं, ''....सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों का परिणामी प्रभाव शामिल है...''। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, इस पर विचार किया जाना अनिवार्य समझा गया कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत के साथ तुलना किए जाने पर पाटित आयातों द्वारा उल्लेखनीय कीमत कटौती की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव ने अन्यथा रूप से उल्लेखनीय मात्रा तक कीमतों में ह्रास किया है या कीमतों में वृद्धि को रोका है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण रूप से घटित हुई होती।

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

158. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. याचिका 5 प्रतिदर्श कंपनी द्वारा दायर की गई थी। पीएफ में नमूने के आकार को बटरफ्लाई को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था। आवेदकों से इन परिवर्तनों को दर्शाते हुए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करने की उम्मीद थी। परंतु ऐसी कोई संशोधित जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्रतिवादियों ने सुनवाई और डब्ल्यूएस के लिए पीएफ पर भरोसा किया है। घरेलू उद्योग को पहले से प्रदत्त आंकड़ों में आगे और संशोधन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

ii. आयात मात्रा में याचिका और प्रारंभिक जांच परिणाम में विसंगति की जांच की जानी चाहिए और प्राधिकारी द्वारा सही मात्राओं की पुष्टि करनी चाहिए।।

iii. आयातों में घरेलू उद्योग द्वारा मांग नहीं पूरी करने के कारण मांग के साथ वृद्धि हुई है।

iv. घरेलू उद्योग ने आयातों में वृद्धि के बावजूद भारी वृद्धि दर्शाई है। उसके बाजार हिस्से, उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग मांग को पूरा करने के लिए विस्तार कर रहा है और आयातों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं हुआ है।

v. घरेलू उद्योग ने एनआईपी ज्ञात करने के लिए सकल स्थिर परिसंपत्ति पर 22 प्रतिशत या उससे अधिक के आरओसीई का दावा किया है। यह दावा काफी अधिक है और कानून के अनुसार नहीं है। डीजी कमतर शुल्क को अपनाते हैं और उत्पादन लागत के आधार पर एनआईपी ज्ञात करते हैं। डीजी को उद्योग द्वारा अर्जित आरओसीई पर अपनाना चाहिए। जब पाटन का कोई आरोप नहीं था और तर्कसंगत लाभ मार्जिन था।

vi घरेलू उद्योग यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि पाटित मात्रा का कोई परिणामी प्रभाव पड़ा है। संबद्ध देश से आयातों में 2020-21 और 2021-22 के दौरान ऋणात्मक रूझान रहा है और पीओआई में केवल 100 से 120 सूचीबद्ध बिंदुओं की वृद्धि हुई है। आयातों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि घरेलू बिक्रियों में 155 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग की बिक्री और बाजार हिस्से में भी वृद्धि हुई है।

vii. आरंभ में याचिकाकर्ता कीमत कटौती और ह्रास के संबंध में अगोपनीय ब्यौरे नहीं दे पाया था और अब उसने पीओआई में केवल रेंज बताई है।

viii. कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण सिद्ध नहीं हुआ है। कीमत में 2021-22 में 26 प्रतिशत और पीओआई में 14 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है। याचिकाकर्ता कारखानाद्वार की वसूली कर सकता है, घाटे में नहीं चल रहा है और लागत के साथ कीमत बढ़ाने में सक्षम है।

ix. याचिकाकर्ता की बिक्री कीमतों, बिक्री मार्जिन और लाभप्रदता में आधार वर्ष से पीओआई के बीच वृद्धि हुई है।

x. आयात कीमत और याचिकाकर्ता की कीमत के बीच कोई संबंध नहीं है। ये बेमेल हैं। 2020-21 में आयात कीमत में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग ने अपनी बिक्री कीमत घटाई। यद्यपि सीआईएफ आयात कीमत में 14 सूचकांक की वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता ने बिक्री कीमत में 26 प्रतिशत की वृद्धि की। आयात कीमत ने कीमत निर्धारण को प्रभावित नहीं किया। पीओआई के दौरान आयात कीमत में 22 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद बिक्री कीमत में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

xi. याचिकाकर्ता आंतरिक समस्याओं, वैविश्क रूप से मंदी की बाजार स्थितियों, कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता, कोविड-19 महामारी के प्रभाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, संयंत्र के बंद होने आदि जैसे अन्य कारकों के समाधान में विफल रहा है।

xii. घरेलू उद्योग उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पाद की रेंज और गुणवत्ता देने में असमर्थ है। वह उत्पादों के प्रकारों की घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकता है जबकि निर्यातकों के पास विविध तकनीकी विशेषताओं वाला व्यापक पोर्टफोलियो है। विनिर्देशन प्रतिस्थापनीय नहीं हैं। घरेलू उद्योग अनेक छोटे उत्पादों के कारण पिछड़ा हुआ है। क्षति आयातों के लिए पसंद के कारण हुई है, जो बेहतर गुणवत्ता और किस्मों के हैं।

xiii. उत्पादकों / निर्यातकों ने व्यापक क्षमताएं और आधुनिक प्रौद्योगिकी स्थापित करने के लिए निवेश किया है। पैमाने की उच्च किफायत और उत्पादन की कम लागत लाभप्रदता को प्रभावित करती है। याचिकाकर्ता ने क्षमता बढ़ाई है जिससे उच्च पूंजीगत व्यय, उच्च मूल्य ह्रास और उच्च ज्ञात लागत हुई है। प्रचालनात्मक मुद्दों के कारण वित्तीय क्षति हुई है और आयातों के कारण नहीं ।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

159. क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:-

i. भारतीय उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो स्वरूप से खंडित है और असंगठित क्षेत्र इसे और अधिक संवेदनशील बनाता है। चीन से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग को अत्यधिक क्षति पहुंचाई है।

ii. संबद्ध आयातों की मात्रा में क्षति अवधि में भारी वृद्धि अर्थात लगभग 165 प्रतिशत तक हुई है।

iii. सापेक्ष रूप से आयात काफी अधिक हैं। संबद्ध आयात भारत में संबद्ध वस्तु के कुल आयातों का लगभग 95 प्रतिशत हैं और कुल भारतीय खपत का 77 प्रतिशत हैं।

iv. विभिन्न निर्यातकों द्वारा उनकी निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत परिशिष्ट 1 के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत को उनके निर्यातों में क्षति अवधि में वृद्धि हुई है और वे कथित कोविड अवधि में भी बढ़ रहे थे।

v. आयातों के गौण स्रोतों से लिए गए आयात आंकड़े के विश्लेषण के रूप में काफी अधिक सूचित होने की संभावना है, जो दर्शाता है कि आयात अन्य एचएस कोडों के अंतर्गत भी हुए हैं।

vi आयातों में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है और ये आधार वर्ष में 20,000 एमटी से बढ़कर पीओआई में 60,000 एमटी हो गए हैं।

vii. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न बनी रही है, इसलिए कीमत कटौती का स्तर पीओआई के दौरान 45-55 प्रतिशत की रेंज में रहा है।

viii. जैसा प्राधिकारी ने अनंतिम निष्कर्ष में नोट किया है/ माइल्ड स्टील से निर्मित समान वस्तु की बिक्री कीमत उसकी लागत से थोड़ी अधिक है जबकि स्टेनलेस स्टील से निर्मित समान वस्तु की बिक्री कीमत पीओाआई में उसकी लागत से कम है। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील से निर्मित संबद्ध वस्तु के आयातों के मामले में पहुंच मूल्य तुलनीय समान वस्तु की लागत से कम है। पाटित आयातों ने बाजार में उत्पाद की कीमतों पर दबाव डाला है।

ix. मांग में वृद्धि के साथ नयी क्षमता जोड़ी गई थी। भारतीय उद्योग के पास 60,056 एमटी के मांग के मुकाबले 56,000 एमटी के आसपास की स्थापित क्षमता है।

x. भारी मांग और पर्याप्त क्षमता के बावजूद भारतीय उत्पादकों का क्षमता उपयोग काफी कम रहा है। वास्तव में पहले से कम क्षमता उपयोग में पीओआई में और अधिक गिरावट आई है।

xi. मांग में वृद्धि भी घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री मात्राओं में प्रदर्शित होती है। तथापि, ऐसी वृद्धि देश में मांग और स्थापित क्षमता पर विचार करते हुए मामूली है।

xii. चीन के आयातों का बाजार हिस्सा बाजार का काफी बड़ा हिस्सा बनता है, जो लगभग 75 प्रतिशत है। घरेलू उद्योग के पास पर्याप्त क्षमताओं के बावजूद चीन के आपूर्तिकर्ताओं का भारतीय बाजार में प्रभुत्व है।

xiii. घरेलू उद्योग काफी लाभ मार्जिन पर प्रचालन कर रहा है। मजबूत मांग के बावजूद उद्योग उच्चतर कीमत प्राप्त करने में असमर्थ जिससे पता चलता है कि संबद्ध आयात घरेलू कीमतों और लाभप्रदता में ह्रास कर रहे हैं।

xiv. घरेलू उद्योग द्वारा अर्जित लाभ लागत के प्रतिशत रूप में उस सीमा से काफी कम है जिसकी सामान्य मूल्य की गणना में प्राधिकारी द्वारा अनुमति है। उद्योग 1 प्रतिशत लाभ भी नहीं कमा रहा है। संबद्ध वस्तु की मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग को उच्चतर कीमत और बेहतर लाभ मिलना चाहिए था।

xv. घरेलू उद्योग ने विशेष रूप से 2021-22 की अवधि और पीओआई में मांग में वृद्धि के बावजूद मालसूची में भारी वृद्धि देखी है। आवेदक को काफी मात्रा बेचने में सक्षम होना चाहिए जिससे मालसूची में कमी आती जबकि इसके विपरीत उसकी मालसूची इकट्ठी हो गई है।

xvi. क्षमता में वृद्धि के साथ घरेलू उद्योग के रोजगार के स्तरों में भी पूरी क्षति अवधि में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप मजदूरी में भी वृद्धि हुई है।

xvii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि हुई है।

xviii. पाटित आयातों ने मात्रा और कीमत दोनों मापदंडों को पूरी तरह प्रभावित किया है।

xix. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है, बल्कि काफी अधिक भी है।

xx. संबद्ध आयात भारत में संबद्ध आयातों की कुल मात्रा का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा है। चीन जन. गण. से इतर स्रोतों से आयात मामूली है।

xxi. मांग में क्षति अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग को मांग में संभावित संकुचन के कारण क्षति नहीं हुई है।

xxii. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxiii. आवेदक को स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता के कारण कोई क्षति नहीं हुई है।

xxiv. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी साथ ही उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

xxv. कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं नहीं हैं।

xxvi. घरेलू उद्योग द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए हैं। इसलिए निर्यात बिक्रियां घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकती हैं। वास्तव में घरेलू उद्योग ने केवल अपने घरेलू प्रचालनों की सूचना दी है।

xxvii. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति अवधि के दौरान सुधार हुआ है।

xxviii. कोविड-19, रूस - यूक्रेन युद्ध आदि जैसे कारकों के प्रभाव का समाधान करने के संबंध में प्रतिवादियों ने किसी साक्ष्य के बिना केवल आरोप लगाए हैं। पीओआई में कोविड-19 महामारी नहीं थी। कच्ची सामग्री की कीमत में अस्थिरता, यदि कोई हो, प्रतिवादियों पर भी समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा, रूस - यूक्रेन संघर्ष का चैनल ड्राअर के व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं था।

xxix. आपूर्ति की उपलब्धता की कमी संबंधी अनुरोधों के बारे में उनके आरोप किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने उपभोक्ताओं के लिए संबद्ध वस्तु के विभिन्न विनिर्देशन उपलब्ध कराए हैं।

xxx. प्रचालनात्मक मुद्दों के कारण क्षति के संबंध में भारतीय उद्योग उत्पादकों द्वारा अपनाई गई तकनीक संबद्ध उत्पादकों की तकनीक के समतुलय है। घरेलू उद्योग पूरी क्षति अवधि में क्षमता वृद्धि करता रहा था। उत्पादन और बिक्री में परिणामी वृद्धि के बावजूद नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई।

xxxi. घरेलू उद्योग द्वारा संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करने के संबंध में ऐसा प्राधिकारी के निर्देश पर किया गया था। प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत सूचना पर 19 अप्रैल 2024 को जारी अनंतिम निष्कर्षों में विचार किया गया था। कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए

हैं। प्रतिवादियों के पास संशोधित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए अनंतिम निष्कर्षों के स्तर पर पर्याप्त अवसर था।

xxxii. याचिका और प्रारंभिक जांच परिणाम में आयात मात्रा के बीच विसंगति के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह बताते हुए जांच शुरूआत के बाद के अनुरोध में बाजार आसूचना से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित आयात पर विचार किया है कि उसके पास आयातों की पूरी जानकारी नहीं है। वास्तव में प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में अपने स्वयं के आंकड़ों पर भरोसा किया है जिनका प्रतिवादी संदर्भ ले सकते हैं।

xxxiii. मांग के अनुसार आयातों में वृद्धि के संबंध में क्षति अवधि के दौरान मांग में 177 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी समय संबद्ध आयातों की मात्रा में 165 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

xxxiv. उद्योग द्वारा अर्जित आय पर आधारित हमारी क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के संबंध में जब पाटन का कोई आरोप नहीं था तब घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी की संगत प्रक्रिया के आधार पर एनआईपी निर्धारित किया है और इसलिए 22 प्रतिशत की आय पर विचार किया है।

xxxv. जहां तक आयातों में वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ने का संबंध है। संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष तथा 2020-21 से वृद्धि हुई है जिससे घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री सीधे प्रभावित हुआ है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 मांग / स्पष्ट खपत का आकलन

160. मांग / स्पष्ट खपत के प्रयोजन हेतु, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात और घरेलू उद्योग द्वारा की गई कुल घरेलू बिक्रियों और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों द्वारा की गई बिक्रियों पर विचार किया है।

मांग	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई

					(कुल आयात)
घरेलू उद्योग की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
सूची		100	153	203	255
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
सूची		100	173	338	317
कुल बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***
सूची		100	162	264	283
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	17,436	27,214	47,922	46,276
अन्य देशों से आयात	एमटी	342	2,798	3,471	2,820
कुल आयात	एमटी	17,778	30,012	51,393	49,096
कुल मांग / खपत	एमटी	21,651	36,287	61,620	60,056
सूची		100	168	285	277

161. यह देखा गया है कि क्षति अवधि में उत्पाद की मांग में भारी वृद्धि हुई है और पीओआई में मामूली गिरावट आई हे।

छ.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. समग्र और सापेक्ष रूप से आयात

162. पाटित आयातों की मात्रा के संदर्भ में, प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए जाने की जरूरत है कि क्या कुल रूप में या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में पाटित आयातों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस के सौदावार आंकड़ों पर भरोसा किया है। संबद्ध वस्तुओं की आयात मात्रा और क्षति जांच अवधि के दौरान इसका हिस्सा निम्नानुसार है:-

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई (कुल आयात)**
आयात मात्रा					
चीन जन. गण. से आयात	एमटी	17,436	27,214	47,922	46,276

अन्य देशों से आयात	एमटी	342	2,798	3,471	2,820
कुल आयात	एमटी	17,778	30,011	51,393	49,096
निम्न के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	98	91	93	94
भारतीय उत्पादन	%	381	420	388	315
भारतीय मांग	%	81	75	78	77

163. यह देखा गया है कि:

क. चीन से आयातों में क्षति की पूरी अवधि में काफी हद तक वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में इसमें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में मामूली गिरावट आई है। संबद्ध आयातों की मात्रा में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में लगभग 165 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

ख. आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है। संबद्ध आयातों में जांच की अवधि में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों का 94 प्रतिशत हिस्सा था।

ग. आयात भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा ।

घ. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक हैं और ये भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग का लगभग 77 प्रतिशत पूरा करते हैं।

ड. भारतीय उद्योग द्वारा देश में इस उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में वृद्धि करने के बावजूद, आयातों का भारतीय बाजार में बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय उद्योग के पास मौजूदा मांग के लगभग 95 प्रतिशत मांग को पूरा करने की क्षमता है। इसके बावजूद, खपत में संबद्ध आयातों का हिस्सा काफी अधिक बना रहा है।

164. प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण रूप में और भारत में उत्पादन तथा खपत की तुलना में दोनों में बहुत अधिक रहा है। यह

तर्क दिया गया है कि आयातों में मांग के अनुसार वृद्धि हुई है। तथापि, यह नोट किया जाए कि घरेलू उद्योग पर्याप्त क्षमता के बावजूद संबद्ध आयातों का भारतीय बाजार में 77 प्रतिशत हिस्सा है।

छ.3.3 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

165. इस नियमावली के अनुबंध II (ii) के संदर्भ में, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस तथ्य पर विचार करें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों के द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण अन्य प्रकार से कीमतों पर बहुत अधिक हद तक दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से बहुत अधिक हद तक हुई होती।

166. तदनुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती और कीमत ह्रास/न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

क) <u>कीमत कटौती</u>

167. उस सीमा जिस सीमा तक आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, का निर्धारण करने के लिए संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से की गई है। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर विचार कारखानागत स्तर पर जिसमें सभी छूट और करों का निवल शामिल है, पर विचार किया गया है। कीमत में कटौती का निर्धारण अलग-अलग पीसीएन के लिए पृथक रूप से किया गया है और उसके बाद कीमत में कटौती का निर्धारण विचाराधीन उत्पाद के लिए किया गया है। यह देखा गया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में 49 प्रतिशत की सीमा तक कटौती हो रही है।

विवरण	**यूनिट**	**पीओआई**		
		एमएस	**एसएस**	**पीयूसी**

आयातों का पहुंच मूल्य	रू/एमटी	86,154	1,35,554	1,13,346
निवल बिक्री प्राप्ति	रू/एमटी	***	***	***
कीमत कटौती	रू/एमटी	***	***	***
	%	***	***	***
	रेंज	20-30	60-70	45-55

168. यह देखा गया है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत कम है। आयातों के कारण जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों में बहुत अधिक हद तक कटौती हो रही थी।

क) <u>कीमत ह्रास या न्यूनीकरण</u>

169. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के कीमत ह्रास और न्यूनीकरण के प्रभाव का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत और बिक्री कीमत में प्रवृत्तियों की तुलना की है तथा संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत की प्रवृत्तियों से तुलना की है। कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण का आकलन अलग-अलग पीसीएन के लिए पृथक रूप से किया गया है।

विवरण	**यूनिट**	**पीओआई**	
		एमएस	**एसएस**
आयातों का पहुंच मूल्य		86,154	1,35,554
बिक्रियों की लागत	रू/एमटी	***	***
निवल बिक्री प्राप्ति	रू/एमटी	***	***

170. यह देखा गया है कि माइल्ड स्टील से निर्मित समान वस्तु की बिक्री कीमत इसकी लागत से मामूली रूप से अधिक है जबकि स्टेनलेस स्टील से निर्मित समान वस्तु की कीमत जांच की अवधि में इसकी लागत से कम है। माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील से निर्मित

संबद्ध वस्तुओं के आयातों के मामले में पहुंच मूल्य तुलनीय समान वस्तुओं की लागत से बहुत कम है। यह देखा गया है कि जांच की अवधि में पाटित आयातों के कारण बाजार में इस उत्पाद की कीमतें कम हुई हैं।

छ.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

171. नियमावली के अनुबंध II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों जिनका बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर प्रतिफल अथवा क्षमता के उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो; घरेलू कीमतों, पाटन के मार्जिन के आकार को प्रभावित करने वाले कारकों; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभावों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की चर्चा इसमें नीचे की गई है:

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

172. क्षमता, उत्पादन, क्षमता का उपयोग और बिक्री के संबंध में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन निम्नानुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	138	158	195
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	141	214	243
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	111	144	96
घरेलू बिक्रियां	एमटी	***	***	***	***

सूचीबद्ध		100	153	203	255
मांग	एमटी	21,651	36,287	61,620	60,056

173. यह देखा गया है कि:

क. इस उत्पाद की मांग ने इस अवधि के दौरान बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। इस मांग ने विशेष रूप से वर्ष 2021-22 तक वृद्धि और जांच की अवधि में मामूली गिरावट दर्शायी है।

ख. उत्पाद की मांग में अचानक और तेजी से वृद्धि पर विचार करते हुए पीओआई में भारत में विनिर्माताओं द्वारा नयी क्षमताएं जोड़ गई थीं।

ग. क्षमता में वृद्धि के साथ, घरेलू उद्योग के उत्पादन ने भी कुछ वृद्धि दर्ज की है हालांकि यह उत्पादन घरेलू उद्योग के पास संस्थापित क्षमताओं और बाजार में इस उत्पाद की मांग को देखते हुए उन स्तरों से बहुत कम है जिसे घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता था।

घ. घरेलू उद्योग की बिक्री ने भी वृद्धि दर्शायी है। तथापि, बिक्री की मात्रा में वृद्धि देश में मांग में वृद्धि की तुलना में बहुत कमतर है। यह देखा गया है कि कुल मांग में घरेलू उत्पादकों का हिस्सा पूरी क्षति अवधि में 17-18 प्रशित पर स्थिर रहा है। मांग में वृद्धि पर अधिकांशत: संबद्ध आयातों ने कब्जा कर लिया है।

ड. घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग के कम स्तर के साथ कार्य कर रहा है। इसके अलावा, बाकी क्षमता के उपयोग में 2021-22 तक वृद्धि हुई, उसमें जांच की अवधि में बहुत अधिक हद तक गिरावट आई। जांच की अवधि में क्षमता का उपयोग तत्काल पिछले वर्ष की तुलना में भी कमतर नहीं था बल्कि पिछले समग्र वर्षों के दौरान भी यह कमतर था।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

174. बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
संबद्ध देश	%	81	75	78	77
अन्य देश	%	2	8	6	5
घरेलू उद्योग	%	10	9	7	9
अन्य भारतीय उत्पादक	%	8	8	10	9

175. यह देखा गया है कि संबद्ध देश का बाजार हिस्सा भारतीय उद्योग द्वारा देश में मौजूदा और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं में वृद्धि करने के बावजूद क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है। घरेलू उद्योग के पास जांच की अवधि में भारतीय बाजार में केवल 9 प्रतिशत का हिस्सा है। भारतीय उद्योग के पास सामूहिक रूप से 18 प्रतिशत बाजार हिस्सा है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि भारतीय उद्योग के पास सामूहिक रूप से जांच की अवधि के दौरान 60,056 एमटी की स्थापित मांग की तुलना में लगभग 56,000 एमटी की क्षमता है। इस प्रकार, अधिकांश बाजार हिस्सा संबद्ध आयातों के पास है जबकि घरेलू उद्योग के पास काफी अधिक क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है।

ग) <u>लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय</u>

176. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर प्रतिफल का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	98	127	115
बिक्री कीमत	रू/एमटी	***	***	***	***

सूचीबद्ध		100	98	126	114
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रू/एमटी	***	***	(***)	***
सूचीबद्ध		100	66	-16	35
लागत के प्रतिशत रूप में पीबीटी	%	***	***	(***)	***
सूचीबद्ध		100	67	-12	31
नकद लाभ	रू/एमटी	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	94	66	84
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	87	33	72

177. यह देखा गया है कि:

क. घरेलू उद्योग बिक्री की लागत पर मामूली लाभ अर्जित करता रहा है।

ख. बिक्री की प्रति इकाई लाभ बहुत कम है और इसमें 2020-21 तक गिरावट आई और 2021-22 में यह ऋणात्मक हो गई। तत्पश्चात पीओआई में इसमें मामूली वृद्धि हुई।

ग. बहुत अधिक क्षमता वृद्धि और उसके फलस्वरूप उत्पादन और बिक्री में वृद्धि के बावजूद, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई।

178. प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग लाभ का बहुत कम स्तर अर्जित करने में सक्षम रहा है। इसके अलावा, लाभ के ऐसे कम स्तर 2021-22 में ऋणात्मक हो गए हैं। नकद लाभ और आरओआई में भी 2021-22 तक यही रूझान रहा और वर्ष 2022-23 में अधिक गिरावट आई तथा पीओआई की अवधि में वृद्धि हुई । संबद्ध वस्तु की मांग को देखते हुए घरेलू उद्योग को उच्चतर कीमतें और बेहतर लाभ प्राप्त होना चाहिए था।

घ) <u>मालसूची</u>

179. क्षति की अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आकड़ा नीचे दिया गया है:

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
प्रारंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	एमटी	***	***	***	***
मालसूची	एमटी	***	***	***	***
मालसूची	एमटी - सूचीबद्ध	100	107	130	168

180. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास मालसूची के स्तर में क्षति की पूरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। मालसूची में ऐसी वृद्धि 2021-22 और पीओआई से बहुत अधिक है जब आयातों में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी है। जांच की अवधि के अंत में अंतिम भंडार पीओआई में घरेलू उद्योग के उत्पादन का लगभग 30 प्रतिशत था।

ड.) <u>रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता</u>

181. घरेलू उद्योग की रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

विवरण	**यूनिट**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	111	164	178
वेतन और मजदूरी	रू लाख	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	87	138	200

उत्पादकता प्रति दिन	एमटी/दिन	***	***	***	***
सूचीबद्ध		100	141	200	229

182. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के कर्मचारियों की संख्या में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।रोजगार के स्तरों में वृद्धि के साथ भुगतान किए गए वेतनों ने भी वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा, उत्पादकता ने भी उत्पादन के संचलन के अनुरूप बढ़ती हुई प्रवृत्ति दर्शायी है।

च) <u>वृद्धि</u>

183. याचिककर्ता की वृद्धि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	**यूनिट**	**2020-21**	**2021-22**	**पीओआई**
क्षमता	%	***	***	***
उत्पादन	%	***	***	***
बिक्रियां	%	***	***	***
औसत मालसूची	%	***	***	***
लाभ प्रति यूनिट	%	(***)	(***)	***
नकद लाभ प्रति यूनिट	%	(***)	(***)	***
आरओसीईई	%	(***)	(***)	***

184. यह देखा गया है कि पाटित आयातों में उत्पादन, बिक्री और मालसूची के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। जब घरेलू उद्योग ने 2021-22 तक और उसके बाद पीओआई में लाभ, नकद लाभ ओर आरओसीईई में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है तो इन मापदंडों में मामूली सुधार हुआ है।

छ) पाटन और पाटन मार्जिन की मात्रा

185. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है बल्कि यह बहुत अधिक भी है।

ज. कारणात्मक संबंध

186. क्षति अवधि के **दौरान** घरेलू उद्योग के निष्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित होता है:

क. जांच अवधि के दौरान विषयगत वस्तुओं के आयात में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है तथा सापेक्ष रूप में यह उल्लेखनीय रहा है। घरेलू उद्योग की क्षमता का पूरी तरह से उपयोग न होने के बावजूद आयात में वृद्धि हुई है।

ख. आयातों का पीसीएन-वार उतराई मूल्य बिक्री मूल्य के स्तर से नीचे है तथा जांच अवधि में बिक्री लागत से भी नीचे है, जिसके कारण मूल्य ह्रास हो रहा है।

ग. भारत में कुल मांग में डंप किए गए आयातों की बाजार हिस्सेदारी लगभग 77% है, जबकि भारतीय उद्योग की मांग में बाजार हिस्सेदारी केवल 18% है।

घ. घरेलू उद्योग मांग में वृद्धि के अनुरूप अपने उत्पादन और बिक्री में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है। घरेलू उद्योग के पास जांच अवधि में काफी अप्रयुक्त क्षमता थी, हालांकि मांग में वृद्धि हुई थी।

ङ. आयात में वृद्धि के कारण इन्वेंट्री स्तर में वृद्धि हुई है।

च. पाटित आयातों की उपस्थिति के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। जांच अवधि में लागत के प्रतिशत के रूप में कर लाभ लाभ केवल 0.25% के आसपास है।

187. उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि विषयगत देश से भारत में पीयूसी के डंप किए गए आयातों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग को **वास्तविक** क्षति हो रही है। विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए गए विषयगत वस्तुओं के डंप किए गए आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध मौजूद है।

झ. <u>एट्रिब्यूशन विश्लेषण</u>

188. नियमावली के अनुसार,प्राधिकारी से अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि वे पाटित आयातों के अलावा किसी ज्ञात कारकों की जांच करें जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सके। वे कारक जो इस संबंध में संगत हो सकते हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन तथा उत्पादकता शामिल है। यहां नीचे इस तथ्य की जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावाअन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

189. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश को छोड़ कर अन्य स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के आयात बहुत अधिक नहीं है।

ख. मांग में संकुचन

190. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।

ग. खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

191. विचाराधीन उत्पादनके खपत के पैटर्न में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

192. संबद्ध वस्तुओं के आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं है और देश में उनका स्वतंत्र रूप से आयात नहीं किया जा सकता है।

ड. प्रौद्योगिकी में विकास

193. प्राधिकारी नोट करते हैं विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिएप्रौद्योगिकी में कोई ज्ञात वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है।

च. निर्यात निष्पादन

194. दी गई सूचना पर विचारघरेलू उद्योग के घरेलू प्रचालनों के लिए ही किया गया है। फिर भी यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने अन्य देशों को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है।

छ. उत्पादकता

195. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ञ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

196. प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध III में यथा निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचारधीन उत्पाद की एनआईपी को जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना / आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत के साथ की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। सुविधाओं के लिए यही पद्धति अपनाई गई है। यह सुनिश्चित किया गया कि उत्पादन लागत पर हुई असाधारण या अनावर्ती व्यय प्रभारित नहीं किए गए हों। विचाराधीन उत्पाद के लिए लगाई गई औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्तियों जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर तर्कसंगत प्रतिफल (22 प्रतिशत की दर से कर पूर्व) की क्षतिरहित कीमत ज्ञात करने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी। इस प्रकार निर्धारित एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु विचार किया गया है।

197. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित पहुंच मूल्य और एनआईपी के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

कंपनी	क्षतिरहित कीमत	पहुंच मूल्य	क्षति मार्जिन		
	डॉलर/ एमटी	डॉलर/ एमटी	डॉलर/ एमटी	%	रेंज
जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(30-40)
फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(40-50)
झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(20-30)
जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(40-50)
फ़ोशान फ़ुसाइर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	***	***	(***)	(***)	(30-40)
अन्य	***	***	***	***	20-30

ट. <u>भारतीय उद्योग के हित, जनहित और अन्य मुद्दें</u>

ट.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

198. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तब भारत को निर्यात में बहुत अधिक हद तक कमी आएगी तथा आयातक एवं प्रयोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

ii. अतर्कसंगत रूप से शुल्क का उच्च स्तर भारतीय फर्नीचर निर्माताओं के लिए लागतों, स्थानीय कारपेंटरों के लिए परियोजनाओं की लागतों में वृद्धि करेगा और इस कारण से अतिरिक्त लागतें अंतिम प्रयोक्ताओं पर डाली जाएंगी । आयात का

तर्कसंगत फ्लोर कीमत असंगठित क्षेत्र में निम्न कोटि के आयातों को समाप्त करने में मदद करेगा।

iii. घरेलू उत्पादक छोटे और टुकड़ों में बंटे हुए हैं। उनके पास सीमित क्षमता है और वे भारत की समग्र मांग को समुचित रूप से पूरा नहीं कर सकते हैं। चीन जन. गण. से आयात की गई वस्तु को देखते हुए कोई आपूर्ति संबंधित बाधा नहीं है।

iv. घरेलू उद्योग की अपने निर्माण ढांचा को उन्नत करने की अनिच्छा जैसे कारकों और उत्पादकों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण क्षति हुई होगी। इसके अलावा घरेलू उद्योग वितरण, ब्रांडिंग, प्रदर्शन केंद्रों आदि में निवेश नहीं करते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री करने जिसके कारण उनकी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया जाता है।

v. विदेशी उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों की तुलना में निम्नलिखित लाभ प्राप्त होता है:

क) विशिष्ट ग्रेड की आयात की गई स्लाइड जिसका आयात किया जा रहा है, की अन्य स्टील ग्रेडों की तुलना में उच्चतर वजन धारण क्षमता है। चीन में इसकी उपलब्धता के कारण, निर्यातकों को भारतीय आपूर्तिकर्ताओं की तुलना में लाभ मिलता है।

ख) उच्च क्षमता वाली जिंक कोटिंग सिस्टम की उपलब्धता

ग) उत्कृष्ट उत्पादों का निरंतर रूप से निर्माण करने के लिए उत्पादन की प्रक्रियाओं और तुलिंग का कार्यान्वयन,

घ) उत्पाद की गुणवत्ता और विश्वसनीयता की जाचं करने के लिए इन हाउस परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा

ङ.) किफायती उत्पादन। उन्होंने पूंजी उपकरण में बहुत अधिक निवेश किया है और वे लागत कार्य क्षमताएं प्राप्त करने में सक्षम हैं।

vi आयात की गई वस्तु बेहतर गुणवत्ता और उत्पाद मानक देती है तथा वह सफलतापूर्वक साल्ट स्प्रे टेस्ट और लाईफ साईकल टेस्ट जैसे परीक्षणों में सफल होती है ।

vii. यदि पाटन रोधी शुल्क लगाया जाता है, तब इसे सही तरीके से लगाया जाना चाहिए अर्थात् उस तरीके से लगाया जाना चाहिए जो कम कीमतों पर कम गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्यात करने वाले उत्पादकों को समाप्त करने में सहायक होगा तथा क्षति का सही कारण यही है।

viii. गोदरेज ने विचाराधीन उत्पाद का स्थानीय आपूर्तिकर्ता का पता लगाने की कोशिश की है लेकिन वर्तमान में कोई भी भारतीय आपूर्तिकर्ता के पास गोदरेज की आवश्यकता की पूरा किट बनाने की क्षमता नहीं है। भारतीय आपूर्तिकर्ता को कम से कम 18-24 महीने तथा तेजी से आगे बढ़ने वाले ड्रोअर स्लाइस की गोदरेज की आवश्यकता का मुकाबला करने के लिए अपनी मौजूदा प्रोफाइलों को विकसित करने तथा क्षमता का निर्माण करने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होगी। जैसे ही क्षमता और सक्षमता भारत में विकसित हो जाएगी, प्रयोक्ता इस उत्पाद की भारतीय आपूर्ति की ओर जाने के लिए इच्छुक होंगे।

ix. एब्को, संबद्ध वस्तुओं का एक घरेलू उत्पादक और आयातक है, जो बड़ी मात्रा में पीयूसी के विनिर्माण का इरादा रखता है।

x. डोरसेट के ग्राहक सस्ती संबद्ध आयातों की गुणवत्ता में गिरावट की शिकायत करते हैं। यह वितरक की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तथा अंतिम प्रयोक्ताओं को जोखिम उत्पन्न करता है। चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का पाटन डोरसेट सहित बाजार में आने से संभावित निवेशकों और निर्माताओं को हतोत्साहित कर रहे हैं।

ट.2 घरेलू उद्योग के विचार

199. घरेलू उद्याग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i) शुल्कों को लगाया जाना भारतीय बाजार में समान अवसर, समान वस्तु की घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने और इस उत्पाद पर बहुत अधिक हद तक आयात पर निर्भर होने से भारत को रोकने के लिए आवश्यक है।

ii) अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के पुनरूद्धार के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जो पाटित आयातों के बोझ से संघर्ष कर रहा था। अनेक विनिर्माण सुविधाओं जो बंद होने की कगार पर थी, ने प्रचालन पुन: शुरू कर दिया है और वे अपनी क्षमता बढ़ा रही है। इससे न केवल नौकरियां बची हैं बल्कि घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति में भी सुधार हुआ है।

iii) अनंतिम शुल्क लागू होने के बाद से घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। चूंकि संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ना जारी है। इसलिए अनेक मौजूदा उत्पादक सक्रिय रूप से बाजार की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं का विस्तार कर रहे हैं।

iv) अनेक नए उत्पादक बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए उत्पादक संयुक्त रूप से कुल लगभग 80 करोड़ रूपए का निवेश कर रहे हैं और इससे लगभग 250 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसके अलावा, डोरसेट और ओजोन जैसी अन्य कंपनियों ने बढ़ती हुई मांग का लाभ उठाने और पाटनरोधी शुल्क से प्राप्त सहायता के कारण उद्योग में निवेश करने का अपना इरादा बताया है।

v) यदि उपभोक्ता पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर हो जाते हैं तब वे अपेक्षाकृत उच्च मालसूची स्तर रखने के लिए बाध्य होंगे। तथापि, घरेलू उद्योग से खरीद के मामले में, उपभोक्ता के पास अपेक्षाकृत कम मालसूची स्तर बनाए रखने का विकल्प है।

vi) घरेलू उद्योग एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश में समावेशी विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संबद्ध वस्तुओं की प्राथमिक डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ता फर्नीचर उद्योग जिसे संगठित और असंगठित बाजार में आंका जा सकता है। बड़े संगठित बाजार उद्योग प्रचालन के अपने स्केल पर विचार करते हुए शुल्कों को लगाए जाने से मुश्किल से प्रभावित होंगे।

vii) घरेलू उद्योग अनंतिम शुल्क लगने से पहले काफी अल्प प्रयुक्त क्षमता पर प्रचालन कर रहा था। एमएसएमई ने क्षमता के कम उपयोग से वित्तीय कठिनाइयां, कर संबंधी चूक और उत्पादन तथा प्रचालन में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। पाटित आयातों के आने से ये चुनौतियां और बढ़ गई थीं। घरेलू उद्योग के अस्तित्व और

वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए पाटनरोधी शुल्क को जारी रखकर एक समान अवसर वाली प्रतिस्पर्धा बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

vii) संबद्ध वस्तु के लिए प्राथमिक कच्ची सामग्री माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील है जिसे घरेलू रूप से प्राप्त किया जाता है। यदि घरेलू उद्योग क्षमता उपयोग में सुधार करता है तो इस्पात उद्योग में से इन कच्ची सामग्रियों की मांग में भी वृद्धि होगी।

ix) संबद्ध वस्तुओं की प्राथमिक डाउन स्ट्रीम प्रयोक्ता फर्नीचर उद्योग जिसे संगठित और असंगठित बाजार में विभाजित किया जा सकता है। बड़े संगठित बाजार उद्योग प्रचालन के अपने स्तर पर विचार करते हुए शुल्कों को लगाए जाने से मुश्किल से प्रभावित होंगे। फर्नीचर उद्योग में असंगठित बाजार के अन्य उत्पादक भी शामिल हैं। टेलिसकोपिक चैनल का समग्र उत्पाद लागत में सापेक्ष रूप से कम प्रतिशत बनता है। उदाहरण के लिए 20,000 रूपए की मेज में टेलिसकोपिक चैनल के तीन सेटों की लागत लगभग 700 रूपए होगी, जो कुल लागत का 3.5 प्रतिशत से कम हिस्सा है। इस प्रकार कोई भी डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता निश्चयात्मक शुल्क लागू होने से प्रतिकूलता प्रभावित नहीं होगा।

x) प्राधिकारी ने अनंतिम निष्कर्ष में भी नोट किया कि एडीडी का प्रभाव डाउनस्ट्रीम उद्योग और अंतिम उपभोक्ताओं पर बिल्कुल मामूली है। इसके अलावा, बढ़े हुए घरेलू उत्पादकों से भारतीय बाजार के भीतर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे कीमत वृद्धि पर रोक लगेगी।

xi) अनंतिम शुल्क लगने के बाद की गई सार्वजनिक सुनवाई में संबद्ध वस्तु का कोई प्रयोक्ता अनंतिम शुल्क के किसी प्रतिकूल प्रभाव के किसी तर्क के साथ आगे नहीं आया। जांच में अधिकांश भागीदार चीन से आयातक थे, जो भारतीय बाजार में उत्पादों को पुन: ब्रांड और पुन: बेचते हैं।

xii) संबद्ध देश में उत्पादक लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से ही कार्य करेंगे और उनके पास भारतीय बाजार के दीर्घ अवधि विकास में कोई स्टेक अथवा हित नहीं होगा। यदि एक अन्य बाजार बेहतर कीमतें देता है तब ऐसे उत्पादक अपनी बिक्री लक्ष्यों को उस ओर ले जाने के लिए बाध्य हैं। ग्राहकों के रूप में उसकी राष्ट्रीय क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा भारतीय उद्योग उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखेंगे।

xiii) टेलीस्कोपिक चैनल की मांग में क्षति की अवधि के दौरान विशेषकर जांच की अवधि में वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना के अनुसार, भारतीय फर्नीचर उद्योग से आशा है कि वह 2023-28 की अवधि के दौरान 11.20 प्रतिशत की सीएजीआर की दर से विकास करेगा। यह विकास आगे भारतीय उद्योग के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा। शुल्कों को लगाए जाने के फलस्वरूप देश में निवेश, उत्पादन, रोजगार, सरकारी राजस्व, अभिनवता में वृद्धि होगी।

xiv) जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता का संबंध है। प्रतिवादियों ने केवल यह तर्क दिया है कि समान वस्तु खराब गुणवत्ता की है। तथापि यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस दावे को सही साबित करने के लिए कोई तकनीकी साक्ष्य नहीं दिया गया है।

xv) घरेलू उत्पादकों की गुणवत्ता के संबंध में किए गए दावे साक्ष्य रहित हैं। अनेक घरेलू उत्पादक बीआईएस प्रमाणित हैं, जो गुणवत्ता मानकों के पालन को दर्शाता है। साल्ट स्प्रे परीक्षण ऐसा मूल गुणवत्त आवश्वसन उपाय है जिसे घरेलू उत्पादक नियमित रूप से पास करते हैं। घटिया गुणवत्ता का प्रतिवादियों का दावा सस्ते उत्पादों के आयात को उचित ठहराने का बहाना प्रतीत होता है।

xvi) निश्चयात्मक शुल्कों को लगाए जाने से न केवल भारतीय उद्योग की समस्या दूर होगी बल्कि अप स्ट्रीम उत्पादकों जिनके पास भारतीय मांग से बहुत अधिक क्षमताएं हैं, की मांग भी बढ़ेगी।

xvii) विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति में किसी कमी का अनुमान निकट भविष्य में नहीं लगाया जाता है। भारत में टेलीकस्कोपिक चैनलों के अनेक उत्पादक हैं। इसके अलावा, यद्यपि टेलीस्कोपिक चैनल के आयात वृहत रूप से चीन जन.गण. से होते हैं अत: ये आयात अनेक देशों जैसे ऑस्ट्रीया, जर्मनी इंडोनेशिया, इटली आदि से भारतीय बाजार में हो रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न अनेक देश भी संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल हैं।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

200. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन रोधी शुल्क का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापारकार्य पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर संस्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। भारत में सबद्ध वस्तुओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना भारतीय उद्योग की संरचना को देखते हुए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। भारतीय उद्योग पूर्ण रूप से एमएसएमई क्षेत्र में आता है। यदि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री उनके लिए अव्यवहार्य होगी तब वे अपने प्रचालनों को बंद करने के लिए बाध्य होंगे।

201. प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार किया कि क्या पाटन रोधी शुल्क को लगाए जाने का आम जनता के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार के प्रभाव के निर्धारण करने के उदेश्य से प्राधिकारी ने भारतीय बाजार में इन वस्तुओं की उपलब्धता पर शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव, इस उत्पाद के प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग पर प्रभाव तथा व्यापक रूप से सामान्य जन पर प्रभाव के संबंध में विचार किया। यह निर्धारण वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किए गए अनुरोधों और साक्ष्य के आधार पर है।

202. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित कर राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने पाटन रोधी शुल्क का उनके प्रचालनों पर संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए इन प्रयोक्ताओं के रास्ते एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ता के द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की अंतर परिवर्तनीयता, स्रोतों को अपनाने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, उन कारकों जो संभावित रूप से पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के द्वारा उत्पन्न नई स्थिति के लिए समायोजन की गति बढाएगा अथवा उसमें विलंब करेगा के संबंध में सूचना मांगी।

203. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी जिसे इस जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजा गया था । निर्यातकों/उत्पादकों तथा आयातकों के साथ घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी के द्वारा यथा निर्धारित रूप में और तरीके से आर्थिक हित प्रश्नावली प्रस्तुत की। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के 22 उत्पाकों/निर्यातकों तथा तीन आयातकों ने घरेलू उद्योग के साथ आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया है। घरेलू उद्योग ने शुल्क के संभावित प्रभाव की मात्रा भी उपलब्ध कराई है। यह देखा गया है कि शुल्कों को लगाए जाने का डाउन स्ट्रीम उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। रिकार्ड पर सूचना के अनुसार यह प्रभाव बहुत मामलूी होगा। साथ ही, घरेलू उद्योग को छोडकर किसी भी

हितबद्ध पक्षकर ने सत्यापन योग्य मात्रा बताई गई सूचना को नहीं दर्शाया है कि पाटन रोधी शुल्क के लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि इन उपायों का कुछ प्रयोक्ताओं पर प्रभाव पड़ सकता है परंतु वह घरेलू उद्योग के प्रचालनों/उत्पादन को बंद करने के खतरे के विरुद्ध संतुलित होना चाहिए।

204. प्राधिकारी की यह मान्यता है कि पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से भारत में इस उत्पाद की कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से कमी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अनुचित लाभ पाटन की कार्य पद्धति से प्राप्त नहीं हो, घरेलू उद्योग का गिरावट रुक जाए तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं की अपेक्षकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी इसके अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता और आपूर्ति के संबंध में व्यक्त की गई चिंताओं के संबंध में, प्राधिकारी इस बात पर बल देते हैं। पाटन रोधी शुल्कों को लगाए जाने से किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

205. यह तर्क दिया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है तथा भारतीय उद्योग मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान में भारतीय उद्योग के पास इस उत्पाद की संयुक्त क्षमता 60,000 - 70,000 एमटी की रेंज में है और इसलिए भारतीय उद्योग इस देश में उत्पाद की मांग का लगभग 95 प्रतिशत पूरा कर सकता है। देश में नए निवेश के साथ मांग - आपूर्ति के बीच वर्तमान में अंतर को भारतीय उद्योग द्वारा शीघ्र ही समाप्त किए जाने की संभावना है। इससे बाजार में घरेलू प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके अलावा, देश में मांग - आपूर्ति में अंतर पाटित आयातों से उपचार की मांग से घरेलू उद्योग को प्रतिबंधित नहीं करता है। जैसा कि माननीय सेस्टेट द्वारा डीएसएम इजेमित्सु लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में निर्णय दिया गया है, मांग/आपूर्ति में अंतर पाटन को न्यायोचित नहीं ठहराती है। विदेशी उत्पादक पाटित न की गई कीमतों पर इस उत्पाद की बिक्री कर भारतीय मांग को हमेशा पूरा कर सकते हैं। पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी, इन आयातों को देश में प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसके अलावा, भारतीय उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता का भी ईष्टतम स्तर पर उपयोग नहीं किया जा रहा है और इस प्रकार भारतीय मांग को पूरा करने के लिए उपयोग किए जाने हेतु पर्याप्त क्षमता रह जाती है। इसके अलावा एब्को प्रा.

लि. एब्को और डोरसेट इंडस्ट्रीज प्रा. लि. डोरेसेट, वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकरों ने अपने उत्तर और शिकायत पत्र में यह अनुरोध किया है कि उनका उदेश्य भारतीय बाजार में एक निर्माता के रूप में प्रवेश करने का है और इस कारण से यह नोट किया जाता है कि किसी भी मामले में भारतीय उद्योग की क्षमताओं में वृद्धि होने जा रही है।

206. यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग अपने निर्माण ढांचा का उन्नयन करने के लिए इच्छुक नहीं है और यह भी कि आयात की गई वस्तु बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन मानक प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ ही, एक अन्य आयातक और भारत में संबद्ध वस्तुओं के सबसे बडे वितरकों में एक वितरक डोरसेट ने निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क की सिफारिश के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए संबद्ध आयातों के संबंध में गुणवत्ता संबधी चिंताएं प्रकट की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकरों ने अपने अनुरोध के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। तदनुसार, ऐसे दावे के संबंध में आगे जांच प्रधिकारी द्वारा नहीं की गई है।

207. जैसा घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है । अनंतिम शुल्क लागू होने के बाद संबद्ध वस्तु के लिए 20 नयी उत्पादन लाइनें स्थापित करने पर चर्चा हो रही है जिसमें से प्रत्येक लाइन लगभग 2000 एमटी प्रति वर्ष का उत्पादन करने में सक्षम होगी। इस शुल्क ने घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन स्तर बढ़ाने में सक्षम बनाया है और कुछ उत्पादकों जिन्होंने पहले उत्पादन बंद कर दिया था, ने अब प्रचालन पुन: शुरू किए हैं। उत्पादन में वृद्धि और उपयोग दर में सुधार से पता चलता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए गुणवत्ता संबंधी मुद्दे बिल्कुल सही नहीं हैं। घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद उपभोक्ताओं को स्वीकार्य हैं।

208. भारतीय उद्योग को वास्तविक क्षमता उठानी पड़ रही है जैसा कि घरेलू उद्योग की प्रदता और भारतीय उद्योग द्वारा किए गए नए निवेशों से स्पष्ट है। यह देखा गया है कि केवल चीन के उत्तर देने वाले निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा पाटित आयातों की मात्रा बहुत अधिक है और यह भारतीय मांग का बहुत बड़ा हिस्सा है। भारतीय उद्योग को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक क्षति होने की संभावना है और इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि शुल्कों को लगाया जाना इस चरण में आवश्यक है।

ठ. प्रकटीकरण के **बाद** टिप्पणियाँ

ठ.1 अन्य इच्छुक पक्षों के विचार

209. निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दी गई हैं:

i) प्रकटीकरण पर टिप्पणी दाखिल करने के लिए दिया गया समय अत्यधिक अपर्याप्त था। उत्तरदाताओं को प्रकटीकरण कथन का विश्लेषण करने और अपने हितों का प्रभावी ढंग से बचाव करने के लिए समय चाहिए। जांच पूरी करने के लिए समय केवल 1 महीने बढ़ाया गया जबकि विस्तार 6 महीने तक दिया जा सकता है। इसके अलावा, प्रकटीकरण कथन बहुत देरी से दिया गया था।

ii) प्राधिकरण से अनुरोध है कि ड्रॉअर रनर सिस्टम को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाए। यह एक उच्च-स्तरीय उत्पाद है जिसमें विभिन्न भाग और घटक होते हैं। प्राधिकरण ने एक ही उत्पाद के कई नामों का उल्लेख किया है, जबकि उन्हें पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है, जो विभिन्न कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्यापारिक नाम हैं । यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऐसे उत्पादों के समान लेकिन अलग-अलग नाम वाले उत्पाद पीयूसी के दायरे से बाहर हैं, जैसे "ड्रॉअर सिस्टम"।

iii) अंडरमाउंट स्लाइड के उत्पादन के लिए आवश्यक सेट अप, मशीनरी और घटक अलग-अलग हैं और इसलिए इसे जांच के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि के दौरान वाणिज्यिक मात्रा में अंडरमाउंट स्लाइड का उत्पादन और बिक्री की गई है।

iv) प्रतिवादी द्वारा 13,00,000 सेट/माह की क्षमता वाले 4 अतिरिक्त उत्पादकों के संबंध में दी गई सूचना, जिनकी पहचान याचिकाकर्ता द्वारा स्थिति स्थापित करने के लिए नहीं की गई है, को प्राधिकरण द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया।

v) घरेलू उद्योग के घटकों द्वारा किए गए आयात की तुलना केवल उनके अपने उत्पादन से की जा सकती है, न कि कुल मांग और क्षमता से। याचिकाकर्ता की सीमा में ऐसे उत्पादों की कमी के कारण ऐसे आयात किए गए थे। घरेलू उत्पादकों को आयात करने से बाहर करने के बाद नमूना उत्पादकों, स्थिति, डंपिंग, क्षति और कारण संबंध के दायरे का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

vi) प्रतिवादियों ने पूरा सहयोग किया और मांगे जाने पर डेटा और अन्य जानकारी प्रस्तुत की। संपूर्ण प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना नियम 6(8) का उल्लंघन है।

vii) उत्तरदाता सभी मुद्दों के समाधान के लिए अपने परिसर में ऑनसाइट सत्यापन के लिए तैयार हैं।

viii) डीजीटीआर के पास आयात डेटा में पीसी/संख्या/सेट/किलोग्राम में जानकारी शामिल है। जबकि डीजीटीआर ने कुल आयात की गणना किलोग्राम में की है, रूपांतरण के आधार का खुलासा नहीं किया गया है।

ix) फ़ोशान फ़्यूज़ियर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि उनके जवाब में प्रत्येक लेनदेन के सामने पीसीएन दर्शाया गया था। उद्योग में यह आम बात है कि एमएस माल "माइल्ड स्टील" का उल्लेख किए बिना निर्यात किया जाता है, जबकि एसएस को वाणिज्यिक चालान/वैट चालान/पैकिंग सूची में स्पष्ट रूप से पहचाना जाता है। दायर किए गए शिपिंग दस्तावेज़ भी पीसीएन दर्शाते हैं और एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसके अलावा, संबंधित सहायक दस्तावेज़ों के साथ एक हस्ताक्षरित घोषणा दी गई थी और सत्यापन के दौरान पहचान पद्धति को समझाया गया था। पीसीएन की पहचान करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराए गए थे। गुआंगज़ौ जिनो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, ग्वांगडोंग ताइमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और जियांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने आगे तर्क दिया है कि यह अत्यधिक असंभव है कि घरेलू उद्योग भी अपने निर्यात दस्तावेज़ों में स्पष्ट रूप से माइल्ड स्टील का उल्लेख करता

x) प्राधिकरण ने पाया कि फ़ोशान फ़ुसायर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने बिना किसी सबूत के सिर्फ़ इतना कहा कि उसने जो भी सामान निर्यात किया वह एमएस था। कंपनी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा, डीजी सिस्टम्स के डेटा में भी पीसीएन का संकेत दिया गया था।

xi) जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने भी कोल्ड रोल्ड स्टील यानी एमएस की खरीद का संकेत देते हुए अपना खरीद खाता उपलब्ध कराया। नमूना चालान में भी स्पष्ट रूप से “लोहा” यानी माइल्ड स्टील का उल्लेख है।

xii) प्राधिकरण ने कहा कि डीजी सिस्टम्स के आंकड़े किलोग्राम के अलावा अन्य इकाइयाँ दर्शाते हैं, हालांकि उत्तरदाताओं के साथ साझा किए गए डीजी सिस्टम्स के आंकड़े केवल किलोग्राम दर्शाते हैं।

xiii) गुआंग्डोंग जिनो हार्डवेयर इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, डोंगगुआन लिटॉन्ग प्रिसिजन स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, गुआंग्डोंग तैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और जियांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने कहा कि वाणिज्यिक चालान में इकाइयां "सेट" में दर्ज हैं लेकिन पैकिंग सूची में "सेट" और "शुद्ध वजन" दोनों की रिपोर्ट है। इसलिए, कोई रूपांतरण पद्धति लागू नहीं की गई थी। इसके अलावा, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई और आधार धातु में अंतर के कारण यहां एक मानक रूपांतरण पद्धति नहीं हो सकती है। कमोडिटी का कारोबार "सेट" में किया जाता है, जैसा कि घरेलू उत्पादकों के चालान से भी देखा जा सकता है। यह तर्क दिया गया है कि फ़ोशान फ़्यूज़ियर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड और गुआंग्डोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने डीजी सिस्टम्स और ईक्यूआर में किलोग्राम में रिपोर्ट की गई मात्रा के बीच एक सामंजस्य प्रदान किया

xiv) विसंगति चालान तिथि और BoE तिथि में अंतर, बांडेड वेयरहाउस से सामान्य सीमा शुल्क में बाद के हस्तांतरण की दोहरी गणना, हवाई माल ढुलाई का बहिष्कार, एसईजेड आयात का बहिष्कार, विभिन्न इकाइयों का उपयोग, बंडल चालान, प्रविष्टि रिकॉर्ड के बिल की कमी और मूल्य रिपोर्टिंग अंतर के कारण हो सकती है।

xv) फ़ोशान फ़ुसायर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने भारतीय सीमा शुल्क विभाग को घोषित पैकिंग सूची का उपयोग करके अपना ईक्यूआर तैयार किया और अपने आयातक ईबीसीओ द्वारा दायर बीओई के आधार पर डीजी सिस्टम डेटा में दर्शाया। इसके अलावा, गुआंग्डोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने अपने पास उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के साथ गोदरेज को अपने लेन-देन के लिए बीओई प्रस्तुत किया, जो इसके निर्यात का अधिकांश हिस्सा है।

xvi) यह दावा शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री और जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है। उनके प्रौद्योगिकी कर्मचारियों द्वारा प्रदान किए गए आकार और वजन के बीच रूपांतरण प्रस्तुत किया गया। वास्तविक वजन से कोई भी अंतर 15% से अधिक नहीं है। उत्पाद का आयाम भी "आकार" कॉलम के अंतर्गत दिखाया गया था।

xvii) जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि वॉल्यूम का मिलान नहीं किया जा सका क्योंकि डेटा में एनपीयूसी शामिल है। एनपीयूसी को बाहर करने के बाद, पीयूसी की पहचान की जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड में आयातक की जानकारी, कंटेनर नंबर आदि जैसे आवश्यक विवरण नहीं हैं। आयात रिकॉर्ड सीमा शुल्क निकासी के समय पर आधारित हैं, जबकि प्रतिवादी के पास केवल निर्यात घोषणा के समय की जानकारी है।

इसके अलावा, गुआंगडोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड ने प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वे डीजी सिस्टम डेटा के लेनदेन प्रदान करें जिन्हें चालान संख्या, विवरण, आयातक का नाम, मात्रा और इकाई के साथ सहसंबंधित नहीं किया जा सका, डेटा की जांच करने के लिए समय दिया जाए, टिप्पणी देने के लिए एक छोटी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जाए, स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद प्रकटीकरण विवरण को संशोधित किया जाए और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत शुल्क दिया जाए।

xviii) गुआंग्डोंग तैमिंग मेटल प्रोडक्ट्स कं., लिमिटेड और जियायांग झोंगक्सिंग हार्डवेयर कं., लिमिटेड द्वारा कहा गया है कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा कोई रूपांतरण पद्धति प्रदान की गई है, तो प्राधिकारी को प्रतिवादी द्वारा प्रदान की गई सूचना को सत्यापित करने के लिए ऐसी पद्धति को लागू करना चाहिए था।

xix) फ़ोशान फ़ुसेर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड , गुआंग्डोंग ज़िंगपेंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड , शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री और जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने दावा किया है कि वैट चालान में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं है । प्रतिवादी ने अपना मूल वैट चालान प्रस्तुत किया और संदर्भ की आसानी के लिए मंदारिन विवरणों का अंग्रेजी एनोटेशन प्रदान किया। भ्रम से बचने के लिए शब्दों का अनुवाद किया गया था, जैसा कि सत्यापन के दौरान स्पष्ट किया गया था। Google अनुवाद शब्द के सार और संदर्भ को पूरी तरह से नहीं पकड़ता है। यह प्रतिवादी के उत्पाद विवरणिका और विषय वस्तुओं के वैकल्पिक नाम दिखाने वाली एक चीनी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट के माध्यम से प्रमाणित होता है।

xx) जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि आयात घोषणा मात्रा *** किलोग्राम हो सकती है, जबकि इसके व्यापारी रोंगताई की निर्यात घोषणा मात्रा *** किलोग्राम है। आयात घोषणा में कुल अंतर न्यूनतम है। इसके अलावा, आयात घोषणा मूल्यों में भी विकृति है। आयात घोषणाओं के लिए लिया गया मूल्य लगभग *** RMB/Kg है, जबकि रोंगताई की औसत निर्यात बिक्री *** RMB/Kg और खरीद मूल्य *** RMB/Kg है।

xxi) गुआंगडोंग होंगली हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि प्राधिकरण प्रत्यक्ष निर्यात की रिपोर्ट करने के लिए उसके द्वारा दायर संशोधित ईक्यूआर पर विचार कर सकता है। यदि उसके प्रत्यक्ष निर्यात पर विचार नहीं किया जाता है, तो सभी जानकारी को अस्वीकार

नहीं किया जाना चाहिए। प्राधिकरण को इस बात पर भी संदेह नहीं है कि हाफेल एशिया के माध्यम से निर्यात मूल्य की जानकारी सटीक है और सत्यापित की गई है।

xxii) झोंगशान हैबाओ प्रिसिजन हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड ने तर्क दिया है कि उसके और इटरनल मार्क द्वारा बताए गए डेटा मेल खाते हैं। इसके नाम को गलत तरीके से बताने का कोई कारण नहीं है। सरकारी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट के साथ प्रमाणन से पता चलता है कि हैहुई पहले हैबाओ का नाम था। इसके अलावा, अगर इटरनल मार्क ने हैबाओ/हैहुई से कम खरीद मात्रा की सूचना दी है, तो प्राधिकरण ऐसी मात्रा की वास्तविक कीमत पर विचार कर सकता है और शेष के लिए प्रतिकूल तथ्य मान सकता है। अगर इटरनल मार्क ने हैबाओ/हैहुई से अधिक खरीद मात्रा की सूचना दी है, तो प्राधिकरण हैबाओ द्वारा घोषित मात्रा की वास्तविक कीमत पर विचार कर सकता है और शेष के लिए प्रतिकूल तथ्य मान सकता है।

xxiii) प्राधिकरण को कम से कम सीमा में बेमेल के आंकड़े प्रकट करने चाहिए अथवा यह बताना चाहिए कि कथित बेमेल से कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में निर्यात की कितनी मात्रा प्रभावित हुई है।

xxiv) आयात मूल्य और याचिकाकर्ता की कीमत के बीच एक स्पष्ट विसंगति है, जिसे वह बढ़ाने और बढ़ती लागतों की भरपाई करने में सक्षम था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने चोट की अवधि में बाजार हिस्सेदारी हासिल की। इसकी बिक्री में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक थी। क्षमता वृद्धि के कारण उपयोग में कमी आई। इसके अलावा, कुल आधार पर लाभप्रदता और नकद लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई देगी।

xxv) वेतन और मजदूरी में वृद्धि याचिकाकर्ता की वित्तीय स्थिरता को दर्शाती है और उत्पादकता में वृद्धि उसकी परिचालन दक्षता और कथित डंपिंग के बावजूद फलने-फूलने की क्षमता को दर्शाती है।

xxvi) हालिया क्षमता वृद्धि अंतरिम शुल्क के कारण नहीं है, बल्कि क्यूसीओ के कारण है जो 8 नवंबर 2024 को लागू होगी। याचिकाकर्ता को पहले ही पर्याप्त नियामक सुरक्षा प्राप्त हो चुकी है, अतिरिक्त शुल्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

xxvii) प्राधिकारी प्रतिवादी पर इस तरह से सबूत पेश करने का अनुचित बोझ नहीं डाल सकते कि जांच में सहयोग करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाए। यूएस-एचआर स्टील में अपीलीय निकाय ने यह भी माना कि अनुलग्नक II के पैरा 2 और 5 तथा ADA के अनुच्छेद 6.13 में जांच प्राधिकारी और निर्यातकों के हितों के बीच संतुलन की बात कही गई है।

xxviii) भारत से स्टील प्लेट पर यूएस-एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग उपायों में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ जानकारी की अनुपलब्धता पूरी जानकारी को अस्वीकार करने का औचित्य नहीं दे सकती है। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि गुम जानकारी ने शेष जानकारी की विश्वसनीयता या वैधता को प्रभावित किया है।

xxix) डीआई की गैर-क्षतिग्रस्त कीमत ('एनआईपी') और उत्पादकों/निर्यातकों के लिए संबंधित क्षति मार्जिन की फिर से जांच की जानी चाहिए। एनआईपी की गणना पर पुनर्विचार करें और उपर्युक्त उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सकारात्मक क्षति मार्जिन लगाएं।

ठ.2 घरेलू उद्योग के विचार

210. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं :

i) इच्छुक पक्षों ने दावा किया कि प्राधिकरण ने अत्यधिक जानकारी मांगी है। हालांकि, प्राधिकरण का कहना है कि मांगी गई जानकारी प्रदान किए गए डेटा की प्रामाणिकता को सत्यापित करने और निर्यात मूल्य की सटीक गणना करने के लिए आवश्यक है। वैश्विक प्राधिकरणों के बीच यह प्रथा आम है।

ii) चीन और भारत से सिरेमिक सैनिटरीवेयर उत्पादों के आयात के खिलाफ जीसीसी द्वारा की जा रही डंपिंग रोधी जांच में , जीसीसी प्राधिकरण ने एक भारतीय निर्यातक द्वारा प्रस्तुत चालान मूल्यों और सीमा शुल्क डेटा के बीच विसंगतियां पाईं। कंपनी द्वारा बनाए गए लेखा प्रणाली से सभी चालान और विवरणों की पुष्टि करने के बावजूद , प्राधिकरण ने कंपनी द्वारा प्रस्तुत जानकारी को नज़रअंदाज़ करने और इसके बजाय सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा ।

iii) अधिकांश उत्तर अत्यधिक अपूर्ण थे। उत्तरदाताओं ने अपना वैट चालान प्रस्तुत नहीं किया, उत्पाद विवरण का गलत अनुवाद प्रदान किया, पीसीएन सत्यापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत नहीं की, किलोग्राम में वजन की गणना के लिए कार्यप्रणाली नहीं दी, या उनके डेटा डीजी सिस्टम डेटा के साथ मेल नहीं खाते थे।

iv) प्राधिकरण ने तीन प्रतिक्रिया उत्पादकों को स्वीकार किया और उनके लिए अलग-अलग मार्जिन की गणना करने का निर्णय लिया। इन उत्पादकों ने पीसीएन की पहचान की जो डीजी सिस्टम डेटा के साथ संरेखित है और वे अपने डेटा को डीजी सिस्टम डेटा के साथ समेटने में सक्षम थे क्योंकि सभी निर्यात किलोग्राम में रिपोर्ट किए गए थे। हालांकि, द्वितीयक स्रोत से आयात डेटा से पता चलता है कि इन प्रस्तावित द्वारा विषय निर्यात की मात्रा भारत में विषय वस्तुओं के कुल आयात और भारत में विषय वस्तुओं की कुल मांग की तुलना में नगण्य है । इसलिए, उनका निर्यात मूल्य विश्वसनीय नहीं है और निर्यात के वास्तविक मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करता है ।

v) पिछले मामलों से पता चलता है कि कम निर्यात वाले उत्पादक जवाब दाखिल कर सकते हैं, कम शुल्क प्राप्त कर सकते हैं और बाद में अपने निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। हाल ही में संपन्न पीईटी रेजिन मामले से यह देखा गया है कि निर्यातक ने कम शुल्क प्राप्त किया और बाद में अपने निर्यात में 316% की वृद्धि की। इसके अलावा, थाईलैंड और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब से संबंधित एडी जांच में, प्राधिकारी ने भारत में कुल आयात और घरेलू मांग के संबंध में टीवीएल के निर्यात मात्रा की जांच की। टीवीएल की कम निर्यात मात्रा के कारण, प्राधिकारी ने टीवीएल के व्यक्तिगत शुल्क दर के दावे को खारिज कर दिया।

vi) प्राधिकरण से अनुरोध है कि वे मानक प्रचालन पद्धतियों की नियमावली में दिए गए एनआईपी प्रकटीकरण प्रारूप के अनुसार घरेलू उद्योग को एनआईपी का खुलासा करें, ताकि घरेलू उद्योग प्रभावी टिप्पणियां कर सके।

vii) आपूर्ति का घरेलू स्रोत भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकता है। जबकि विदेशी उत्पादक लाभ के लिए अन्य बाजारों को प्राथमिकता दे सकते हैं , जबकि घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना है। शुल्कों के बिना, घरेलू उद्योग को नुकसान उठाना जारी रहेगा , जिससे संभावित रूप से आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है।

viii) प्राधिकरण को 5 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए तथा शुल्क को अमेरिकी डॉलर में व्यक्त करना चाहिए। इसके अलावा, एंटी-डंपिंग शुल्क केवल एंटी-डंपिंग शुल्क की निश्चित मात्रा (ड्यूटी का निश्चित रूप) के रूप में लगाया जा सकता है, जिसे अमेरिकी डॉलर/एमटी में शुल्क के रूप में व्यक्त किया जाता है।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

211. प्राधिकारी ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतीकरणों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि जो टिप्पणियां पुनरावृत्ति हैं और जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा अंतिम निष्कर्षों के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया जा चुका है, उन्हें संक्षिप्तता के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रकटीकरण पश्चात जांच में दोहराया नहीं जा रहा है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

i) इस तर्क के संबंध में कि पर्याप्त समय प्रदान नहीं किया गया है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने जांच पूरी करने के लिए आवश्यक समय को ध्यान में रखते हुए इच्छुक पक्षों को समय प्रदान किया है। इसके अलावा, अनुरोध पर, प्राधिकारी ने सभी इच्छुक पक्षों को समय विस्तार प्रदान किया। प्राधिकारी ने नोट किया कि इस संबंध में भारतीय नियमों या डब्ल्यूटीओ समझौते के तहत कोई न्यूनतम समय निर्धारित नहीं है। जांच पूरी करने के लिए समय के अधिक विस्तार की संभावना के संबंध में, प्राधिकारी का मानना है कि यह वित्त मंत्रालय का विशेषाधिकार है। किसी भी मामले में, प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणी देने के लिए पक्षों को पर्याप्त समय प्रदान किया गया था।

ii) ड्रॉअर रनर सिस्टम को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकरण ने पहले ही पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार कर लिया है और रसोई और बेडरूम फिटिंग्स (जैसे ट्राउजर पुल-आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक), स्लिम बॉक्स/स्लिम एर्गो, अल्ट्रा स्लिम बॉक्स/सुपर स्लिम एर्गो, लेग्रा बॉक्स, टेंडम बॉक्स (ड्रॉअर), इकोनो बॉक्स, स्लिम टेंडम बॉक्स, डबल वॉल बॉक्स, कॉम्पैक्ट बॉक्स, स्लिमलाइन टेंडम बॉक्स, डबल वॉल ड्रॉअर, मैट्रिक्स बॉक्स जैसे उत्पादों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा है। प्राधिकरण का मानना है कि एक ही उत्पाद के लिए कई नामों का विनिर्देशन कम से कम यह सुनिश्चित करेगा कि बाहर रखे जाने वाले उत्पाद पर शुल्क की मांग नहीं की जाती है। यह इस तथ्य के मद्देनजर आवश्यक माना गया कि उत्पाद को विभिन्न नामों से आयात किया जा रहा है

iii) अंडरमाउंट स्लाइड्स को बाहर रखने के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि इसका उत्पादन और बिक्री घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, प्राधिकरण ने सभी पक्षों के प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद उत्पाद के लिए पीसीएन निर्धारित किया था।

iv) अन्य उत्पादकों के अस्तित्व और प्रतिष्ठा की कमी के संबंध में, प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद चार नई कंपनियों को इच्छुक पार्टियों द्वारा पीयूसी के उत्पादकों के रूप में पहचाना गया था। जांच के दौरान हितबद्ध पक्षों ने कभी भी इस तथ्य को प्राधिकरण के समक्ष नहीं लाया है। हितबद्ध पक्ष ने बिना कोई ठोस सबूत दिए केवल चार कंपनियों की क्षमता के आंकड़े दिए हैं। इसलिए, इस संबंध में इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए अनुरोध को इस विलंबित चरण में संज्ञान में नहीं लिया गया है।

v) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के घटकों द्वारा किए गए आयात की तुलना केवल उनके स्वयं के उत्पादन से की जा सकती है, न कि कुल मांग और क्षमता से, प्राधिकरण ने नोट किया कि ऐसा कोई कानूनी नुस्खा नहीं है कि किसी कंपनी द्वारा किए गए आयात की तुलना केवल उनके स्वयं के उत्पादन से की जानी चाहिए। चूंकि जांच का उद्देश्य इकाई द्वारा की गई गतिविधि के स्तर को समझना है और इसके अलावा यह विचार करना है कि कंपनियां एमएसएमई हैं, इसलिए भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में आयात मात्रा पर विचार करना अधिक उपयुक्त होगा। किसी भी मामले में, यदि कंपनी द्वारा किए गए आयात को उनके स्वयं के उत्पादन और क्षमता के संबंध में माना जाता है, तो यह नोट किया जाता है कि उनके द्वारा किए गए आयात अभी भी उनके स्वयं के उत्पादन और क्षमता के संबंध में एक छोटा हिस्सा है। जहां तक बटरफ्लाई का संबंध है, प्राधिकरण ने नोट किया कि कंपनी ने एक नई विनिर्माण सुविधा स्थापित की थी और इसलिए इसके आयात को क्षमता के संबंध में देखा जाना चाहिए। किसी भी मामले में, कंपनी ने इन उत्पादों को केवल मशीन के साथ आयात किया था और इनका उत्पादन कंपनी द्वारा खरीदी गई मशीनों का परीक्षण करने के लिए एक नमूना उत्पादन के रूप में चीन पीआर में किया गया था।

vi) निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए मांगी गई जानकारी पर विभिन्न तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले, यह ध्यान दिया जाता है कि पार्टियों को जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने के लिए कई कमी पत्र जारी किए गए थे क्योंकि दिए गए उत्तर संतोषजनक नहीं थे। इसके

अलावा, आवश्यकताओं पर चर्चा करने के लिए बैठकें भी आयोजित की गईं। हालाँकि, अधिकांश उत्तर देने वाले उत्पादकों ने निर्यात मूल्य को सत्यापित करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्रदान नहीं की है। मांगी गई जानकारी और उनकी प्रासंगिकता का सारांश नीचे दिया गया है। प्राधिकरण ने भाग लेने वाले निर्यातकों से निम्नलिखित पूरक जानकारी मांगी:

a) ईक्यूआर में वॉल्यूम और डीजी सिस्टम डेटा में वॉल्यूम का मिलान। यह प्रासंगिक है क्योंकि दोनों डेटा सेटों के बीच महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई गईं।
b) विभिन्न इकाइयों को किलोग्राम में बदलने की पद्धति। यह वजन की सही पहचान और निर्यात मूल्य की जांच के लिए महत्वपूर्ण है।
c) क्रय किये गये कच्चे माल का विवरण, विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन, लेखा प्रणाली से बिक्री रजिस्टर, उपलब्ध करायी गयी जानकारी की सत्यता की जांच, तथा पी.सी.एन. की पहचान।
d) कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्पादन संहिताकरण प्रणाली का विवरण, मात्रा, रूपांतरण पद्धति और पहचाने गए पी.सी.एन. की शुद्धता की जांच करना।
e) अनुवाद, पैकिंग सूची और शिपिंग दस्तावेजों के साथ वैट चालान, उत्पाद की तकनीकी प्रकृति और पीसीएन की पहचान में कठिनाइयों, रूपांतरण पद्धति के मुद्दे पर विचार करना।
f) भारत को निर्यात के लिए रिपोर्ट की गई मात्रा और मूल्य की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्पाद कोड, चैनल की लंबाई और चौड़ाई के साथ तीसरे देशों को निर्यात करना।
g) एसएपी या किसी अन्य लेखा प्रणाली से उत्पादन रिपोर्ट की प्रतिलिपि।
h) भारत को निर्यात किए गए विषय के उत्पाद कोड, पीसीएन, आकार, आयाम (लंबाई, चौड़ाई, मोटाई) जैसे विवरण, वजन के साक्ष्य के साथ।
i) प्रत्येक उत्पाद/पीसीएन के उत्पादन, बिक्री (घरेलू और सभी देशों को निर्यात) और स्टॉक स्थिति का विवरण।
j) इस बात का स्पष्टीकरण कि किस प्रकार विभिन्न उत्पाद एक ही कोड के अंतर्गत आते हैं, या विभिन्न लेन-देनों में एक ही उत्पाद का भार किस प्रकार भिन्न होता है।
k) एक ही तिथि को एक ही ग्राहक को समान वजन वाले समान उत्पाद के निर्यात के लिए मूल्य में अंतर के लिए स्पष्टीकरण।

vii) प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी आवश्यक है, अत्यधिक नहीं। निर्यात मूल्य का सटीक आकलन करने, निर्यात मात्रा की शुद्धता की पुष्टि करने और डेटा में देखी गई विसंगतियों को दूर करने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। उत्पाद की कीमत इस्तेमाल किए गए कच्चे माल से काफी प्रभावित होती है, जिससे पीसीएन का सत्यापन आवश्यक हो जाता है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद का वजन इसकी विशिष्टताओं, जैसे लंबाई और मोटाई के आधार पर भिन्न हो सकता है, जो इस जानकारी के महत्व पर जोर देता है। इसके अलावा, इस प्रकार के डेटा का अनुरोध आमतौर पर अन्य जांच अधिकारियों द्वारा भी किया जाता है।

viii) जहां तक इस तर्क का सवाल है कि निर्यातकों ने सहयोग किया है और प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं प्रस्तुत की हैं, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्यातकों ने प्रस्तावित निर्धारण के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान नहीं की हैं। जब प्रासंगिक सूचनाएं ही प्रस्तुत नहीं की गई हैं, तो प्राधिकारी ने नोट किया है कि ऑनसाइट सत्यापन करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। ऑनसाइट सत्यापन पहले से प्रदान की गई सूचनाओं की सटीकता की पुष्टि करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। नई सूचनाओं के संग्रह के लिए ऑनसाइट सत्यापन का अवसर उपलब्ध नहीं है। वर्तमान मामले में, निर्यातकों ने पहले स्थान पर सूचनाएं प्रदान नहीं की हैं और इसलिए सूचनाओं का सत्यापन करना भी संभव नहीं था। किसी भी मामले में, निर्यातक सत्यापन के समय ऐसी गुम सूचना प्रदान नहीं कर सकते थे।

ix) उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यात की गई मात्रा के पीसीएन की पहचान के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि कुछ उत्पादकों/निर्यातकों ने डंपिंग मार्जिन के निर्धारण से संबंधित अनुभाग में पर्याप्त जानकारी प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत की जांच करने के लिए ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के स्टील की खरीद और खपत, उत्पादन की कुल मात्रा और मूल्य, उत्पादन रिपोर्ट, स्पष्ट पहचान के साथ खरीद रजिस्टर, विभिन्न इकाइयों को किलोग्राम में बदलने की पद्धति जैसी जानकारी पीसीएन की शुद्धता और रिपोर्ट किए गए उत्पाद के वजन को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। प्रश्नावली प्रतिक्रिया. हालाँकि, जिन निर्यातकों का डेटा स्वीकार नहीं किया गया है, उनमें से किसी ने भी ऐसी जानकारी प्रदान नहीं की है, जैसा कि यहां ऊपर प्रासंगिक पैराग्राफ में विस्तार से बताया गया है। प्राधिकरण नोट करता है कि जब तक ऐसी जानकारी

उपलब्ध नहीं कराई जाती, भारत को निर्यात किए गए विभिन्न पीसीएन के लिए निर्यात मूल्य निर्धारित करना संभव नहीं है।

x) कई निर्यातकों द्वारा इस तर्क के संबंध में कि लेनदेन का वजन पैकिंग सूची में उपलब्ध था, जबकि चालान वजन में नहीं था, प्राधिकारी ने नोट किया कि प्राधिकारी ने प्रश्नावली के उत्तर को केवल इस कारण से अस्वीकार नहीं किया है कि चालान या पैकिंग सूची में माल के वजन का उल्लेख नहीं किया गया है। प्राधिकारी ने अन्य टिप्पणियां भी की हैं कि प्रश्नावली के उत्तर को क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि डंपिंग मार्जिन से संबंधित धारा के तहत कहा गया है, प्राधिकारी ने नोट किया कि इन निर्यातकों द्वारा कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई थी और इसलिए प्रश्नावली के उत्तर के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं था।

xi) रोंगताई और जियांग मिंगबो के तर्क के संबंध में , प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक ने स्वयं स्वीकार किया है कि वजन में अंतर 15% से अधिक हो सकता है। प्राधिकारी ने नोट किया कि 15% का वजन अंतर महत्वहीन नहीं है। इसके अलावा, यह भी नोट किया गया कि विषयगत वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के खरीद रजिस्टर जैसी मांगी गई जानकारी प्रतिवादी द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। किसी भी मामले में, निर्यातक के उत्तर को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसने अपने चालान में अनुवाद को भौतिक रूप से बदल दिया, पीसीएन को सत्यापित करने के लिए जानकारी प्रदान नहीं की और सेट, जोड़े आदि जैसी इकाइयों को किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए रूपांतरण पद्धति प्रदान नहीं की।

xii) घरेलू उद्योग द्वारा दी गई कार्यप्रणाली को अपनाने की संभावना के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि चूंकि उत्पाद का उत्पादन और बिक्री दो अलग-अलग कच्चे माल - हल्के स्टील और स्टेनलेस स्टील से की जाती है, और कच्चे माल के आधार पर उत्पाद की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण अंतर होता है, जब तक कि कच्चे माल की खपत और उत्पादन का पूरा विवरण प्रदान नहीं किया जाता है, इस जानकारी के बिना भारत को निर्यात से संबंधित उत्तर को समेटना संभव नहीं था। घरेलू उद्योग ने वास्तव में विभिन्न कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद से संबंधित अलग-अलग जानकारी प्रदान की है।

xiii) शान्ताउ रोंगताई हार्डवेयर प्लास्टिक फैक्ट्री और जियांग मिंगबो हार्डवेयर इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के इस दावे के संबंध में कि अंग्रेजी में चीनी संस्करण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया था और निर्यातक ने संदर्भ की आसानी के लिए चीनी विवरण के अंग्रेजी अर्थ को प्रदान किया था, प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक को चीनी दस्तावेज़ का अंग्रेजी अनुवाद प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। निर्यातक से दस्तावेज़ के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं कहा गया था। निर्यातक से दस्तावेज़ का अनुवाद करने और उसे अंग्रेजी संस्करण प्रदान करने के लिए कहा गया था।

xiv) प्राधिकरण ने नोट किया है कि शान्ताउ रोंगताई और जियांग मिंगबो ने खुद स्वीकार किया है कि जवाब में बताई गई मात्रा और डीजी सिस्टम में बताई गई मात्रा में अंतर है। इसके अलावा, उत्तरदाताओं ने आयात घोषणाओं के मूल्यों में भी गड़बड़ी की बात स्वीकार की है।

xv) गुआंगडोंग होंगली के तर्क के संबंध में , प्राधिकारी ने नोट किया कि निर्यातक ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसने महत्वपूर्ण अंतर के साथ संशोधित ईक्यूआर दाखिल किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने उपरोक्त डंपिंग मार्जिन से संबंधित धारा के तहत उल्लिखित जानकारी में अन्य कमियों को भी नोट किया। यह नोट किया गया कि प्रतिवादी अपने वैट चालान प्रदान करने में विफल रहा। इसके अलावा, विषयगत वस्तुओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के खरीद रजिस्टर जैसी अन्य जानकारी भी इसके द्वारा प्रदान नहीं की गई। इसलिए, पीसीएन के संबंध में इसके दावों की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी ।

xvi) हाइबाओ के दावे के संबंध में प्राधिकरण ने पाया कि प्रश्नावली का उत्तर काफी कमज़ोर रहा। भले ही प्राधिकरण यह दावा स्वीकार कर ले कि हाइहुई वास्तव में हाइबाओ है, हाइबाओ द्वारा दायर जवाब अभी भी उसके सभी व्यापारियों द्वारा दायर जवाब से मेल नहीं खाएगा। इस प्रकार, मात्रा और मूल्य का मिलान नहीं किया जा सका।

xvii) इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा भुगतान किए जाने वाले वेतन और मजदूरी में इस अवधि में वृद्धि हुई है, जो उनकी वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है; और उत्पादकता में सुधार हुआ है, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति का निष्कर्ष सभी क्षति मापदंडों की जांच के आधार पर निकाला जाना चाहिए। एक या अधिक मापदंडों में संभावित सुधार का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट नहीं आई है।

प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में कई प्रासंगिक आर्थिक मापदंडों के संबंध में गिरावट आई है।

xviii) जहां तक इस तर्क का सवाल है कि क्यूसीओ लागू होने से क्षमता में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्तमान निर्धारण जांच अवधि पर आधारित है। जांच अवधि के आंकड़ों/सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि डंपिंग के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है। यह तथ्य कि घरेलू उद्योग जांच अवधि के बाद अपनी क्षमता में और वृद्धि कर रहा है - चाहे अंतरिम शुल्क लगाने के कारण या क्यूसीओ लागू होने के कारण - यह तय करने में अप्रासंगिक है कि क्या उत्पाद को भारतीय बाजार में डंप किया गया है और क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

xix) जहां तक इस तर्क का सवाल है कि प्राधिकारी ने निर्यातकों पर अनुचित बोझ डाला है, प्राधिकारी ने नोट किया कि उन्होंने केवल ऐसी सूचना मांगी थी जिसे निर्यात मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक और आवश्यक माना जाता है। यदि उत्पाद का लेनदेन संख्या में किया गया है, उत्पाद का उत्पादन माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील द्वारा किया जाता है, और ऐसे कई अलग-अलग उत्पाद प्रकार हैं जिनकी लागत और कीमत काफी अलग-अलग है, तो निर्यात मूल्य और परिणामस्वरूप डंपिंग मार्जिन के सटीक निर्धारण के प्रयोजन के लिए विभिन्न पीसीएन के निर्यात की मात्रा और मूल्य का सटीक निर्धारण करना महत्वपूर्ण था। इस प्रयोजन के लिए, कंपनियों द्वारा कच्चे माल की खपत, उत्पादन और बिक्री के संबंध में सूचना प्राप्त करना आवश्यक था। प्राधिकारी का मानना है कि इस सूचना को किसी भी तरह से अनुचित नहीं माना जा सकता है। वास्तव में, प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों में कंपनियों के मामले में प्रारंभिक प्रश्नावली या पूरक प्रश्नावली के भाग के रूप में ऐसी सूचना मांगते हैं। यदि बाजार अर्थव्यवस्था वाले निर्यातकों को प्रश्नावली के उत्तर के प्रारंभिक चरण में ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है और यदि प्राधिकारी ऐसे निर्यातकों से पूरक सूचना मांगते हैं, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना अनुचित थी।

xx) डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के निर्णय के संदर्भ में, प्राधिकारी ने नोट किया कि वर्तमान जांच में चीनी उत्पादकों से केवल वही जानकारी प्रासंगिक थी जो निर्यात मूल्य से संबंधित थी। यदि निर्यात मूल्य निर्धारण के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि प्रश्नावली के उत्तर में केवल कुछ जानकारी गायब थी।

वास्तव में, जैसा कि डंपिंग मार्जिन से संबंधित अनुभाग में उल्लेख किया गया है, निर्यातकों द्वारा व्यक्तिगत निर्यात मूल्य के निर्धारण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

xxi) एनआईपी की पुन: जांच और प्रकटीकरण के लिए इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोध के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी की गणना एंटी-डंपिंग नियमों के अनुबंध III के अनुसार की गई है और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास के अनुसार इसका खुलासा किया गया है।

ड. **निष्कर्ष और सिफारिश**

212. में रखते हुए, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, तथा पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं:

i) यह जांच विषयगत वस्तुओं के कई भारतीय उत्पादकों और विषयगत वस्तुओं के भारतीय उत्पादकों की ओर से हाईहोप द्वारा दायर अभ्यावेदन के आधार पर *स्वतः संज्ञान से शुरू की गई थी।*

ii) उत्पादन और बिक्री की मात्रा तथा कंपनी के आकार (बड़े और मध्यम पैमाने) के आधार पर प्राधिकरण ने लागत और क्षति संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए 6 भारतीय उत्पादकों अर्थात जेनिल टेक्नो इंडस्ट्रीज, स्लाइड टेक इंडस्ट्रीज, सुकेतु एंटरप्राइज, कियारा स्लाइडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, विनायक इंटरनेशनल और बटरफ्लाई ड्रॉअर स्लाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नमूना लिया। नमूना लिए गए घरेलू उत्पादक, पाटनरोधी नियमों के अर्थ में घरेलू उद्योग हैं।

iii) विचाराधीन उत्पाद का दायरा चीन पीआर में निर्मित या वहां से निर्यातित "टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर" है। हालांकि, अन्य इच्छुक पक्षों के तर्कों पर विचार करते हुए, रसोई और बेडरूम फिटिंग (जैसे ट्राउजर पुल-आउट, स्लाइड माउंटेड टाई रैक), स्लिम बॉक्स/स्लिम एर्गो, अल्ट्रा स्लिम बॉक्स/सुपर स्लिम एर्गो, लेग्रा बॉक्स, टेंडेम बॉक्स (दराज), इकोनो बॉक्स, स्लिम टेंडेम बॉक्स, डबल वॉल बॉक्स, कॉम्पैक्ट बॉक्स, स्लिमलाइन टेंडेम बॉक्स, डबल वॉल

ड्रॉअर, मैट्रिक्स बॉक्स जैसे उत्पादों को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

iv) माइल्ड स्टील से बने चैनल और स्टेनलेस स्टील से बने चैनल की लागत और कीमत में काफी अंतर होता है, क्योंकि कच्चे माल यानी स्टील की लागत उत्पादन की लागत का लगभग 75-80% होती है और ये उत्पाद अलग-अलग कच्चे माल का उपयोग करके बनाए जाते हैं। इसलिए, माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील के लिए अलग-अलग तुलना की गई है।

v) विषयगत वस्तुओं को सीमाशुल्क उप-शीर्षकों 83024110, 83024190, 83024200, तथा 83024900 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।

vi) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं, पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार विषयगत देश से आयातित विषयगत वस्तुओं के समान वस्तु है।

vii) विचाराधीन उत्पाद को भारत में सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। विषयगत देश से आयात की मात्रा और विषयगत वस्तुओं का डंपिंग मार्जिन न्यूनतम स्तर से ऊपर और महत्वपूर्ण पाया गया।

viii) विषयगत देश के 28 उत्पादकों/निर्यातकों ने वर्तमान जांच में अपना पंजीकरण कराया और निर्धारित प्रश्नावली का जवाब दाखिल किया। निर्यातकों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर में कमी और निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात मात्रा और डीजी सिस्टम में रिपोर्ट की गई आयात मात्रा में महत्वपूर्ण भिन्नताओं को देखते हुए प्राधिकारी ने अंतरिम निर्धारण के समय सभी निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर को खारिज कर दिया। निर्यात मूल्य का सटीक रूप से निर्धारण करने में शामिल जटिलताओं को देखते हुए, जवाब देने वाली कंपनियों को अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यातक द्वारा रिपोर्ट की गई निर्यात मात्रा का समाधान और डीजी सिस्टम के आंकड़ों से देखा गया, अनुवाद के साथ वैट चालान, पैकिंग सूची, शिपिंग दस्तावेज, कुल उत्पादन की मात्रा, बिक्री की मात्रा, कच्चे माल और स्टॉक के विवरण, विभिन्न इकाइयों को किलोग्राम में बदलने की पद्धति, एक ही विवरण वाले उत्पादों का वजन अलग-अलग क्यों होता है, इस पर स्पष्टीकरण तीन (3) उत्पादकों, अर्थात्, जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड, फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, और झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट प्रिसिजन ने सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की है, अपने डेटा को डीजी सिस्टम डेटा के साथ समेटा है, उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के संबंध में जानकारी प्रदान की है जिसे डीजी सिस्टम डेटा के साथ सत्यापित भी किया जा

सकता है। इसके अलावा, उनके निर्यात की संपूर्णता सामग्री की निकासी के समय वजन में रिपोर्ट की गई थी। इसलिए इन कंपनियों को व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन दिया गया है।

ix) शेष निर्यातकों ने पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान नहीं की है। इनमें से कुछ कंपनियों ने वैट दस्तावेज (चीनी सीमा शुल्क को दिया गया), पहचाने गए पीसीएन की सटीकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त जानकारी, कच्चे माल का विवरण और यहां तक कि उत्पाद विवरण के गलत अनुवाद के साथ दस्तावेज भी नहीं दिया है। यह भी ध्यान दिया गया है कि समान विवरण वाले लेन-देन के लिए वजन अलग-अलग था। इस प्रकार, इन सभी निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य की सत्यता स्थापित नहीं की जा सकी। चूंकि निर्यात मूल्य का सही निर्धारण डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन अन्य उत्पादकों द्वारा दायर जवाब स्वीकार नहीं किया गया है और इन कंपनियों के लिए व्यक्तिगत डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया गया है।

x) संबद्ध देश से आयात क्षति अवधि के दौरान भारत में हुए कुल आयातों का अधिकांश हिस्सा है तथा जांच अवधि में कुल आयातों का लगभग 94% है।

xi) क्षति अवधि के दौरान आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधार वर्ष से जांच अवधि तक संबद्ध देश से आयात की मात्रा में लगभग 165% की तीव्र वृद्धि हुई है।

xii) भारतीय उद्योग के पास घरेलू मांग का लगभग 90% पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद, संबद्ध आयातों ने भारतीय बाजार के 77% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है। हालाँकि, जांच अवधि के दौरान भारतीय उद्योग का समग्र बाजार हिस्सा मात्र 18% था।

xiii) आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं। आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और उत्पादन लागत से काफी कम है। आयातों के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में गिरावट आ रही है।

xiv) उत्पादन, क्षमता, बिक्री मात्रा के संदर्भ में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन काफी प्रतिकूल है और देश में इष्टतम स्तर और प्रचलित मांग से काफी नीचे है। क्षमता का पूरी तरह से कम उपयोग किया गया है।

xv) घरेलू उद्योग की मांग में हिस्सेदारी जांच अवधि में मात्र 9% है और भारतीय उद्योग की हिस्सेदारी कुल मिलाकर 18% है। देश में डंपिंग न होने पर भारतीय उद्योग भारत में 90% बाजार हिस्सेदारी हासिल कर सकता था।

xvi) लाभ, नकद लाभ और आरओआई के संदर्भ में घरेलू उद्योग का प्रदर्शन पाटित आयातों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

xvii) घरेलू उद्योग के पास भंडार में संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान, तथा विशेष रूप से जांच अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

xviii) घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है। क्षति मार्जिन काफी अधिक है।

xix) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाले किसी अन्य कारक के बारे में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों की जाँच की है। किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है। प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति चीन से डंप किए गए आयातों के कारण हुई है।

xx) प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं पर एंटी-डंपिंग शुल्क के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। यह देखा गया है कि प्रस्तावित उपायों का प्रभाव खपत किए जा रहे पीयूसी की प्रकृति को देखते हुए नगण्य होगा। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाए जाने से उपभोक्ताओं पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

213. प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसका संचालन करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि डंपिंग और उसके परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की भरपाई के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। प्राधिकरण विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

214. पालन किए जाने वाले कम शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कम के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर किया जा सके। तदनुसार, प्राधिकरण विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले विषयगत वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है, जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली नीचे संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर है। इस प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3ए, 8बी, 9, 9ए के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क का लागू स्तर होगा।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उप- शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	उद्‌गम का देश	निर्यातक देश	उत्पादक/ निर्यातक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8302 4110, 8302 4190, 8302 4200, 8302 4900	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण.	चीन जन. गण सहित कोई भी देश	जियांग झेंगबियाओ हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यूएसडी
2	-वही-	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण.	चीन जन. गण सहित कोई भी देश	फोशान शुंडे हेकियान प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यूएसडी
3	-वही-	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण.	चीन जन. गण सहित कोई भी देश	झाओकिंग सिटी गाओयाओ डिस्ट्रिक्ट कांगक्सुन प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यूएसडी
4	-वही-	टेलीस्कोपिक	चीन	चीन	जियायांग	शून्य	मीट्रिक टन	यूएसडी

		चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	जन. गण.	जन. गण सहित कोई भी देश	झोंगक्सिंग हार्डवेयर कंपनी लिमिटेड			
5	-वही-	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण.	चीन जन. गण सहित कोई भी देश	फ़ोशान फ़ुसाइर मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	शून्य	मीट्रिक टन	यूएसडी
6	-वही-	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण.	चीन जन.स. सहित कोई भी देश	क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 के अलावा कोई भी उत्पादक	422	मीट्रिक टन	यूएसडी
7	-वही-	टेलीस्कोपिक चैनल ड्रॉअर स्लाइडर	चीन जन. गण. के अलावा कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5 के अलावा कोई भी उत्पादक	422	मीट्रिक टन	यूएसडी

ढ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

215. इन निष्कर्षों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात अपील, 1995 में संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ नियम, 1995 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जा सकेगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)
निर्दिष्ट प्राधिकारी